DECEMBER

09

50th Week • 343-022

Monday

DECEMBER						201
M	T	W	T	F	S	
30	31					
2	3	4	5	6	7	
9	10	11	12	13	14	
16	17	18	19	20	21	
23	24	25	26	27	28	

(Social Issue)

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं ~~Social Issue~~ व भारत की विविधता

09

- महिलाओं की भूमिका
- महिला संगठन

10

-

- शहरीकरण / नगरीकरण

11

- भूमण्डलीकरण का प्रभाव

12

- सामाजिक सशक्तीकरण
- साम्प्रदायिकता

01

- क्षेत्रवाद

इकाई-1

भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ और भारत की विविधता *(Salient features of Indian Society and Diversity of India)*

भारतीय समाज एवं इसकी मुख्य विशेषताओं को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि समाज क्या है? समाज एक से अधिक लोगों का समूह (Group) है जिसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से आशय आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि क्रियाओं से है। दूसरे शब्दों में, समाज मानवीय अंत:क्रियाओं (Interaction) के प्रक्रम की एक प्रणाली है।

मानव की कुछ नैसर्गिक तथा अर्जित आवश्यकताएँ, जैसे–काम, क्षुधा, सुरक्षा आदि होती हैं पर वह इनकी पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता। इन आवश्यकताओं की सम्यक् संतुष्टि के लिए लंबे समय में मनुष्य ने एक समष्टिगत व्यवस्था (Holistic System) को विकसित किया है जिसे समाज कहा गया है। यह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिसमें वे निश्चित संबंध और विशिष्ट व्यवहार द्वारा एक-दूसरे से बंधे होते हैं। समाज व्यक्तियों की वह सुगठित व्यवस्था भी है जहाँ विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मानदंडों (Norms) को विकसित किए जाते हैं और कुछ व्यवहारों को स्वीकार्य और कुछ को निषिद्ध किया जाता है।

समाज में विभिन्न कर्ताओं का समावेश होता है जिनमें परस्पर अंत:क्रिया (Interaction) होती है। प्रत्येक कर्ता अधिकतम संतुष्टि की ओर उन्मुख होता है। इसी अंत:क्रिया की मदद से समाज के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाया जाता है। अंत:क्रिया की प्रक्रिया को संयोजक तत्व संतुलित करते हैं तथा वियोजक तत्व सामाजिक संतुलन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। वियोजक तत्वों के नियंत्रण हेतु संस्थाकरण द्वारा कर्ताओं के संबंधों तथा क्रियाओं का समायोजन होता है जिससे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है और अंतर्विरोधों का शमन होता है। सामाजिक प्रणाली में व्यक्ति को कार्य और पद तथा दंड और पुरस्कार, सामान्य नियमों और स्वीकृत मानदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक दंड के इसी भय से सामान्यत: व्यक्ति समाज में प्रचलित मान्य परंपराओं की उपेक्षा नहीं कर पाता और वह उनसे समायोजन का हर संभव प्रयास करता है।

चूंकि समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है इसलिए इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता। इसकी अवधारणा अनुभूतिमूलक है। समाज में पारस्परिक सहयोग एवं संबंधों का आधार सामूहिक आचरण है, जो समाज द्वारा निर्धारित और निर्देशित होता है। समाज में सामाजिक मान्यताओं के संबंध में सहमति अनिवार्य होती है। यह सहमति पारस्परिक विमर्श तथा सामाजिक प्रतीकों को स्वीकारने पर आधारित होती है। असहमति की स्थिति संघर्षों को जन्म देती है जो समाज के विघटन का कारण बनती है। यह असहमति उस स्थिति में पैदा होती है जब व्यक्ति सामूहिकता के साथ पहचान बनाने में असफल रहता है। समाज और उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप कभी शाश्वत नहीं बना रहता। मानव मन और समूह मन की गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती रहती है जिसके परिणामस्वरूप समाज परिवर्तनशील होता है। उसकी यह गतिशीलता ही उसके विकास का मूल है। सामाजिक विकास परिवर्तन की एक चिरंतन प्रक्रिया है जो सदस्यों की आकांक्षाओं और पुनर्निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख रहती है।

भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ *(Salient Features of Indian Society)*

समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग समाजों का निर्माण हुआ है, जैसे- ग्रामीण समाज, शहरी समाज, पशुचारण समाज, कृषक समाज, आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, अमेरिकी समाज, ब्रिटिश समाज, यूरोपीय समाज, हिन्दू समाज, पारसी समाज, आदि। इन सभी समाजों की अपनी विशेषताएँ होती हैं जिसके आधार पर हम उसे अन्य समाजों से अलग कर सकते हैं। हर समाज की तरह भारतीय समाज की भी कुछ विशेषताएँ हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्राचीनता एवं स्थायित्व *(Ancientness and Stability)*

भारतीय समाज प्राचीनतम समाजों में से एक है। विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ, जैसे- मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, रोम, आदि विनष्ट हो गई लेकिन भारतीय संस्कृति व समाज-व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी हमारे यहाँ वैदिक धर्मों को मानने की परम्परा है। गीता, महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी देश में जीवंत बने हुए हैं। भारतीय जन-जीवन का मौलिक आधार आज भी वही है जो प्राचीन भारत में विद्यमान था।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoun...
Copyright– Drishti The Vision Foundation

सहिष्णुता *(Tolerance)*

सहिष्णुता भारतीय समाज की एक अद्‌भुत विशेषता है। यहाँ सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता एवं प्रेम का भाव पाया जाता है। भारत में समय-समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इनमें से किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर कोई संस्कृति थोपी गई। यहाँ आज भी हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी अपनी-अपनी विशेषताएँ बनाए हुए हैं।

समन्वय *(Coordination)*

भारतीय समाज के सहिष्णु स्वभाव के कारण ही इसमें भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। यदि विभिन्न संस्कृतियों को नदियाँ मान लिया जाए तो भारतीय संस्कृति वह सागर है जहाँ सभी नदियाँ आकर मिलती हैं। विभिन्न संस्कृतियों, जैसे- जनजातीय, हिन्दू, मुस्लिम, शक, हूण, सिथियन, ईसाई आदि से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई वरन् इन संस्कृतियों ने भारतीय समाज में समन्वय एवं एकता ही स्थापित की है।

आध्यात्मवाद *(Spiritualim)*

आध्यात्मवाद भी भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। यहां भौतिक सुख और भोग-विलास को कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं माना गया। आत्मा और ईश्वर के महत्त्व को स्वीकार किया गया है और भौतिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज में आत्मा की तरह बसा हुआ है। भारतीय समाज में सहिष्णु प्रवृत्ति का उदय आध्यात्मवाद के कारण ही हुआ है।

धर्म की प्रधानता *(Dominance of Religion)*

भारतीय समाज एक धर्म प्रधान समाज है। यहां मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को धर्म के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक भारतीय अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक कार्यों व अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। यह धर्म संकुचित धर्म नहीं बल्कि मानवतावादी धर्म है जो सभी जीवों के प्रति दया और कल्याण की भाव रखता है। इस प्रकार भारतीय समाज व संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

अनुकूलनशीलता *(Adaptability)*

भारतीय समाज के अनुकूलनशील प्रकृति होने के कारण ही यह आज भी कायम है। भारतीय समाज में समय के साथ परिवर्तित होने की विशिष्ट क्षमता है। यहां के परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाओं ने समय के साथ स्वयं को अनुकूलित किया है। यही कारण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विघटन के स्थान पर परिवर्तन होता रहा और यह स्वयं को नष्ट होने से बचाने में कामयाब रहा।

वर्णाश्रम व्यवस्था *(Class System)*

वर्ण एवं आश्रमों की व्यवस्था भी भारतीय समाज की एक विशेषता है। यहाँ समाज में श्रम विभाजन के लिए चार वर्णों- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गयी। इनमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया और उन्हें बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक के रूप में माना गया। उसके बाद क्षत्रिय का स्थान है जिन्हें शक्ति के प्रतीक के रूप में माना गया। तीसरे पदानुक्रम पर वैश्यों को रखा गया जो भरण-पोषण एवं अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं तथा शूद्र जिन्हें चौथे एवं अन्तिम पायदान पर रखा गया, अन्य सभी वर्णों की सेवा करते हैं।

प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों ने मनुष्य के लिए चार आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की। जहाँ वर्ण मनुष्यों के बीच कार्य विभाजन को इंगित करते हैं वहीं आश्रम उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था मानव जीवन की समस्याओं व जीवन दर्शन पर निर्भर है। भारतीय समाज की यह व्यवस्था संसार को एक अनुपम भेंट है।

जाति-व्यवस्था *(Caste System)*

जाति-व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज को कई भागों व उपभागों में बाँटा गया है। जन्म से ही जाति की सदस्यता प्राप्त होती है तथा प्रत्येक जाति का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। इनके खान-पान एवं सामाजिक गतिविधियों के नियम

Copyright - Drishti The Vision Foundation

हैं तथा इनमें एक परम्परागत व्यवसाय भी पाया जाता है। प्राचीन काल के चार वर्ण- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही कालान्तर में जाति के रूप में विकसित हो गये। जाति व्यवस्था भारतीय समाज को अनेक ढंग से प्रभावित करती रही है।

कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त *(Doctrine of Karma and Reincarnation)*

भारतीय समाज में कर्म को काफ़ी महत्त्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा जबकि बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद पुनः वह किस योनि में जन्म लेगा यह उसके पिछले जन्म के कर्म पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वालों को उच्च योनि में जबकि बुरे कर्म करने वालों को निम्न योनि में जन्म लेना होता है। उच्च योनि में जन्म लेने वाले सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं जबकि निम्न योनि में जन्म लेने वालों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस विशेषता के कारण ही हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है।

सर्वांगीणता *(Completeness)*

भारतीय समाज का निर्माण किसी एक जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं हुआ है बल्कि इसके निर्माण में विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों एवं अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है। यही कारण है कि भारतीय समाज में सभी के कल्याण की बात कही गयी है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' भारतीय संस्कृति का सार है अर्थात् यहाँ सभी के सुख की कामना की गई है।

संयुक्त परिवार *(Joint Family)*

अति प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन रहा है। इसमें सामान्यतः दो या तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। सभी सदस्य परिवार के मुखिया के अधीन होते हैं तथा सभी सदस्यों का संपत्ति पर स्वामित्व होता है। इस प्रथा को जन्म देने में भारतीय कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

पुरुषार्थ की अवधारणा *(Concept of Purushartha)*

भारतीय परम्परा में जीवन का ध्येय पुरुषार्थ को माना गया है। पुरुषार्थ की संख्या चार बताई गयी है: धर्म-(Religion or Righteousness), अर्थ (Wealth), काम (Work, Desire and Sex) और मोक्ष (Salvation or Liberation)। इसमें धर्म से आशय अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से है। हर मनुष्य के लिए कुछ कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है और उसे इनका पालन करना चाहिये। वही उसके धर्म का पालन भी है। अर्थ से तात्पर्य है- जिसके द्वारा भौतिक सुख-समृद्धि की सिद्धि होती हो। ऐसे कर्म हों जिससे अर्थोपार्जन हो। अर्थोपार्जन से ही काम साधा जाता है। काम की अवधारणा में संसार के सुखों को शामिल किया गया है। जिन व्यक्तिगत सुखों से परिवार और समाज को हानि होती है ऐसे सुखों को वर्जित माना गया है। मोक्ष का अर्थ है- जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति और संसार में आवागमन से मुक्ति। मोक्ष भारतीय समाज का चरम लक्ष्य समझा गया है। माना गया है कि प्रत्येक प्राणी को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये। कुछ अपवादों को छोड़कर समूचे भारतीय दर्शन में मोक्ष को सर्वोच्च आदर्श माना गया है।

संस्कार *(Sanskara)*

संस्कार से तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय समाज में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धि आवश्यक माना गया है और इसके लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जैसे- जातकर्म, नामकरण, विद्यारम्भ, निष्क्रमण, सीमन्तोन्नयन, उपनयन, अन्नप्राशन, गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, कर्णवेध, समावर्तन, विवाह एवं अन्त्येष्टि आदि। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी विशेष स्थिति और आयु में उसके सामाजिक कर्त्तव्यों का अवबोध कराना है।

विविधता में एकता *(Unity in Diversity)*

विविधता में एकता भारतीय समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ प्रजाति, जनजाति, जाति, भाषा, धर्म, पर्यावरण आदि आधार पर व्यापक विविधताएँ विद्यमान हैं लेकिन इसके बावजूद उनमें अद्भुत एकता पायी जाती है।

उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में कुछ ऐसी विशेषताएँ पायी जाती हैं जिससे उनकी अपनी एक अलग पहचान है और पूरा विश्व उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत की विविधता *(Diversity of India)*

भारत विविधताओं और बहुलताओं का देश है। यहाँ के जीवन के प्रत्येक पहलू में विविधता विद्यमान है। यहाँ भौगोलिक, जैविक, भाषाई, धार्मिक, प्रजातीय, सांस्कृतिक आदि विविधताएँ सहज ही देखी जा सकती हैं। इन विविधताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

प्रजातीय विविधता *(Racial Diversity)*

प्रजाति से आशय ऐसे लोगों के समूह से है जिनमें त्वचा के रंग, नाक के आकार, बालों के प्रकार आदि आधार पर कुछ स्थायी प्रकार की शारीरिक विशेषताएँ होती हैं। भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण सर हरबर्ट रिजले (Herbert Risley) ने सन् 1901 की भारतीय जनगणना में किया था। रिजले के अनुसार, भारतीय जनसंख्या में सात विभिन्न मानव प्रजातियाँ तुर्क-ईरानी, भारतीय आर्य, द्रविड़, आर्य-द्रविड़, सीथो-द्रविड़, मंगोल-द्रविड़ और मंगोल शामिल हैं। एक अन्य मानव शास्त्री जे. एच. हट्टन ने भारतीय प्रजातियों के बारे में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहाँ नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलायड, पूर्व भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन, नार्डिक और मंगोल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे मुख्य और सर्वमान्य वर्गीकरण बिरजा शंकर गुहा (Biraja Shanker Guha) द्वारा 1931 की जनगणना रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने भारत के लोगों को छह प्रकार की प्रजातियों में विभक्त किया। उनका वर्गीकरण इस प्रकार है-

1. **नीग्रिटो (Negrito):** यह काले रंग की त्वचा वाली और भारत आने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति है। चौड़ा सिर, घुंघराले बाल और मोटे होंठ इनकी विशेषताएँ हैं। अंडमान-निकोबार की जारवा, ओंग और दक्षिण भारत की कादार, इरूला और पनियन जैसी जनजातियों को इस संवर्ग में रखा जा सकता है। इस प्रजाति का ज्यादा संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है।
2. **प्रोटो-ऑस्ट्रेलायड (Proto-Australoid or Austrics):** इस प्रजाति के लोग नीग्रो प्रजाति के बाद आये। भारत के मध्य क्षेत्र में रहने वाली कुछ प्रजातियाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। इनमें हो, भील आदि आदिवासी समूहों को रखा गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएँ बड़ा सिर, छोटा माथा एवं ठोड़ी, छोटी नाक और गहरी भूरी त्वचा हैं। माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी।
3. **मंगोलायड (Mongoloid):** मंगोलायड एशिया का एक मूल प्रजातीय समूह है। इसमें उत्तरी एवं पूर्वी एशिया के लोग शामिल हैं। भारत के उत्तर-पूर्व में रहने वाले कई समुदायों को इस प्रजाति वर्ग में रखा गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएँ पीली त्वचा, भारी पलकें, छोटी आँखें और मध्यम ऊँचाई है।
4. **भूमध्य-सागरीय या द्रविड़ (Mediterranean or Dravidian):** इस प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता से लेकर दक्षिण भारत तक में मिलते हैं। इनके तीन उपप्रकार हैं- वास्तविक भूमध्यसागरीय (True Mediterranean), पेलियो-भूमध्यसागरीय (Paleo-Mediterranean) और ओरियंटल भूमध्यसागरीय (Oriental Mediterranean)।
5. **पश्चिमी लघुकपाल (Western Brachycephals):** अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनाइड प्रजाति के एक उपसमूह का नाम पश्चिमी लघुकपाल रखा गया है। इनमें मैसूर के कुर्गी (Coorgis) और पारसी (Parsis) समुदाय को रखा गय है।
6. **नॉर्डिक या उदीच्य (Nordics):** नॉर्डिक सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ लंबा कद, लंबा सिर, और नीली आँखें हैं। यह प्रजाति पश्चिमी यूरोप और मध्य एशियाई देशों में पाई जाती है। इन्हें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में देखा जा सकता है।

भौगोलिक विविधता *(Geographical Diversity)*

भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। देश की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। भारत के सुदूर उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, विशाल हिमनदों तथा गहरी घाटियों से युक्त हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। हिमालय के दक्षिण में सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित विशाल उपजाऊ मैदान है। विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है जिस पर अपरदित शैलें, सोपानी स्थलाकृति तथा कहीं-कहीं शिखरों से युक्त अवशिष्ट श्रेणियाँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं।

भारत की इस भौगोलिक विविधता के संबंध में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि-

'यदि कोई विदेशी, जिसे भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, सारे देश की यात्रा करे तो, वह यहाँ की भिन्नताओं को देखकर यही समझेगा कि, 'यह एक देश नहीं, बल्कि छोटे-छोटे देशों का समूह है और ये देश एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्न हैं। जितनी अधिक प्राकृतिक भिन्नताएँ यहाँ हैं, उतनी अन्यत्र कहीं पर नहीं हैं। देश के एक छोर पर उसे हिम मंडित हिमालय दिखाई देगा और दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, फिर विन्ध्य, अरावली, सतपुड़ा तथा नीलगिरि पर्वत श्रेणियों का पठार।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com.
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright - Drishti The Vision Foundation

इस प्रकार अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर जायेगा तो उसे वैसी ही विविधता और विभिन्नता मिलेगी। उसे विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलेगी। हिमालय की अत्यधिक ठण्ड, मैदानों की ग्रीष्मकाल की अत्यधिक गर्मी मिलेगी। एक तरफ असम का समवर्षा वाला प्रदेश है, तो दूसरी ओर जैसलमेर का सूखा क्षेत्र, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में सर्वत्र विविधता दिखाई पड़ती है।'

इस तरह भारत को चार प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बाँटा जा सकता है- (i) उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, (ii) विशाल मैदान, (iii) प्रायद्वीपीय पठार तथा (iv) तट और द्वीपीय समूह

(विस्तृत व्याख्या के लिए सामान्य अध्ययन के 'भूगोल' खंड का 'भारत के भू-आकृतिक प्रदेश' अध्याय देखें।)

देश में जलवायु संबंधी विविधताएँ भी देखने को मिलती हैं। मेघालय के मॉसिनराम में 1200 से.मी. से अधिक वर्षा होती है तो थार के मरुस्थल में 25 से.मी. से भी कम। लेह में –45°C तापमान दर्ज होता है तो चुरु (राजस्थान) में 50°C से भी अधिक। इस तरह भारत में विश्व स्तर की जलवायवीय विविधताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

जैव विविधता *(Bio Diversity)*

भारत में जैव विविधता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जैव विविधता को हम वनस्पति और जन्तु संबंधी विविधता में बाँट कर देख सकते हैं। भारत विश्व के 12 वृहद जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यदि इन देशों की जैव विविधता को संयुक्त रूप से देखा जाए तो यह विश्व भर की ज्ञात जैव विविधता का 60-70 प्रतिशत हिस्सा होगा। विश्व भर के भूमि क्षेत्रफल के 2.4 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत ज्ञात प्रजातियों के 7-8 प्रतिशत हिस्से का आश्रयदाता है। अभी तक वनस्पतियों की 46000 से अधिक एवं प्राणियों की 81000 से अधिक प्रजातियाँ भारत में खोजी जा चुकी हैं।

भारत को फसलों की विविधता का केन्द्र माना जाता है। इसे चावल, अरहर, आम, हल्दी, अदरक, गन्ना, गूज़बेरी आदि की 30000-50000 किस्मों की खोज का केन्द्र माना जाता है और दुनिया में कृषि को सहयोग प्रदान करने में भारत का सातवाँ स्थान है। दुनिया के 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ स्थानीय प्रजातियों की भरमार हो। ऐसे दो क्षेत्र भारत में हैं।

वनस्पति संबंधी विविधता *(Botanical Diversity)*

वन संपदा की दृष्टि से भारत काफी संपन्न है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वनस्पति विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में दसवाँ और एशिया में चौथा स्थान है। जलवायु विविधता के कारण भारत में जितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वे समान आकार के अन्य देशों में दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। भारत को आठ वनस्पति क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है- पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र, दक्कन, गंगा का मैदानी क्षेत्र, मालाबार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊँ तक फैला है। इस क्षेत्र के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी (कोनिफर) और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्षों के वनों का बाहुल्य है। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार, नीली चीड़, सनोवर वृक्ष और श्वेत देवदार के जंगल हैं। अल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से 4750 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ऊँचे स्थानों में मिलने वाले श्वेत देवदार, श्वेत भोजपत्र और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है और इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, कुर्सियांग और उसके साथ लगे हिस्से आते हैं। इस शीतोष्ण क्षेत्र में ओक, बड़े फूलों वाला सदाबहार वृक्ष और छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियाँ आती हैं जिनमें सदाबहार जंगल हैं और बीच-बीच में घनी बाँसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है और इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र का अधिकतर भाग कछारी मैदान है और इनमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती होती है। केवल थोड़े से भाग में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं। दक्कन क्षेत्र में जंगलों से लेकर तरह-तरह की जंगली झाड़ियों तक के वन हैं। मालाबार क्षेत्र के अधीन प्रायद्वीपीय तट के साथ-साथ लगने वाली पहाड़ी तथा अधिक नमी वाली पट्टी है जहाँ घने जंगल हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण व्यापारिक-फसलें जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ तथा काजू की खेती होती है। अंडमान क्षेत्र में सदाबहार, मैंग्रोव, समुद्र तटीय और जल प्लावन संबंधी वनों की अधिकता है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र (नेपाल, सिक्किम, भूटान, नागालैंड) और दक्षिणी प्रायद्वीप के क्षेत्रीय पर्वतीय श्रेणियों में ऐसे देशज पेड़-पौधों की अधिकता है, जो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते।

जंतु संबंधी विविधता *(Zoological Diversity)*

भारत में जलवायु और भौतिक दशाओं में अत्यधिक विविधता होने के कारण जंतुओं में भी प्रचुर मात्रा में विविधताएँ देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रोटिस्टा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा, एम्फीबिया, स्तनधारी, सरीसृप, प्रोटोकोर डाटा के सदस्य पाइसेज, एव्स और अन्य अकशेरुकीय शामिल हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

स्तनधारियों में शाही हाथी, गौर अथवा भारतीय बाइसन (जंगली भैसा), भारतीय गैंडा, हिमाचल का जंगली भेड़, हिरण, चीतल, नील गाय, चार सींगों वाला हिरण, भारतीय बारहसिंगा अथवा काला हिरण आदि शामिल हैं। बिल्लियों में बाघ और शेर सबसे अधिक विशाल हैं; अन्य शानदार प्राणियों में धब्बेदार चीता, साह चीता, रेखांकित बिल्ली आदि भी पाए जाते हैं। स्तनधारियों की कई अन्य प्रजातियाँ अपनी सुन्दरता, रंग, आभा और विलक्षणता के लिए उल्लेखनीय हैं। जंगली मुर्गी, हंस, बत्तख, मैना, तोता, कबूतर, सारस, धनेश और सूर्य पक्षी जैसे अनेक पक्षी जंगलों और आर्द्र भू-भागों में रहते हैं।

नदियों और झीलों में मगरमच्छ और घड़ियाल पाये जाते हैं। खारे पानी का घड़ियाल पूर्वी समुद्री तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाया जाता है। वर्ष 1974 में शुरू की गई घड़ियालों के प्रजनन हेतु परियोजना घड़ियाल को विलुप्त होने से बचाने में सहायक रही है। विशाल हिमालय पर्वत में जंतुओं की अत्यंत रोचक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं जिनमें जंगली भेड़ और बकरियाँ, मारखोर, आई बेकस, थ्रू और टेपिर शामिल हैं। पांडा और साह चीता पर्वतों के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं।

हालाँकि कृषि का विस्तार, पर्यावरण का नाश, प्रदूषण, सामुदायिक संरचना में असंतुलन, महामारी, बाढ़, सूखा आदि कारणों से वनस्पति और जन्तु समूह की हानि हुई है। स्तनधारियों की 39 प्रजातियाँ, पक्षियों की 72 प्रजातियाँ, सरीसृप वर्ग की 17 प्रजातियाँ, उभयचर की 3 प्रजातियाँ, मछलियों की दो प्रजातियाँ और तितलियों, शलभों तथा भृंगों की काफी संख्या को असुरक्षित और संकटग्रस्त माना गया है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जंतु संबंधी विविधताएँ अद्भुत और अतुलनीय हैं।

भाषाई विविधता *(Linguistic Diversity)*

भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न प्रान्तों में अनेक भाषाएँ अस्तित्व में हैं जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों को परस्पर अलग भी कर देती हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, यहां व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 222 है। संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली शामिल हैं। यहां की भाषाओं को विभिन्न लिपियों में लिखा जाता है जो भारत की विविधता का द्योतक है। लिपि से आशय शब्द या वर्ण लिखने के तरीके से है। भारत की कुछ प्रचलित लिपियों में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, तेलुगु, मलयालम आदि हैं।

विश्व के भाषा परिवारों में से एक हिन्द-यूरोपीय भाषा परिवार (Indo-European Family) का एक उपविभाजन हिन्द आर्य (Indo-Aryan or Indic) कहलाता है और उसमें भारत के उत्तरी हिस्से में बोली जाने वाली हिन्दी, पंजाबी, मराठी आदि भाषाएँ रखी गयीं हैं। भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी हिन्द आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है जिसमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे हिन्दी, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी इत्यादि शामिल हैं।

द्रविड़ भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल भाषा है। इसी तरह कर्नाटक में कन्नड़ एवं दक्षिण कर्नाटक में तुलु, केरल में मलयालम और आंध्रप्रदेश में तेलुगु इस परिवार की बड़ी भाषाएँ हैं। इसके अलावा इस वर्ग में कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली ब्राहुई भाषाओं को रखा गया है।

ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार में संथाली आदि भाषाओं को रखा गया है। यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में बोली जाती है।

चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की ज्यादातर भाषाएँ पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती हैं। इस परिवार पर चीनी और आर्य परिवार की भाषाओं का मिश्रित प्रभाव पाया जाता है और सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद इस परिवार के सदस्य भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। इस परिवार की मुख्य भाषाओं में नगा, मिज़ो, म्हार, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, तथा आओ इत्यादि भाषाएँ शामिल हैं। इन्हें 'नाग परिवार' की भाषाएँ भी कहा गया है।

अंडमानी भाषा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है। इसके अंतर्गत अंडमान-निकाबोर द्वीप समूह की भाषाएँ आती हैं, जिनमें प्रमुख हैं- अंडमानी, ग्रेड अंडमानी, ओंग, जारवा आदि। अंडमानी भाषा परिवार नवीनतम विभाजन है। इसके दो उपविभाजन किये गये हैं- ग्रेट अंडमानी (Great Andamanese) और ओंग (Ongan) भाषा समूह। इसमें ग्रेट अंडमानी को अका-जेरू (Aka-Jeru) समुदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा इस भाषा वर्ग में सेंटलीस (Sentinelese) को भी रखा गया है। ये तीनों भाषाएँ आपस में निकटतापूर्वक संबंध रखती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में भाषाई विविधता भी बृहद स्तर पर है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright-- Drishti The Vision Foundation

धार्मिक विविधता (*Religious Diversity*)

भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग धर्म यथा-हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में हिन्दू 80.5 प्रतिशत, मुसलमान 13.4 प्रतिशत, ईसाई 2.3, सिख 1.9, बौद्ध 0.8, जैन 0.4, और अन्य धर्मों को मानने वाले का प्रतिशत 0.6 है। इनमें से प्रत्येक धर्म भी कई मतों में बँटा हुआ है, जैसे हिन्दू धर्म वैष्णव, शैव, शाक्त जैसे संप्रदायों में बँटा हुआ है। इन संप्रदायों के भी उनके उपसंप्रदाय हैं। जैसे शैव संप्रदाय के लोग वीरशैव, कालामुख आदि उपसंप्रदायों में विभाजित हैं। हिन्दू धर्म में कई सुधार आंदोलन चले जिसके कारण इसके और उपविभाजन सामने आये। इनमें से एक विभाजन सनातन और आर्य समाज में हुआ। इसके अलावा हिन्दू धर्म में रामभक्ति, कृष्ण भक्ति, कबीर पंथी और नाथ पंथी आदि की भी विशद परंपरा है। विचारधारा के स्तर पर भी कई मत सामने आये जिनमें रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद को ज्यादा स्वीकार्यता मिली। हिन्दू धर्म के तहत पनपी जाति और वर्ण संबंधी सामाजिक व्यवस्था भी हिन्दू धर्म में सामाजिक विविधता को दर्शाती है। हिन्दू धर्म में चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वीकार किये गये। इन वर्णों में कई क्रमागत उपविभाजन हैं। प्राय: यही माना जाता है कि जाति इन्हीं उपविभाजनों को प्रदर्शित करती है। हालाँकि विद्वानों का एक समूह जिनमें एम एन श्रीनिवास प्रमुख हैं, मानता है कि जातियों के उपविभाजन को भारतीय स्तर पर समझने के लिए वर्ण का विचार सामने आया।

भारत में मुसलमानों का संकेंद्रण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों में ज्यादा है। यहाँ के मुसलमान भी शेष दुनिया की तरह मोटे तौर पर सुन्नी और शिया संप्रदायों में विभक्त है। भारत में रहने वाले दो-तिहाई मुसलमान सुन्नी मत को मानते हैं। इन दोनों मतों के अपने कई उपसंप्रदाय भी हैं। सुन्नी संप्रदाय हनफी, शफ़ीह, मालिकी आदि उपसंप्रदायों में तथा शिया मुसलमान इस्माइली, जाफ़री आदि उपशाखाओं में बँटे हुए हैं। भारत में विकसित हुए इस्लाम धर्म में सूफियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत में सूफ़ियों को जो सम्मान हासिल है वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता।

भारत में ईसाई धर्म की उपस्थिति पूरे देश में है लेकिन उनका संकेंद्रण केरल, तमिलनाडु, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा है। यहाँ के ईसाई मुख्य तौर पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतों में विभाजित हैं। कैथोलिक चर्च को ज्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं जबकि प्रोटेस्टेंट कम। कैथोलिकों में मूर्तिपूजा का प्रचलन है जबकि प्रोटेस्टेंट में मूर्तिपूजा को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत के ईसाई हिन्दू और मुसलमानों की तरह सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। जैसे केरल का ईसाई समुदाय उच्च और निम्न हैसियत वालों दो वर्गों में बंटा हुआ है। उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले सीरियन ईसाई समुदाय कहलाते हैं जबकि दूसरी तरफ न्यू राईट ईसाई या लैटिन ईसाई हैं, जिन्हें हिन्दू धर्म के दलितों की तरह समझा जा सकता है।

सिख धर्म के अनुयायियों का संकेंद्रण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू के क्षेत्रों में ज्यादा है। मूल तौर पर सिख धर्म में जाति प्रथा को अस्वीकार्य कर दिया गया और प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के आगे 'सिंह' और प्रत्येक महिला को 'कौर' लिखने को कहा गया। लेकिन समय बीतने के साथ सिखों में भी जाति व्यवस्था के अवगुण दिखने लगे। सामाजिक पदानुक्रम में निचले स्थान पर रहने वाले को मजहबी सिख कहा गया और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में उनके लिए अलग गुरुद्वारे बने गये। सिख धर्म से विकसित हुई 'डेरा परंपरा' का भी धार्मिक विविधता को बढ़ाने में योगदान रहा है।

बौद्ध धर्म भारत में कभी बेहद शक्तिशाली धर्म बन गया था और उसे अनेक प्रतापी वंशों और राजाओं का संरक्षण हासिल था। बाद में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या पर उभरे मतभेदों के कारण इनके तीन उपसंप्रदाय हीनयान, महायान और वज्रयान अस्तित्व में आये। समय बीतने के साथ ही बौद्ध धर्म विलुप्त होने की हालत में आ गया। सन् 1953 में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घोषणा के साथ बौद्ध धर्म में एक नई हलचल देखी गयी। डॉ. अम्बेडकर ने हीनयान या महायान शाखाओं को अस्वीकार करते हुये कहा कि हमारा बौद्ध धर्म नया बौद्ध धर्म 'नवयान' (Navayana) है। इन्हें नवबौद्ध या पश्चिमी बौद्धवाद की संज्ञा दी जाती है। नवबौद्धों का संकेंद्रण महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक है।

जैन धर्म बौद्ध धर्म के समकालीन ही विकसित हुआ। इस धर्म के अनुयायी भी श्वेतांबरों और दिगम्बरों में बँटे हुए हैं। इनमें दिगम्बर संप्रदाय के लोग धर्म संबंधी मान्यताओं का कठोरता से पालन करते हैं। जैन धर्म के लोगों का संकेंद्रण महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में ज्यादा है।

देश में इन प्रमुख धर्मों के अलावा पारसी, यहूदी और आदिवासियों के धर्म सरना को मानने वाले भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पारसी धर्म के लोग मूल रूप से ईरान से भारत आये और यहीं बस गये। यहूदी धर्म के अनुयायी बहुत कम संख्या में है। देश के अधिकांश यहूदी कोचीन और महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं। झारखंड व ओडिशा क्षेत्र में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदाय सरना धर्म में विश्वास व्यक्त करते हैं। इस तरह भारत को धार्मिक विविधताओं का देश कहा जा सकता है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

सांस्कृतिक विविधता *(Cultural Diversity)*

भारत में विभिन्न स्तरों पर सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। राज्यवार देखें तो यहाँ के सभी राज्यों की संस्कृति एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्न है। लोगों का खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, सोचने का तरीका, अभिवृत्तियाँ, नृत्य, संगीत और अन्य कलाएँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की हैं। दूसरे स्तर पर हमें एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हमें भिन्न संस्कृति के आयाम दिखने लगते हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य में गढ़वाली और कुमाऊँनी संस्कृति क्षेत्र मिलते हैं। राजस्थान में मारवाड़, शेखावटी, ढूंढार, मेवाड़ आदि; उत्तरप्रदेश में ब्रज, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, अवधी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रूहेलखंड आदि; गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ आदि; बिहार में भोजपुरी, मगही और मिथिला क्षेत्र एक ही राज्य में कई संस्कृतियाँ होने के प्रमुख उदाहरण हैं। इन सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कई उपक्षेत्र हैं जिनकी अपनी विशिष्टताएँ होती हैं।

राजनीतिक विविधता *(Political Diversity)*

देश का इतिहास बताता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर से पहले तक यहाँ के सभी भूभागों में एक ही वंश का शासन कभी नहीं रहा। मौर्य, गुप्त और मुगलों का शासन भी देश के अधिकांश हिस्से पर अवश्य रहा लेकिन देश का संपूर्ण हिस्सा नियंत्रण में नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि देश में हमेशा से ही राजनीतिक विविधता बनी रही है। देश ने ऐसे दौर भी देखें हैं जब शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति के समय में यह विविधता और अधिक गहरी हो गई।

देश की आजादी के बाद संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में आई जिसके तहत हुए चुनावों में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोग विधानसभा और संसद में पहुँचे। मौजूदा दौर में देश की विधानसभाओं में दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी सभी प्रकार की विचारधाराओं के दलों को देखा जा सकता है। वर्तमान समय में गठबंधन सरकार का दौर चल रहा है जिसमें विभिन्न दल मिलकर शासन-सञ्चालन का कार्य करते हैं। इसका प्रभाव यह हुआ है कि बेहद छोटे जनाधार वाले दलों को भी केंद्रीय सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला है जिससे देश के राजनीतिक वातावरण में विविधता के रंग और अधिक हो गये हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि लोगों में राजनीतिक दलों के गठन की प्रवृत्ति बढ़ी है और चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright: Drishti The Vision Foundation

8/7/13

इकाई-2

महिलाओं की भूमिका *(Role of Women)*

****(इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)*

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत में महिलाओं की भूमिका का इतिहास काफी गतिशील रहा है। दूसरे शब्दों में, समय के साथ महिलाओं की भूमिकाओं ने कई बड़े बदलावों का सामना किया है। एक समय था जब भारतीय महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित थी, वहीं आज उनकी भूमिकाओं ने घर की चारदीवारी को तोड़ते हुए उन्हें अंतरिक्ष में पहुँचा दिया है।

पिछले कुछ सालों में महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे आयी हैं। उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वे अब हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगी हैं। अब महिलाएँ सिर्फ चूल्हे-चौके तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं या फिर नर्स, एयर होस्टेस या रिसेप्शनिस्ट ही नहीं रह गयी हैं बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब हर वैसा क्षेत्र जहाँ पहले केवल पुरुषों का ही वर्चस्व था, वहाँ स्त्रियों को काम करते देखकर हमें आश्चर्य नहीं होता है। महिलाओं को काम करते देखना हमारे लिए अब आम बात हो गयी है। महिलाओं में इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वे अब किसी भी विषय पर बेझिझक बात करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं रहा है।

आज भारत में महिलाएँ उस दिशा में अनुगमन कर रही हैं जिसे पाश्चात्य देशों की महिलाओं ने 80 वर्ष पहले अपनाया था अर्थात् समान मानव की तरह व्यवहार करने की माँग। जैसे-जैसे क्रांति (Revolution) पुरानी हुई, यह और अधिक स्पष्ट हो गया कि भारतीय महिलाएँ अपनी बेहद पारंपरिक और धार्मिक संस्कृति के बावजूद पश्चिमी नारीवाद के प्रति अनुकूलित हो सकती हैं। यद्यपि भारतीय समाज की जटिलताओं के कारण भारत में महिलाओं का विकास उनकी पाश्चात्य समकक्षों की तुलना में पूर्णतः परिवर्तित सन्दर्भ में हुआ लेकिन मुख्य लक्ष्य समान हैं: समाज, कार्यस्थलों, विद्यालयों तथा घर में पुरुष और महिला में समानता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा और रोजगार के अवसर। पुरुषों के समकक्ष स्वतंत्र धरातल पाने के लिए महिलाओं को आकुलता स्पष्ट देखी जा सकती है।

भारतीय महिलाओं के समक्ष जाति प्रथा, धार्मिक परम्पराओं, प्राचीन प्रचलित भूमिकाओं जैसी अन्य चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ ही उसे पहले से अधिक मजबूत भारतीय समाज के पुरुष सत्तात्मक ताने-बाने से भी लोहा लेना है। एक समय था जब यह स्थिति स्वीकार्य थी, लेकिन पाश्चात्य महिला क्रांति तथा अनुभूति के पश्चात् समानता के अधिकार की वकालत करने वाले राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर के संगठनों तथा महिलाओं के स्वतंत्र समूहों के योगदान से महिलाओं की भूमिका में धीरे-धीरे विकास के लक्ष्य परिलक्षित हो रहे हैं। इन सभी का योगदान सराहनीय है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना शेष है, जिसके लिए पुरुषों को अपना पूरा सहयोग देना होगा। अब वे महिलाएँ नहीं हैं जो स्वयं पर हुए अत्याचारों और असुरक्षा का वर्णन करने वाली पुस्तकों की रचना करती थी, आज की भारतीय नारी की रचनाओं को पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो आकांक्षी पुरुष लेखकों को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वे कितनी प्रतिभाशाली तथा क्षमतावान हैं।

भारतीय समाज आज कल्पना चावला, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, बरखा दत्त, शबाना आज़मी इत्यादि जैसी आज के भारत की असाधारण महिलाओं को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। निश्चित ही एक ऐसे समाज में जहाँ एक समय महिला का शिक्षित होना आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता था, यह आश्चर्य जैसा ही प्रतीत होता है कि आज विद्यालयों में शिक्षा देने का अधिकांश दायित्व महिलाएँ ही उठा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर महाविद्यालयों में प्राध्यापक होने वाली महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर जो यह उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और आज महिलाएँ कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में बेहतर कार्य करने वाली मानी जाती है।

इन सभी उपलब्धियों के अलावा आज महिलाओं के सामने अनेक ऐसे अवसर उपलब्ध हैं जो एक समय उनके लिए स्वप्न जैसे थे। एक समय की वह गहरी अंधेरी सुरंग आज अवसरों, उपलब्धियों और समानता के प्रकाश की ओर ले जाने वाली राह बन गई है। भारत में महिलाओं का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित प्रतीत होता है और उनकी भूमिका पत्नी, माँ, पुत्री तक ही सीमित न रहकर बहुत विस्तृत हो गई है।

भारतीय समाज के विविध पक्षों में महिलाओं की भूमिकाओं को हम नीचे दिये गये शीर्षकों के अंतर्गत रखकर देख सकते हैं।

इतिहास में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in History)*

ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो हम पाते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को अध्ययन का अवसर मिलता था और उन्हें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन भारत के अध्ययन से जुड़े विद्वानों का मानना है कि उस काल में महिलाओं को जीवन के सभी

Copyright- Drishti The Vision Foundation

क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक ऋचाएँ यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवत: उन्हें अपना पति चुनने की भी स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। अध्ययनों के अनुसार वैदिक काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलता था। हालाँकि बाद में लगभग 500 ईसा पूर्व (विशेषकर मनुस्मृतिकाल) में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गयी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि विदेशी आक्रांताओ की वजह से भी महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों में गिरावट आई और भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा होने पर विधवा के रूप में ही पूरा जीवन व्यतीत करना आदि सामाजिक जीवन का एक हिस्सा बन गयी थी। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियों या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता था। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रज़िया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनीं। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ़ खान से लड़कर अपनी जान गँवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी की वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मराठा योद्धा शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण सम्मान दिया जाता है। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गाँवों, शहरों और जिलों पर शासन किया तथा सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की।

मध्यकाल में कई महिला संत भी हुईं जिनमें मीराबाई और सूफी लाल देद भक्ति आंदोलन के सबसे महत्त्वपूर्ण चेहरों में से एक थीं। कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सह-शासिका बेगम हज़रत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इनकार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयीं। भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया।

अंग्रेज़ी शासन के दौरान सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई आदि ने महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की। चंद्रमुखी बसु, कादंबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल कीं। भारत की आज़ादी के संघर्ष में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देशमुख, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झाँसी की रानी रेजीमेंट में कैप्टेन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक महिला बटालियन ही मौजूद थी।

राजनीति में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in Politics)*

राजनीति में महिलाओं की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के बतौर शासक होने के प्रमाण हमें क्षेत्रीय सत्ताओं में ही मिलते हैं लेकिन केंद्रीय सत्ता में पहली दमदार उपस्थिति हमें गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान में मिलती है जिसे उसके पिता इल्तुतमिश ने योग्य पुरुष उत्तराधिकारी नहीं मिलने के कारण राजगद्दी सौंप दी थी। रजिया के बाद सदियों तक भारत का केंद्रीय शासन किसी महिला को नहीं मिला और न ही उसे कोई उच्च पद प्रदान किया गया। कुछ महिलाओं जैसे अकबर की धाय माँ माहम अंगा, जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ और शाहजहाँ की दो बेटियों जहाँआरा और रोशनआरा, आदि का राजनीतिक दबदबा अवश्य रहा लेकिन उनके पास कोई शासकीय पद नहीं था और वे पुत्र, पत्नी और पुत्री की प्रस्थितियों के कारण राजनीति में सक्रिय रहीं। ब्रिटिशकाल में सन् 1917 में महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिये भारत विषयक सचिव से मुलाकात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इनके अतिरिक्त आजादी की लड़ाई में सक्रिय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय महिलाओं सरोजिनी नायडू (1925) और नेल्ली सेन गुप्ता (1933) ने किया। भारतीय राजनीति में पहला बड़ा नाम इंदिरा गांधी का है जिन्होंने बतौर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके बाद से महिलाओं का एक बड़ा तबका राजनीति में सक्रिय हो गया। आज देश के पास महिला मुख्यमंत्रियों की लंबी सूची है और उनमें से कई ने कई बार प्रदेश की बागडोर भी संभाली है। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर महिलाएँ आसीन हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल सन् 2007 में बनीं।

लेकिन राजनीति में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू भी है। भारतीय महिलाओं द्वारा इतनी उच्च उपलब्धियाँ हासिल करने के बाद भी महिलाओं का शासन एवं नीति-निर्माण प्रक्रिया में बहुत कम योगदान रहता है। उन्हें महत्त्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों से दूर रखा जाता है और प्राय: उनके विचार जानने और यहाँ तक कि उनकी सहमति लेने का भी प्रयास नहीं किया जाता। महिलाओं

Copyright– Drishti The Vision Foundation

के पद पर आसीन होने के बावजूद उनके राजनीतिक फैसलों के पीछे उनके पिता, पुत्र या पति की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। कई राज्यों में यह सीमा अभी भी 33 प्रतिशत रखी गई है जबकि उनकी आबादी तकरीबन 50 प्रतिशत है। बिहार सहित कुछ ही राज्यों ने इस आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रखी है।

पहली लोकसभा (1952) के लिए हुए चुनावों में महिलाओं का प्रतिशत केवल पाँच फीसदी था जबकि पंद्रहवी लोकसभा (2009) में यह प्रतिशत बढ़ कर 10.9 हो गया। पहली लोकसभा की 499 सीटों में से केवल 22 पर ही महिलाएँ चुनीं गई। पंद्रहवीं लोकसभा तक आते-आते कुल 543 सीटों में से चुनीं गयी महिलाओं की संख्या 59 हो गयी। राज्यसभा के आँकड़ों को देखें तो पहली राज्यसभा (1952) में महिलाओं का कुल प्रतिशत 7.31 था जबकि 2009 में यह प्रतिशत बढ़कर 10.26 तक पहुँच गया। महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण का मुद्दा अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में चिंताजनक बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने पड़ोसी देश नेपाल और बंगलादेश की तुलना में कम है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in Education Sector)*

ऐतिहासिक रूप से महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों में साहस और उत्साह से भाग लेती रही हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। भारत के पौराणिक ग्रंथों में उच्च शिक्षित महिलाओं का वृहद् उल्लेख आता है। यहाँ तक कि भारत में शिक्षा की देवी के रूप में एक महिला ही पूजनीय मानी जाती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक प्रमाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से देखे जा सकते हैं। उस समय शिक्षा मौखिक दी जाती थी और महिलाओं का उसमें प्रतिनिधित्व होता था। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तब नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। शोध से विदित होता है कि महिलाएँ भी इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करती थीं। ये शिक्षण संस्थान पाँचवी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक खूब फले-फूले। धर्मशास्त्र, दर्शन, ललित कला, खगोल विज्ञान इत्यादि में महिलाओं की सहभागिता थी। लेकिन उस काल में शिक्षा समाज के एक वर्ग विशेष तक ही सीमित थी, सभी की पहुँच शिक्षा तक नहीं थी।

20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया ताकि वे अपनी संतान को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। 1906 में सरोजनी नायडू ने एक सभा को संबोधित करते हुए महिला शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित किया। इस समय तक महिलाएँ काफी बड़ी संख्या में सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगी थीं। रमाबाई रानाडे, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रामेश्वरी नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और वैष्णवी देवी जैसी महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की नई शुरुआत हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कहना था कि आप महिलाओं की स्थिति को देखकर किसी राष्ट्र की स्थिति का आंकलन कर सकते हैं। उनका मानना था कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा समय की मांग है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भारतीय महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक है और इसमें उतरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसका कारण नौकरी की उच्च आकांक्षा और माता-पिता का समर्थन है। आज महिलाओं की भूमिकाओं ने विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यालयों, न्यायालयों, पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लिंग परिदृष्य बदल दिया है। महिलाएँ हर जगह हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। देश में बिना किसी संगठित महिला आन्दोलन के यह क्रांति चुपचाप आश्चर्यजनक रूप से आई है। महिलाएँ अब अपने भविष्य की संभावनाएँ तलाशने लगी हैं। माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों के प्रति विश्वास और उनको दी गई स्वतंत्रता यह बताती है कि समय कितनी तेजी से बदला है।

बाहरी दुनिया के साथ संपर्क ने महिलाओं के दैनिक जीवन में उपलब्ध संभावनाओं का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज घर में और घर के बाहर निर्णय करने के लिए महिलाओं की स्थिति या उनको दी जाने वाली स्वयत्तता उनकी क्षमता पर निर्भर है।

जब महिलाएँ अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं तो अधिक धनार्जन भी करेंगी। जब महिलाएँ अधिक धनार्जन करेंगी तो वे इसे अपनी संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगी। जब महिलाओं का आर्थिक स्तर बढ़ेगा तो उन्हें घर में अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। जब महिलाओं के प्रभाव में वृद्धि होगी तो वे और प्रशिक्षण तथा अधिक आय प्राप्त करने जैसे अपने अधिकारों की मांग के प्रति अधिक मुखर हो सकेंगी। जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति में वृद्धि होगी तो उन्हें 'पुत्र उत्पन्न' करने जैसी पारंपरिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकेगी और दहेज जैसी कुरीति पर लगाम कसने में सहायता मिलेगी। जब पुत्र की आकांक्षा में कमी होगी तो परिवार में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और विवाह की आयु भी बढ़ जाएगी। जब स्वस्थ महिला का समय पर विवाह होगा तो उनकी संतान भी स्वस्थ होगी।

आने वाले दशकों में महिलाओं के जीवन में नए अभूतपूर्व अवसरों की संभावना है। नए माहौल से लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु मानव संसाधन विकास के नए प्रारूपों की आवश्यकता पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी में निरंतर और रचनात्मक नए

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विचारों को आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए। उनमें मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इन सभी के लिए यह अपरिहार्य है कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलें।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in Health)*

स्वास्थ्य देखभाल का सार चिकित्सा है। चूँकि यह देखभाल से सम्बद्ध है, इसलिए महिलाएँ स्वास्थ्य देखभाल के लिए आदर्श रूप से अनुकूल हैं। स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं की मांग बढ़ती ही जा रही है।

स्वास्थ्य उद्योग विकसित हो रहा है और स्वास्थ्य प्रणाली में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश में उपचार के मानकों की उन्नति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आज अधिकांश चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक, अन्य चिकित्सा कर्मी और प्रबंधन कार्य में महिलाओं की उपस्थिति को स्पष्ट देखा जा सकता है। इनमें से अनेक महिलाएँ परिचारिका (नर्स) के रूप में कार्यरत हैं जो जटिल देखभाल के उन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहाँ गंभीर रूप से बीमार रोगियों पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है।

जब मातृ और शिशु कल्याण की बात आती है तो महिलाओं को स्वाभाविक रूप से प्रथम वरीयता दी जाती है। ये वे जटिल क्षेत्र हैं जिनमें भारत को सुधार करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्त्वपूर्ण घटक आशा कार्यकर्त्ता नाम से प्रचलित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम में एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराई जाती है। यात्रा शुरू हो चुकी है, परन्तु अभी बहुत से सेतु पार करने शेष हैं अर्थात् अभी काफी कुछ करना बाकी है। समय की यह मांग है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कार्यरत महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए ताकि इस क्षेत्र की समुन्नति के लिए उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके। चिकित्सकों, बुद्धिजीवियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को विचारों व नीतियों का आदान-प्रदान करना चाहिए तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महिला कर्मियों की उन्नति के लिए अन्य क्षेत्रों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखकर प्रयास करने चाहिए।

देश में नर्सिंग शिक्षा को इस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि उससे परिचारिकाओं को अपने करियर में उन्नति और विकास के लिए निरंतर शिक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त, चिकित्सालयों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनी महिला कर्मियों के मुद्दों को संवेदनशीलता से समझना चाहिए क्योंकि वे उनके सुचारू कार्य संचालन का अविभाज्य हिस्सा हैं। पोषण और संरक्षण के वातावरण में महिलाएँ स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र का नेतृत्व कर सकती हैं। वे अपनी अनुभवों का उपयोग कर ऐसी स्वास्थ्य-देखभाल व्यवस्था बनाने में सहायता कर सकती हैं जो राष्ट्र के स्वास्थ्य की ढाल बनकर रक्षा कर सके।

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in Economy)*

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभाती आई हैं। कृषि कार्य और उच्च बचत दर निर्माण सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हाल तक भारत की विकास दर उच्च रही है और इसका कारण बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर है। भारत में बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत है, जिसमें 70 प्रतिशत घरेलू बचत और 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र की बचत तथा 10 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का योगदान है। बचत, उपभोग-अभिवृत्ति और पुनर्चक्रण-प्रवृत्ति के मामले में कोई संदेह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केन्द्रित है। कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55% से 66% तक है। डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94% है। वन-आधारित लघु-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51% है।

ग्रामीण महिलाओं को श्रम के मामले में दोहरी भूमिका का निर्वहन करना होता है। उनकी एक भूमिका परिवार की भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की होती है तो दूसरी ओर उन्हें जरूरत पड़ने पर खेती के कार्यों में सहयोग देना होता है। शहरों में रहने वाली महिलाओं की श्रम के क्षेत्र में भूमिका भिन्न है। यहाँ पर मोटे तौर पर श्रमिक महिला और घरेलू महिला के दो वर्ग हैं।

यह प्रश्न सामने आता है कि आने वाले समय में 'थर्ड बिलियन' यानी दुनिया की तीन अरब महिलाएँ किस प्रकार की भूमिका निभाएंगी और दुनिया की सरकारी व पूंजीवादी संस्थाएँ उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन देंगी या फिर उनके मार्ग को रोकने की कोशिश करेंगी? पिछले दिनों अंतराष्ट्रीय परामर्श व प्रबंधन संस्था 'बूज एंड कम्पनी' ने 'थर्ड बिलियन इंडेक्स' नाम की अपनी एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि अगले एक दशक में दुनिया के कुल कार्यबल में एक अरब महिलाएँ शामिल होंगी, लेकिन आर्थिक सशक्तीकरण तथा पेशेवर सफलता के मामले में उनके सामने काफी चुनौतियाँ भी आएंगी। थर्ड बिलियन शब्द विकासशील और औद्योगिक देशों की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, उत्पादक, कर्मचारी और उद्यमियों का स्थान ग्रहण कर पहली बार अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होंगी। कम से कम भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर इन महिलाओं का प्रभाव महत्त्वपूर्ण तरीके से पड़ने की आशा की जा सकती है क्योंकि इन देशों में इनकी आबादी लगभग एक अरब से अधिक है।

अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोगकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में दिनोंदिन विस्तार होता जा रहा है। एयरलाइंस एक बड़ा सेवा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं को अच्छा व्यक्तित्व, संचार कौशल और कंप्यूटर योग्यता के साथ प्राथमिकता

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

मिलती है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, वेस्टर्न मनी ट्रांसफर, टेलर प्रणाली और ई बैंकिंग प्रणालियाँ तेजी से विकसित हुई हैं। इन कार्यों को महिलाएँ कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के साथ संभव बना रही हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आईटी के जरिए महिलाओं के लिए अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है। मोबाइल फोन, इन्टरनेट आदि की सुविधा के साथ अन्य सेवाओं में भी महिलाओं की मांग अत्यधिक बढ़ रही है। मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन (Transcription) सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएँ ही इलाज और संबंधित चिकित्सा शर्तों को समझाती हैं। ई-पुस्तकों में नए कैरियर, ई-पत्रिकाएँ, ई-प्रकाशन और वेब डिजाइन वर्तमान परिदृश्य में लोकप्रिय हैं जहाँ महिलाओं की संख्या और उनकी भूमिका तेजी से बढ़ी है। थर्ड बिलियन इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि महिलाओं के रोजगार की दर पुरुषों की रोजगार दर के सामान हो तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। विदित है कि महिलाओं और पुरुषों की रोजगार-दर में समानता लाकर संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र सरीखी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अपने सकल घरेलू उत्पाद में क्रमश: 12 और 34 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। कमोबेश ऐसा ही विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ भी हो सकता है। महिलाओं की रोजगार दर को पुरुषों की रोजगार दर के समान लाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत और जापान की अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था के दरवाजे के बाहर खड़ी भारतीय महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि "अधिकांश भारतीय महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सेवा, परिवहन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं है। अगर भारत अपनी महिला जनसंख्या को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है तो उसे इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालाँकि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अच्छा-खासा जोर दिया गया है लेकिन भारत में विनिर्माण का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए व्यावसायिक रूप से दक्ष लोगों की आवश्यकता है, जबकि देश की शिक्षा व्यवस्था इस मामले में मांग के अनुरुप पूर्ति नहीं कर पा रही है।"

11वीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पर बने एक कार्यकारी समूह के अनुसार वैश्वीकरण ने महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाला है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के बढ़ने और सेवाओं के निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सामूहिक रूप से महिलाएँ पीछे रह गई हैं और इसकी सफलता से होने वाले लाभ उठाने में असफल रही हैं। नए और अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल आवश्यक होगा, इससे इन क्षेत्रों में महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि कार्य के लिए महिलाओं को शहरों और महानगरों में आने के लिए प्रवृत्त किया जाए। सुरक्षित आवास तथा कार्यस्थल पर लिंगभेद रहित सुविधाएँ प्रदान करना भी आवश्यक होगा।

महिलाओं की भूमिकाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं जिन पर अमल किये जाने की आवश्यकता है:

- सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए ऐसा वातावरण बनाना जो उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाए।
- पुरुषों के साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में मानवाधिकारों का वैधानिक और वास्तविक उपभोग के समान अवसर प्रदान किया जाए।
- देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सहयोग तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए।
- स्वास्थ्य, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता का समान उपयोग, करियर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार में समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक कार्यालय आदि तक समान पहुँच हो।
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के उद्देश्य से वैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।
- पुरुषों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक व्यवहार और समुदाय प्रथाओं में परिवर्तन।
- विकास और प्रक्रिया में लिंग दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना।
- महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव तथा सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन।
- नागरिक समाज के साथ भागीदारी का निर्माण और उसे सुदृढ़ बनाना, विशेषकर महिला संगठनों के साथ।

मीडिया में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in Media)*

हाल के दिनों में मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ी है। शिक्षा और नर्सिंग के बाद मीडिया आधुनिक युग में ऐसा क्षेत्र बन कर उभरा है जहाँ महिलाएँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक संख्या में काम करती हैं। भारतीय मीडिया में महिलाओं की भागीदारी को दुनिया के विकसित देशों की मीडिया से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भारतीय मीडिया में महिलाओं की स्थिति अमेरिका, ब्रिटेन आदि विकसित देशों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, जबकि हमारी सामाजिक संरचना अन्य देशों से काफी भिन्न है। युद्ध रिपोर्टिंग में आज भी भारत की बरखा दत्त और अमेरिका की क्रिस्टियाना का नाम है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाएँ पुरुषों से आगे हैं। आप टीवी पर किसी भी समय समाचार चैनलों को एक-एक कर देखेंगे तो अधिकांश में महिलाएँ

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एंकरिंग करती दिखाई देंगी। समाचार वाचन हो या रिपोर्टिंग, स्क्रिप्ट लेखन हो या फिर प्रोडक्शन सभी जगह पर महिलाएँ हैं।

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मीडिया स्टडीज़ ग्रुप के अनुसार भारतीय मीडिया में जिला स्तर पर औसतन केवल 2.70 प्रतिशत महिलाएँ ही काम कर रही हैं। सर्वे के आँकड़ों के अनुसार 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर कार्यरत महिला पत्रकारों, संवाददाताओं और संपादकों का प्रतिशत शून्य है। इन राज्यों में असम, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडीसा और मणिपुर शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी और दमन एवं दीव शामिल हैं। इन प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला स्तर पर यहाँ कोई मान्यता प्राप्त महिला पत्रकार नहीं है। अधिकतर लोकप्रिय व मुख्यधारा का दर्जा प्राप्त मीडिया संस्थानों में भी जिला स्तर पर कार्यरत महिला पत्रकारों की संख्या नहीं के बराबर है। इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मीडिया संस्थान प्रसार भारती के ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति सबसे बेहतर है। जिला स्तर पर उसके मान्यता प्राप्त महिला संवाददाताओं की संख्या छह पाई गई हैं। प्रथम दस राष्ट्रीय और भाषाई दैनिक अखबारों में मान्यता प्राप्त महिला पत्रकारों के आँकड़ों पर नजर डालें तो अधिकतम मान्यता प्राप्त महिला पत्रकार स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर के अखबारों या मीडिया संस्थानों से जुड़ी हैं।

हालाँकि पिछले कुछ समय के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग्लैमर इस तेजी से बढ़ा है कि ज्यादातर लड़कियाँ इसी में अपना करियर बनाना चाहती हैं लेकिन इस क्षेत्र में आने से पहले जो तैयारी, सोच और सरोकार चाहिये वे नहीं दिख रहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं की संख्या न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में तेजी से बढ़ी है। रूस और स्वीडन जैसे देशों में तो महिला मीडियाकर्मियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जर्मनी में महिला पत्रकारों की संख्या पुरुष पत्रकारों की संख्या के लगभग बराबर है और ज्यादातर टीवी शो की एंकरिंग भी महिलाएँ ही करती हैं। भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई जगहों पर महिलाएँ पुरुषों से आगे चल रही है। यहाँ पर भी न्यूज चैनलों में अधिकांश समय महिला एंकर दिखती है लेकिन आवश्यकता है इनकी सहभागिता और भूमिका को और अधिक बढ़ाने की क्योंकि महिलाओं की उन्नति के लिए बुलंद आवाज़ महिलाएँ ही बेहतर तरीके से उठा सकती हैं।

खेल में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in Sports)*

खेल में भारतीय महिलाओं की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इस स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक से हुई जब एथलेटिक्स खिलाड़ी मेरी लीला रो (Mary Leela Row) ने इसमें शिरकत की। उसके बाद कमलजीत संधू ने 1970 में संपन्न हुये एशियाड में 400 मीटर में ऐसी पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं के खेल में भाग लेने की भूमिका में बड़ा बदलाव केरल की धाविका पी. टी ऊषा के आगमन के बाद हुआ। उड़नपरी और पायली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुई ऊषा को 1982 के एशियाड और उसके बाद की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मिली सफलता से यह साबित हो गया कि भारत की महिलाएँ भी एथलेटिक्स में बड़ी भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हैं। ऊषा 1984 के ओलम्पिक खेल में 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक हासिल करने में सेकंड के सौवें हिस्से से चूक गई लेकिन उनका इस मुकाम तक पहुँचना कई महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का कारण बना। ओलम्पिक में महिला खिलाड़ी को पदक हासिल करने का सौभाग्य भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को मिला। उन्होंने 2000 में हुये सिडनी ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता।

समकालीन दौर में मुक्केबाज मैरीकॉम, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल, चक्का फेंक खिलाड़ी कृष्णा पूनिया, निशानेबाजी में राही सरनोबत, शतरंज में तानिया सचदेव, तीरंदाजी में डोला बनर्जी, पहलवान गीता फोगाट, क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल आदि ने विश्व स्तर दुर्लभ उपलब्धियाँ हासिल की हैं। व्यक्तिगत स्पर्द्धाओं के अलावा टीम स्पर्द्धाओं में भी भारतीय महिला हॉकी टीम व महिला क्रिकेट टीम ने महत्त्वपूर्ण सफलताएँ अर्जित की हैं।

लेकिन महिलाओं के कौशल और योग्यता सिद्ध करने के बावजूद खेल स्पर्धाओं में महिलाओं द्वारा बहुत कम संख्या में भाग लिया जा रहा है। इनमें सर्वप्रमुख कारण देश में महिला खिलाड़ी में कौशल विकसित करने का पर्याप्त ढाँचा उपलब्ध नहीं है और सामाजिक तौर पर महिला खिलाड़ियों को प्राय: उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है जितना पुरुष खिलाड़ियों को मिलता है। इसके अलावा पारिवारिक ढाँचा, गरीबी व परंपराएँ भी महिला खिलाड़ी के आगे बढ़ने में प्रमुख बाधाएँ हैं।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

इकाई-3

महिलाओं की समस्याएँ और उनके रक्षोपाय
(Women's Problems and their Remedies)

****(इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-1 के विषय संख्या 7 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)*

स्वतंत्र भारत में महिलाएँ तुलनात्मक रूप से सम्मानजनक स्थिति में हैं। कुछ समस्याएँ जो सदियों से महिलाओं को हमेशा परेशान कर रहीं थीं, अब नहीं पायी जाती हैं। बाल-विवाह, सती-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर निषेध, विधवाओं का शोषण, देवदासी प्रथा, पर्दा-प्रथा आदि कुरीतियाँ अब लगभग समाप्त हो गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, आधुनिकीकरण और इसी तरह के विकास से महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अब महिलाएँ समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। इसके विपरीत, बदलते परिदृश्यों ने महिलाओं के लिए नई समस्याएँ पैदा किया है। वे अब नए तनावों और दबावों से घिरी हुई हैं। आज की महिलाओं की कुछ प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण यहाँ नीचे किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध *(Crimes Against Women)*

जब हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किए जाते हैं। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के तहत मुख्य तौर पर निम्नलिखित अपराधों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है-

(i) बलात्कार (Rape) (ii) अपहरण या भगा ले जाना (iii) दहेज हत्या (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक) (v) छेड़छाड़ (Molestation) (vi) यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) (vii) लड़कियाँ मँगवाना या लाना (Importation of Girls)

महिलाओं और लड़कियों को जीवन में अपराध का सामना कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार और कथित ऑनर किलिंग के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में हो सकती है। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या सम्पत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेत्तर संबंधों के अपराध में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनके सिर मुड़ाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। भारत में 45 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। दहेज से संबंधित मामलों में उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेजाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेड़छाड़ महिलाओं से जुड़ी समस्याएँ हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि न तो उस समय और न ही घटना के बाद इसका ज़िक्र करती हैं। महिलाएँ न तो घर में अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती हैं और न पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं। प्राय: वे समझती हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा ही होता आया है और इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

महिलाओं के संपूर्ण जीवन-चक्र में उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं के विभिन्न स्वरूप *(Various forms of violence against women throughout the life cycle)*

अवस्था		हिंसा के स्वरूप
गर्भधारण पूर्व	–	क्रोमोसोम चयन तकनीक के जरिए कन्या भ्रूण नहीं आने देना
जन्म से पूर्व	–	लिंग विशिष्ट गर्भपात करवाना।
शिशु अवस्था	–	बालिका शिशु हत्या।
बालिकावस्था	–	बाल विवाह, शारीरिक-मानसिक एवं यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार, बाल वेश्यावृत्ति तथा अश्लील फिल्म निर्माण।
किशोरावस्था तथा युवावस्था	–	डेटिंग व प्रेम-प्रसंग संबंधी हिंसा, जैसे–ऐसिड फेंकना तथा डेट-रेप, आर्थिक रूप से मजबूर होकर यौन संबंध बनाना, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बलात्कार, यौन अत्याचार, वेश्यावृत्ति व अश्लील फिल्म

Copyright– Drishti The Vision Foundation

		निर्माण, दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, स्कूल में छात्राओं एवं शिक्षिकाओं के साथ छेड़खानी ,एवं बलात्कार, रेल, बस एवं पार्कों में बलात्कार तथा बलात् गर्भपात, ऑनर किलिंग।
प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था	–	विधवाओं एवं वृद्ध महिलाओं द्वारा आत्महत्या, शारीरिक-मानसिक एवं यौन शोषण और प्रताड़ना।

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतमक क्राईम इन इंडिया-2011 नामक दस्तावेज के अनुसार-

- *देश में साल 2011 में महिलाओं के साथ अपराध की कुल 228650 घटनाएँ दर्ज हुईं जबकि साल 2010 में महिलाओं के साथ अपराध की कुल 213585 घटनाएँ दर्ज हुईं थीं।*
- *महिलाओं के साथ आपराधिक कर्म की सर्वाधिक घटनाएँ (12.7%) पश्चिम बंगाल से प्रकाश में आईं जबकि त्रिपुरा में महिलाओं के साथ अपराधिक कर्म की दर.(क्राईम रेट) सर्वाधिक (37.0) रही। इस मामले में राष्ट्रीय औसत 18.9 का है।*
- *महिलाओं के साथ आपराधिक कर्म का प्रतिशत आईपीसी के अंतर्गत आने वाले कुल अपराधिक कृत्य की तादाद में पिछले पाँच सालों में बढ़ा है। साल 2007 में महिलाओं पर होने वाले अपराधों का प्रतिशत कुल अपराधों में अगर 8.8% तो साल 2011 में 9.4% था।*
- *मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार (3,406), छेड़खानी (6,665), और इम्पोर्टशन (आईपीसी की धारा -366-B) की घटनाएँ, (45) देश में सर्वाधिक हुई। इनका प्रतिशत क्रमशः 14.1%, 15.5% और 56.3% रहा।*
- *आंध्रप्रदेश में महिलाओं के साथ यौन दुराचार की 42.7% (3,658) घटनाएँ हुईं।*
- *महिलाओं के अपहरण 21.2% (7,525) और उनकी दहेज-हत्या के सर्वाधिक मामले 26.9% (2,322) उत्तरप्रदेश में प्रकाश में आये।*
- *महिलाओं के साथ आपराधिक कृत्य के कुल मामलों में 13.3% (4,489) दिल्ली में, 5.6% (1,890) बंगलुरु में और 5.5% (1,860) हैदराबाद में प्रकाश में आये।*

महिलाओं के प्रति अपराध के लिए उत्तरदायी कारण *(Causes, Responsible for Crimes Against Women)*

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा के लिए उत्तरदायी कारणों को हम मुख्य रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं–

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण (Social and Cultural Causes)

इसकी जड़ें पुरुषवादी सामाजिक संरचना या पितृसत्ता में खोजी जा सकती है। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता है। इसी बात का सहारा लेकर महिलाओं के मूल्य एवं गरिमा को कम करके आँका जाता है और आजीवन उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

समाज में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया लिंग-भेद के आधार पर टिकी होती है। अक्सर देखा जाता है कि बचपन से ही परिवार एवं समाज द्वारा बालक एवं बालिका शिशुओं के समाजीकरण की प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता है, बालकों को मेले से खिलौने के रूप में बंदूक दिलाई जाती है जबकि एक बच्ची को उसी मेले से खिलौने वाली शृंगार की डिब्बी (Kit) दिलाई जाती है। इस तरह एक बालिका शिशु बचपन में ही सजने-सँवरने का अभ्यास करने लगती है क्योंकि समाज द्वारा हमेशा से ही महिला सदस्यों में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के बजाय उनमें नारी सुलभ-कोमलता के अधिकाधिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों को परिवार या समाज की ऐसी महिलाओं को आदर्श बनाकर अच्छे-बुरे के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जो महिलाएँ कष्टों के बावजूद परिवार की सेवा करती हैं तथा अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की कभी भी शिकायत नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं की बेबशी एवं डर से भरी चुप्पी को सहनशीलता के महान गुण के रूप में महिमामंडित किया जाता है।

परिवार और समाज में महिला और पुरुष के लिए भूमिकाएँ भी निर्धारित होती हैं। महिलाएँ घर के अंदर काम करती हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य को परिवार में सबसे कम श्रम-साध्य एवं अकुशल कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार अथवा समाज में सभी महत्त्वपूर्ण कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि महिलाओं में निर्णय लेने तथा विशेष कौशल वाले कार्य करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता नहीं होती है। ऐसी बातें महिलाओं के अंदर एक पराश्रित एवं पराधीन मानसिकता का विकास करती है और इस तरह वे पुरुषों को हमेशा श्रेष्ठता की दृष्टि से देखती हैं।

इसके अलावा समाज में महिलाओं से हर रूप में कुछ भूमिकाएँ अपेक्षित होती हैं। घर की बहू-बेटी घर-परिवार की इज्जत होती है और इसलिए उसे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की इज्जत या प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लगे। जबकि परिवार में ही पति, पिता, भाई, चाचा एवं सगे संबंधी उसे छोटी-छोटी बातों के लिए भी कठिन से कठिन यातनाएँ देते हैं और उस

Copyright– Drishti The Vision Foundation

समय वह घर परिवार की इज्जत व मान मर्यादा के प्रतीक चिह्न की बजाय दुनिया की सबसे मूर्ख, बुद्धिहीन एवं निरंतर प्रताड़ना योग्य एक निकृष्ट जीव बन जाती है।

परंपरागत रूप से महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता का गुणगान भी पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति किये जाने वाले दुर्व्यवहार को मान्यता प्रदान करती है। जैसे रामचरितमानस में ही कहा गया है कि– ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अतः हमारे धार्मिक ग्रंथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को मान्यता देते हैं।

समाज में परंपरागत रूप से अंतर्निहित महिला और पुरुष के बीच शक्ति के असमान वितरण को भी इसके लिए उत्तरदायी-कारक माना जा सकता है। पुरुष प्रधान समाजों में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्यों में कभी भी नेतृत्वकारी भूमिका (Leadership role) प्रदान नहीं की गई।

पुरुषों द्वारा हमेशा ही महिलाओं को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के छल-प्रपंचों का सहारा लिया गया, जिनमें शारीरिक बल प्रयोग द्वारा महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहारों की प्राथमिक भूमिका रही है।

आर्थिक कारण (Economic Causes)

प्राचीनकाल से लेकर बहुत हद तक आधुनिक समय तक (ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग अब भी पूरी तरह से) आर्थिक दृष्टि से महिलाएँ पत्नी, पुत्री एवं माँ जैसे अपने विभिन्न रूपों में हमेशा अपने पति, पिता एवं पुत्र पर निर्भर रही हैं। वर्तमान समय में शिक्षित एवं सभ्य परिवारों के घर की महिलाएँ विशेषकर माताएँ एक मिथ्या-चेतना (False Consciousness) का शिकार रहती हैं कि वह ही परिवार की मुखिया हैं और पूरी संपत्ति उसी के अधीन है तथा उसे ऐसा एहसास भी दिलाया जाता है जबकि ऐसे अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि पूरी संपत्ति की मुखिया होते हुए भी वह पति की आज्ञा के बिना कोई खर्च नहीं करती जबकि पति को ऐसी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आर्थिक अभावग्रस्तता के डर से अधिकांश महिलाएँ अपने उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती हैं। इसके अतिरिक्त नकद एवं साख के रूप में वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार तक सीमित पहुँच, महिलाओं के लिए रोजगार विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रमों की सीमित संख्या आदि अन्य कारण हैं जिससे महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है।

विधिक कारण (Legal Causes)

विवाह, तलाक एवं बच्चों की परवरिश के संबंध में जटिल कानून, प्रभावी कानूनों की अपर्याप्तता तथा विद्यमान कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, विद्यमान कानूनों के बारे में जागरूकता का अभाव या फिर इनकी जानकारी कुछ शिक्षित महिलाओं तक ही सीमित होना, कानून का भय न होना, पुलिस एवं न्यायपालिका की उदासीनता आदि कारणों से भी महिलाएँ कमजोर स्थिति में हैं और वे स्वयं के प्रति हुए अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाती हैं।

राजनीतिक कारण (Political Causes)

उच्च स्तरीय राजनीति, जैसे– केन्द्र स्तर पर नीति-निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करके महिला अधिकारों की रक्षा करने हेतु महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में स्थानों के आरक्षण का अभाव, विशिष्ट महिला दवाब समूहों का अभाव, संगठित राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की बहुत ही सीमित सहभागिता आदि।

महिलाओं के प्रति अपराध के परिणाम *(Consequences of Crimes Against Women)*

महिलाओं के साथ होने वाले हिंसक व्यवहारों का महिलाओं तथा समाज पर विविध प्रभाव परिलक्षित होते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

- हिंसक व्यवहारों के चलते महिलाएँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा कार्य करने जैसे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाती हैं।
- निरंतर यातना से उत्पन्न कष्ट तथा भावनात्मक विक्षुब्धता की स्थिति में महिलाओं में एकांत में रहने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यातनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न मनोवैज्ञानिक आघात के चलते जीवन के हर क्षेत्र में उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। प्रताड़ित महिलाओं द्वारा आत्महत्या के मामले अक्सर सुनने में आते हैं और ऐसे मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित एक महिला की कार्यक्षमता प्रभावित होने से ऐसी महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कुछ महिलाएँ मजबूरन अथवा दबाववश अनैतिक व्यापार तथा अश्लील फिल्म निर्माण (Pornography) में शामिल हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं के नशे के आदी होने तथा एड्स से प्रभावित होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने हेतु सुझाव
(Suggestions to Prevent Crimes Against Women)

इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित सुझावों को शामिल कर सकते हैं–

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक निर्णय में देरी के चलते ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन न मिल सके। इसके अतिरिक्त 'महिला जाँच ब्यूरो' जैसी इकाइयों की स्थापना भी इस दिशा में एक कारगर कदम होगा।
- पुलिस विभाग में अधिकाधिक महिला कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए तथा महिलाओं से संबंधित मामलों की देखरेख एवं निपटान के लिए जहाँ तक संभव हो महिला अधिकारियों एवं कर्मियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। विशेष महिला थानों की स्थापना की जानी चाहिए। देश भर में कई राज्यों द्वारा महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों की देखरेख हेतु 'क्राइम अगेंस्ट वूमेन सेल' का गठन किया गया है।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए विशेष पुलिस इकाई (Dedicated Police Unit) का गठन किया जाना चाहिए। इससे मामलों में तेजी से सुनवाई संभव हो सकेगी।
- पीड़ित महिला को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए। इनमें सख्त सज़ा एवं जुर्माना (Penalty) का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- पीड़ित महिलाओं के राहत एवं पुनर्वास के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष (National Fund) का गठन किया जाना चाहिए।
- महिला आरक्षण विधेयक सरीखे कानूनों को पारित किया जाना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एक सशक्त जनमत का निर्माण किया जा सके। साथ ही पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर छात्राओं के लिए कुंग फू/जूडो-कराटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कुछ मामलों में जिनमें महिलाओं को लैंगिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है वे इसका सशक्त विरोध कर सकें।
- टी.वी., रेडियो, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से जन-जागरूकता अभियानों का संचालन एवं प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कूलों, कॉलेजों तथा गाँवों में उक्त कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा बैठकों के आयोजन इत्यादि के माध्यम से इस समस्या के खिलाफ जनमत का निर्माण करना चाहिए। साथ ही इन्हीं माध्यमों का उपयोग महिलाओं के बीच अपने अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए भी किया जाना चाहिए।
- सरकारो को सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, बसों, रेलगाड़ियों, स्कूलों आदि में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार तथा ऐसिड फेंकने एवं ऐसे ही अन्य अत्याचारों के लिए सख्त कानूनों का निर्माण तथा प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मीडिया आदि संचार माध्यमों से स्त्री एवं पुरुष दोनों को यह समझाना चाहिए कि घरेलू कार्य करने वाली महिलाएँ अनुत्पादक नहीं हैं। इससे महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आयेगा।
- विभिन्न धर्मों के नेताओं को अपने-अपने धर्म के भीतर आधुनिक सुधारों के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। भारतीय समाज में सामान्य व्यक्ति धर्म से नैतिक और सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है, इसलिए धार्मिक सुधार इस समस्या से निपटने के लिए अच्छे उपाय हो सकते हैं।
- महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं का तीव्र विकास किया जाना चाहिए। यदि समाज में इस संबंध में जागरूकता पैदा हो सके तो इन सुविधाओं से महिलाओं को काफी बेहतर स्थिति में पहुँचाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-44 के अनुरूप समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- यदि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं अपराधियों को समाज अत्यंत घृणित दृष्टि से देखे और इनका सामाजिक बहिष्कार कर दे तो अन्य लोग ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे क्योंकि कानून से लड़ना आसान है पर समाज से लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

महिलाओं के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान
(Constitutional Provision to Protect Women)

संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

संविधान का अनुच्छेद-15(3) के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य सकारात्मक कदम (Affirmative Measure) उठा सकता है। लिंग विशिष्ट कानूनों (Gender Specific Laws) की उत्पत्ति का स्रोत संविधान का यही अनुच्छेद है।

संविधान का अनुच्छेद-21, प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसी के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सम्मिलित है।

नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-39 में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद-42 के तहत काम की उचित दशा एवं प्रसूति सहायता (Maternity Relief) का प्रावधान किया गया है।

घरेलू हिंसा *(Domestic Violence)*

घरेलू हिंसा की परिभाषा *(Definition of Domestic Violence)*

सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत महिलाओं को पहुँचायी गयी शारीरिक हानि को माना जाता है। व्यापक संदर्भ में घरेलू हिंसा का संबंध केवल वर्तमान पतियों से ही न होकर पुरुष मित्रों, पूर्व-पतियों या परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। इस तरह से घरेलू हिंसा पीड़ित (Victim) एवं अपराधी (Perpetrator) के संबंध को दर्शाता है। घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य महिलाओं को पराधीन बनाए रखना होता है। इसके लिए हिंसा के विभिन्न रूपों का सहारा लिया जाता है और शारीरिक, मानसिक, वित्तीय एवं लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nation Population Fund) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग दो-तिहाई विवाहित महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जबकि 15 से 49 आयु वर्ग की 70 फीसदी विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार अथवा बलात् यौन संबंधों की शिकार हैं। भारत में मुख्य रूप से बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान, मणिपुर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य उत्तरी राज्यों में 55 फीसदी से अधिक महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

घरेलू हिंसा की प्रकृति *(Nature of Domestic Violence)*

यदि घरेलू हिंसा की प्रकृति की बात की जाए तो इसमें महिलाओं को कई तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें प्रमुख तौर पर शामिल हैं-

- बच्चों एवं अन्य सगे संबंधियों के समक्ष बार-बार अपमान करना।
- परिवार में होने वाले हर भूल-चूक (Wrong) के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराना।
- छोटे-छोटे एवं नगण्य (Negligible) मामलों के लिए उन्हें दोषी ठहराना।
- बिना किसी गलती के भी कसूरवार (Guilty) ठहराना।
- तलाक की धमकी देना।
- उनसे झिड़की देने वाला बर्ताव करना।
- उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना।
- माता-पिता, दोस्तों एवं अन्य सगे संबंधियों से मिलने पर प्रतिबंध लगाना।
- पारिवारिक मामलों में अभिव्यक्ति का अधिकार न होना।
- उनके स्वास्थ्य के प्रति असावधानी (Negligence) बरतना।
- विवाहेत्तर संबंधों (Extra-Marital Relations) का संदेह करना।
- अपमान एवं अभद्र भाषा (Ugly Language) का प्रयोग करना।
- व्यवस्थित तरीके से घर की देखभाल न करने का आरोप लगाना।
- पारिवारिक पृष्ठभूमि (Family Background) की आलोचना कर उत्पीड़न करना।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कम बुद्धि (Intelligence) का बताना।
- पति द्वारा आत्महत्या करने की धमकी देना।
- शारीरिक बल प्रयोग की धमकी देना।

इन सबके अतिरिक्त उनके साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार किया जाता है। भावनात्मक दुर्व्यवहार या हिंसा (Emotional Violence) गाँवों के मुकाबले शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है।

घरेलू हिंसा के तहत आर्थिक दुर्व्यवहार (Economic Abuse) भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतया उन्हें नौकरी या रोजगार करने से रोका जाता है, वर्तमान नौकरी को छोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है, बलपूर्वक उनके पूरे वेतन को ले लिया जाता है, उसे बार-बार अपने माता-पिता के घर से धन-सम्पत्ति लाने के लिए कहा जाता है, अपनी पसंद का सामान खरीदने से रोका जाता है आदि।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कारण *(Reasons of Domestic Violence Against Women)*

घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में निम्नलिखित को शमिल किया जा सकता है–

1. दहेज का नहीं अथवा कम मिलना।
2. अपने माता-पिता के घर से धन-संपत्ति लाने से इंकार करना।
3. माता-पिता द्वारा शादी के अवसर पर किए गए वादे (Promises) पूरा न करना।
4. विवाहेत्तर संबंधों (Extra-Martial Relations) की शंका होना।
5. शादी-पूर्व प्रेम संबंधों (Pre-Marital love affairs) की शंका होना।
6. यौन उत्पीड़न (Sexual Abuse) का विरोध करना।
7. गर्भधारण के अयोग्य होना (Unfit for Conception)।
8. एक या एक से अधिक बार कन्या (Female-child) को जन्म देना।
9. पति का बेरोजगार होना।
10. कार्यस्थल पर पति की समस्या।
11. महिलाओं के आगे बढ़ने से घर के अन्दर पुरुष सदस्य द्वारा अपने को परंपरागत स्थिति में नहीं पाना।
12. महिलाओं द्वारा अच्छे कपड़े पहनना।
13. अन्य महिलाओं से पति का संबंध होना।
14. उन्मुक्त स्वभाव का होना।
15. पति का शराबी होना (Husband's Alcoholism)–यह कारण घरेलू हिंसा के लगभग एक चौथाई मामलों के लिए उत्तरदायी है।

ध्यातव्य है कि घरेलू हिंसा के लिए कोई एक कारण ही जिम्मेदार नहीं होता बल्कि यह कई कारणों का मिला-जुला (Mixed) परिणाम होता है।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के परिणाम *(Consequences of Domestic Violence Against Women)*

महिलाओं के साथ होने वाले हिंसक व्यवहारों का महिलाओं तथा समाज पर विविध प्रभाव परिलक्षित होते हैं, जैसे–

- हिंसक व्यवहारों के चलते महिलाएँ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा तथा कार्य करने जैसे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाती हैं।
- निरंतर यातना से उत्पन्न कष्ट तथा भावनात्मक विक्षुब्धता की स्थिति में महिलाओं में एकांत प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। घरेलू हिंसा के साथ-साथ अन्य यातनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न मनोवैज्ञानिक आघात के चलते जीवन के हर क्षेत्र में उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस तरह की प्रताड़ित महिलाओं द्वारा आत्महत्या के मामले अक्सर सुनने में आते हैं और ऐसे मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप महिलाएँ तनाव, चिंता, अवसाद, नींद न आना, धड़कन बढ़ना (Palpitation), शारीरिक थकावट, आतंक, गंभीर सिर दर्द, आदि से ग्रसित हो जाती हैं। कई महिलाएँ मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं।
- परिवार के बीच हार्दिक (Cordial) संबंध समाप्त हो जाता है। वैवाहिक संबंधों में तनाव आ जाता है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पीड़ित महिला में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उभर सकती है।
- पीड़िता का सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। उसका परिवार भी इससे प्रभावित होता है।
- विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित एक महिला की कार्यक्षमता प्रभावित होने से ऐसी महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के विरोधस्वरूप घर छोड़ने वाली महिलाओं द्वारा शीघ्रता से आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों के चलते उनका जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। इस तरह की कुछ महिलाएँ मजबूरन अथवा दबाववश अनैतिक कार्यों में शामिल हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं का नशे के आदी होने तथा एड्स से प्रभावित होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।
- विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का एक अन्य दुष्प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से बच्चों का भावनात्मक जुड़ाव माँ के साथ अधिक होता है। जब तक माँ के साथ घर में होने वाला अत्याचार बच्चे के सामने नहीं आता तब तक वह सामान्य रहता है। प्रताड़ित महिला भी कभी-कभी कुछ देर के लिए मानसिक अशांति की स्थिति में स्वयं भी बच्चों के साथ असामान्य व्यवहार करती है, जिससे भी वे भावनात्मक रूप से आहत होते हैं लेकिन माँ के साथ होने वाला यह व्यवहार जब कभी भी उसके सामने आता है तो उसका कारण जाने बिना भी वह भावनात्मक रूप से अशांत हो जाता है और इस तरह की भावनात्मक अशांति का प्रभाव एक बालक के जीवन में दीर्घकालिक रूप से कई प्रकार के विचलनात्मक व्यवहारों के रूप में परिलक्षित होता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
(Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005)

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत में "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" बनाया गया है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को स्पष्ट करते हुए इसे निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

1. शारीरिक हिंसा
2. लैंगिक हिंसा
3. मौखिक और भावनात्मक हिंसा
4. आर्थिक हिंसा

1. **शारीरिक हिंसा (Physical Violence):** इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवहारों को शामिल किया गया है– (i) मारपीट करना (ii) थप्पड़ मारना (iii) ठोकर मारना (iv) दाँत से काटना (v) लात मारना (vi) मुक्का मारना (vii) धकेलना (viii) किसी अन्य तरह से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना आदि।
2. **लैंगिक हिंसा (Sexual Violence):** इसके अंतर्गत निम्नांकित व्यवहारों को रखा गया है–
   (i) बलात् लैंगिक मैथुन।
   (ii) अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीर देखने के लिए विवश करना।
   (iii) दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने हेतु लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य कार्य करना जिससे सम्मान को चोट पहुँचती हो।
3. **मौखिक और भावनात्मक हिंसा (Verbal and Emotional Violence):** इसके अंतर्गत निम्नांकित व्यवहारों को रखा गया है–

   (i) अपमान करना (ii) गालियाँ देना (iii) चरित्र और आचरण पर दोषारोपण (iv) पुत्र न होने पर अपमानित करना (v) दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानित करना (vi) नौकरी करने से निवारित करना (vii) नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालना (viii) विवाह नहीं करने की इच्छा पर भी विवाह के लिए विवश करना (ix) पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना (x) किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए विवश करना (xi) आत्महत्या करने की धमकी देना (xii) कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार इत्यादि।
4. **आर्थिक हिंसा (Economic Violence):** अधिनियम में आर्थिक हिंसा के श्रेणी में जिन व्यवहारों को रखा गया है, वे इस प्रकार हैं–
   (i) बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना।
   (ii) बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ उपलब्ध न कराना।
   (iii) रोजगार करने से रोकना अथवा उसमें बाधा पहुँचाना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

(iv) वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि से अर्जित आय को ले लेना।

(v) वेतन, पारिश्रमिक का उपयोग करने से रोकना।

(vi) घर से निकलने के लिए विवश करना।

इसमें संयुक्त परिवार, विवाह, सपोत्र विवाह, गोद लेने पर आधारित संबंधों को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत माता, बहन, एकल महिला, विधवा या अन्य महिला जो किसी के साथ रह रही हो, संरक्षण पाने की अधिकारी है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत किसी महिला या उसके रिश्तेदार से दहेज मांगने को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता महिलाओं को आवासीय सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। पीड़ित अपने माता-पिता के घर या अन्य संयुक्त आवास (Shared Household) में रहने की अधिकारी होगी। इस अधिनियम के तहत पीड़ित को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए न्यायालय संरक्षण आदेश (Protection Order) दे सकता है। सुरक्षित आश्रय, विधिक सहायता एवं चिकित्सीय परीक्षण के लिए संरक्षण अधिकारियों (Protection Officers) एवं स्वयं सेवी संगठनों (NGO) के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

मुख्य प्रावधान

- इस कानून के तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए न्यायालय अधिकतम तीन दिन में बचावकारी आदेश एवं गिरफ्तारी के वारन्ट जारी करेंगे।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष स्वयं अथवा वकील, सेवा प्रदाता संस्था या संरक्षण अधिकारी की सहायता से अपनी सुरक्षा के लिए बचावकारी आदेश ले सकती है।
- पीड़ित महिला के अलावा कोई भी पड़ोसी, परिवार का सदस्य, संस्थाएँ या स्वयं महिला की सहमति से अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर बचावकारी आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
- इस कानून के तहत बचावकारी आदेश, काउन्सिलिंग, क्षतिपूर्ति, भरणपोषण, बच्चों का संरक्षण और आवश्यकता पड़ने पर रहने की व्यवस्था भी की जाती है।
- यदि पीड़ित की रिपोर्ट से न्यायाधीश को ऐसा प्रतीत हो कि उसे हिंसा करने वालों से भविष्य में भी खतरा हो सकता है तो न्यायाधीश हिंसाकर्ता (पुरुष) को घर से बाहर रहने का आदेश दे सकता है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यथित महिला के लिए मजिस्ट्रेट उसकी संतान या संतानों की अस्थाई अभिरक्षा, घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी क्षति के लिए प्रतिकार आदेश एवं आर्थिक सहायता के लिए आदेश दे सकते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर 'साझा घर' में निवास के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
- इस कानून के अन्तर्गत पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है तथा नियुक्त संरक्षण अधिकारी (प्रोटेक्शन ऑफिसर) की जिम्मेदारी पीड़ित महिला को आवेदन लिखने में मदद करना, आवेदन न्यायाधीश तक पहुँचाना एवं न्यायालय से राहत दिलाना है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित संरक्षण आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का दंड एवं बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुझाव *(Suggestions to Prevent Domestic Violence Against Women)*

इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित सुझावों को शामिल कर सकते हैं–

(पीछे दिये गए सभी सुझावों का उल्लेख करें।)

- घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मुआवजा एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर घरेलू हिंसा की बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा रोकने के लिए प्रभावी एवं कठोर कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छे संबंध बनाये रखने से संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, जनमत निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध बने कानूनों एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- वर्तमान जरूरतों एवं सन्दर्भों को ध्यान में रखकर कानूनों में आवश्यक बदलाव किया जाना चाहिए।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- महिलाओं के सशक्तीकरण और विशेष तौर पर घरेलू हिंसा के विरुद्ध संचार माध्यमों (Media) द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जाना चाहिए।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विधि प्रवर्तनकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों, न्यायालय के अन्य कर्मचारियों एवं वादी के वकीलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि वे घरेलू हिंसा के मामलों की पहचान करके तुरन्त प्रभावी कार्रवाई कर सकें।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए तथा वर्तमान मूल्य व्यवस्था (Value system) में समयानुसार बदलाव लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा शराब पीना भी है। राज्य सरकारों द्वारा घरेलू हिंसा को व्यापक एवं प्रभावी तरीके से रोकने लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा से ज्यादातर अशिक्षित, पिछड़ी एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएँ पीड़ित होती हैं। इन महिलाओं को मुफ्त विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

दहेज *(Dowry)*

शादी के दौरान या उसके बाद वधू पैतृक परिवार से जो धन-सम्पत्ति अपने पति के घर लाती है, दहेज कहलाता है। वैदिक काल में जब कन्या को वर के हाथों सौंपा जाता था तो इसे 'कन्यादान' कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार यदि कन्या को कोई उपहार नहीं दिया जाता, तो 'कन्यादान' अपूर्ण माना जाता था। यहाँ तक 'कन्यादान' एवं 'वरदक्षिणा' एक-दूसरे से जुड़े थे। वरदक्षिणा के तहत कन्या के माता-पिता स्नेहवश वर को स्वेच्छा से उपहार दिया करते थे। तलाक या पति की मृत्यु की स्थिति में यह उपहार लड़की को वापस कर दिया जाता था। लेकिन जब इसमें अवपीड़क (Coercive) तत्व शामिल हो गए तो इसने दहेज का रूप धारण कर लिया। यह सिर्फ विवाह को ही नहीं बल्कि विवाहोपरांत जीवन को भी प्रभावित करने लगा। शुरुआती तौर पर दहेज धनवान व्यापारियों, राजाओं एवं सामाजिक रूप से प्रभावी अन्य लोगों द्वारा शुरू किया गया था, तब इसका सामान्य मतलब पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेटियों को भी देना होता था। बाद के दिनों में इसे घर-गृहस्थी बसाने में मदद के तौर पर देखा जाने लगा लेकिन तब भी दहेज की मात्रा और स्वरूप तय करने का अधिकार वधू के माता-पिता को ही होता था लेकिन कालांतर में दहेज वर के माता-पिता द्वारा अधिकार के तौर पर मांगा जाने लगा।

परम्परागत हिन्दू व्यवस्था में 'स्त्रीधन' सम्पत्ति का वह भाग होता था जो माँ से बेटी को प्राप्त होता था। महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि स्त्रीधन का उपयोग वह स्त्री ही कर सकती थी जो इसे प्राप्त करती थी। आपातकाल में ही घर का पुरुष सदस्य इसे उपयोग में ला सकता था। यह पत्नी, बहन, बेटी या बहू के रूप में प्राप्त की जाती थी। इसमें उसे मिले उपहार या स्वयं अर्जित आय भी सम्मिलित की जाती थी। स्पष्ट है कि स्त्रीधन एवं दहेज में एक मूलभूत अंतर देखने को मिलता है, वह है जबरदस्ती वसूली का। स्त्रीधन तब प्रचलन में था जब लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। भारत में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार प्रदान कर दिया गया। भारत में दहेज की शुरुआत के पीछे प्राचीन काल में प्रचलित स्त्रीधन को भी एक कारक के रूप में माना जाता है।

अगर देखा जाए तो भारतीय समाज में लड़के की शादी में अधिकाधिक दहेज लेना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन गया है। आज व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित, सशक्त या कमाने वाला होता है, उसकी दहेज की मांग उसी अनुपात में बढ़ी होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित युवा के लिए करोड़ों रुपये की दहेज की मांग की जाती है। माता-पिता द्वारा दहेज को अपने उस खर्च की वापसी के रूप में देखा जाता है जो उन्होंने अपने लड़के की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च की होती है। माता-पिता द्वारा वृद्धावस्था को असुरक्षा की भावना के रूप में लेना भी दहेज को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता है। सामान्य तौर पर आज माता-पिता यह मानकर चलने लगे हैं कि शादी के बाद उनका बेटा उनकी देखभाल नहीं करेगा।

दहेज आज एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कमोबेश देखने को मिलती है, फिर भी यह समस्या दक्षिण एशियाई देशों में अपने चरम सीमा पर पहुँच गयी है।

दहेज के प्रभाव *(Effects of Dowry)*

दहेज जैसी सामाजिक समस्या का अनेक और विविध रूपों में प्रभाव देखने को मिलता है। पहले स्तर पर विवाह से पहले और दूसरे स्तर पर विवाह के बाद। पुत्री के जन्म के बाद से ही पिता पर यह दबाव लगातार बना रहता है कि पुत्री की शादी के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दहेज की रकम जोड़ कर रखनी है नहीं तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचा कर रखना शुरू कर देता है और वह और उसका परिवार लड़की की शादी तक इसी तनाव में जीता है। परिवार में लड़कियों

Copyright– Drishti The Vision Foundation

की संख्या ज्यादा होने पर यह तनाव और बढ़ जाता है। दूसरी ओर दहेज देने के बाद भी वर पक्ष इस बात की लगातार शिकायत करता है कि उसे अपेक्षा से कम दिया गया। इसके बाद से लड़की का उत्पीड़न शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव वधू के मूल परिवार पर भी पड़ता है। अनेक मामलों में यह उत्पीड़न जलाकर या अन्य बर्बर कृत्यों द्वारा उसकी हत्या तक पहुँच जाता है। वधू को अक्सर जीवित जला कर मार दिया जाता है। दहेज हत्या के अनेक मामले ऐसे होते हैं, जिसमें लड़की यातना एवं उत्पीड़न सह नहीं पाती है और आत्महत्या कर लेती है। एक समय था, जब दहेज हत्या के मामले केवल हिन्दुओं में ही देखने को मिलता था लेकिन आज ये मामले सिखों, मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी देखने को मिलने लगे हैं। भारत में बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज में 80 प्रतिशत कर्ज का संबंध दहेज से होता है। भारत में गरीब किसानों द्वारा दहेज की मांग को पूरा करने के लिए बैंकों से कर्ज लिए जाते हैं, इसका खामियाजा उन्हें कर्ज जाल (debt trap) में फँसकर अपनी जिंदगी गुजारने में चुकानी पड़ती है।

भारत में गरीब घर की महिलाओं से उनकी ससुराल में कमरतोड़ शारीरिक मेहनत करवाई जाती है क्योंकि उनके माता-पिता मांग की गई दहेज की रकम नहीं दे पाते हैं। यदि महिला ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो इसका खर्च भी उसके माता-पिता से ही मांगा जाता है। दहेज की मांग को पूरा करवाने के लिए पति एवं उसके परिवार द्वारा महिलाओं को घरों में बंद कर दिया जाता है, उसके बाहर आने-जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने में दहेज (Dowry) आज एक प्रमुख कारण बन गया है। ऐसा उस स्थिति में भी होता है जब उच्च मध्यम वर्गीय महिलाएँ लाखों-करोड़ों के जेवरात एवं संपत्ति अपने साथ ससुराल ले जाती हैं। भारत में बालिका हत्या या बालिका भ्रूण हत्या के पीछे एक मुख्य कारण दहेज की समस्या भी बताया जाता है।

1990 के दशक में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया, लोगों की आय में इज़ाफा हुआ, समृद्धि बढ़ी तब लोगों में और अधिक धन लालसा का विकास हुआ। इस लालच ने भी दहेज की समस्या को जटिल किया। कुछ लोग दहेज की मांग करके समृद्धि का रास्ता तलाश करने लगे, परिणामस्वरूप दहेज हत्या या लड़कियों के साथ अन्य प्रकार के अमानवीय दुर्व्यवहार के मामले बढ़ने लगे।

दहेज रोधी कानून (*Anti-Dowry Laws*)

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। इसमें दहेज को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है- 'ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु जिसे शादी के दौरान या पहले, शादी से संबंधित पक्ष देते हैं या देने पर राजी होते हैं। यह लेन-देन वर-वधू के माता-पिता या शादी से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के बीच हो सकता है।'

1. कानूनी तौर पर उपहार देने पर तो मनाही नहीं है लेकिन दहेज पर प्रतिबंध है।
2. कानूनी तौर पर वर को किए जाने वाले उपहार अत्यधिक कीमती नहीं होने चाहिए।
3. कानून में 1983 एवं 1986 में दिए गए दो संशोधनों के बाद दहेज लेना एवं दहेज देना, दोनों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इससे न्यायालय को यह अधिकार मिल जाता है कि वह हत्या से संबंधित मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं कराए जाने की स्थिति में भी स्वयं संज्ञान लेकर या पुलिस द्वारा दिए गए सूचना को आधार बनाकर मामले की सुनवाई कर सके।
4. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत ऐसे कृत्य के लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा के साथ साथ कम से कम 15000 रुपये या दहेज के मूल्य के बराबर, इनमें से जो भी ज्यादा हो, जुर्माना किया जा सकता है।
5. भारतीय दंड संहिता की धारा 304(B) दहेज हत्या से संबंधित है। इसे भारतीय दण्ड संहिता में 1986 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। इस कानून के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि शादी के 7 साल के अन्दर किसी महिला की जलने, शारीरिक दुर्घटना या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है और यह मालूम हो जाता है कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए पति या पति का परिवार प्रताड़ित करता था तो ऐसी स्थिति में इसे दहेज हत्या का मामला माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर इस बात का भी प्रावधान किया गया कि यदि शादी के 7 वर्ष के अंदर किसी महिला की अप्राकृतिक कारणों (Unnatural Causes) से मृत्यु होती है तो इसे आपराधिक मामला मानकर इसकी जाँच-पड़ताल की जाएगी।
6. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(A) भारतीय दण्ड संहिता में 1983 में एक संशोधन के माध्यम से सम्मिलित की गई है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी महिला के पति या परिवार वालों के द्वारा उस पर क्रूरता (Cruelty) बरती जाती है तो उन्हें 3 वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। इसमें क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- जानबूझकर (Willfully) की गई कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे महिला आत्म-हत्या करती है, गंभीर रूप से घायल होती है या उसके जीवन को खतरा पहुँचता हो।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

7. इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम में भी दहेज की मांग को शामिल किया गया है। इसमें प्रावधान है कि यदि गैर कानूनी दहेज की मांग के लिए लड़की या उसके किसी रिश्तेदार को चोट, उत्पीड़न, हानि या उसे किसी तरह के खतरे में डाला जाता है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जून, 2012 को दिए अपने निर्णय में कहा है कि दहेज हत्या जैसे मामलों में आजीवन कारावास से कम दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए विशेषकर वैसे मामलों में जिनमें लड़की की हत्या करने के लिए बर्बर तरीके अपनाए गए हों।

दहेज प्रथा को रोकने में कानूनी असफलता *(Legal Failure to Prevent Dowry System)*

भारत में प्रतिवर्ष दहेज हत्या के लगभग 1500 मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इन मामलों की सही तरीके से जाँच नहीं हो पाती है। दहेज-हत्या के अधिकतर मामले लड़के के घर में होते हैं इसलिए लड़की की तरफ से साक्ष्य या गवाह का अभाव हो जाता है। ऐसे ज्यादातर मामलों की जाँच 'पारिवारिक झगड़ा' या 'आत्महत्या' का मामला मानकर की जाती है। कुछ मामलों में महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान (Dying Declaration) को पुलिस अपनी सुविधानुसार रंग-रूप देती है। यहाँ तक कि पुलिस पीड़ित महिला का फोटो या फिंगर प्रिंट तक नहीं लेती है। दहेज-हत्या के मामले न्यायालय तक पहुँचते-पहुँचते इतने कमजोर हो जाते हैं कि शायद की इस मामलों में दोषी को कठोर सजा मिल पाती हो। संक्षेप में कहा जाए तो भारत में दहेज-रोधी कानून काटने से ज्यादा गुर्राने वाले (More Barking than Bites) बनकर रह गये हैं।

भारत में दहेज हत्या के मामले न रूकना केवल संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का ही उल्लंघन नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौतों एवं संविदाओं जैसे- मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights – UDHR), महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन की घोषणा (Declaration on the Elimination of Violence Against Women – DEVAW) एवं महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी संधिपत्र (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) का भी उल्लंघन है। इन सबमें बर्बरता, क्रूरता एवं हिंसा को नकारा गया है एवं जीवन के अधिकार को स्वीकार किया गया है।

दहेज प्रथा को रोकने हेतु सुझाव *(Suggestions to Prevent Dowry System)*

1. समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बुराईयों को समाप्त करना चाहिये।
2. महिलाओं की गरिमा को वहाल करना और बढ़ाना चाहिये।
3. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिये।
4. महिलाओं के खिलाफ होने वाली दहेज हत्या के मामलों की शीघ्रता से जाँच होनी चाहिये।
5. दहेज हत्या से संबंधित मामलों की जाँच के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट (Fast Track Court) की स्थापना करना चाहिये।
6. विवाह का पंजीकरण एवं विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों की सूची तथा चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा रखना अनिवार्य किया जाना चाहिये।
7. दहेज एक घृणित सामाजिक समस्या है और इसके निराकरण के लिए सामाजिक जागरूकता लाने की जरुरत है।
8. दहेज लेन-देन से युवक-युवतियों की प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। ऐसी सोच लोगों के बीच विकसित करना चाहिये।
9. गरीब घरों की लड़कियों/महिलाओं के बीच साक्षरता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है जिससे कि वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।
10. पैतृक सम्पत्ति में लड़कियों/महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
11. लड़कियों की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए जिससे की वे अपने को लड़कों से कमतर न आँके और न ही विवाह मात्र को बनाए रखने के लिए शोषण, उत्पीड़न सहे।
12. सामाजिक कार्यों एवं संस्कारों में लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिएँ।
13. पुलिस के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी सभूहों को भी महिला मृत्यु से संबंधित मामलों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
14. विवाह समारोहों पर खर्च की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
15. वर्तमान कानून की खामियों को दूर किया जाना चाहिए और उन्हें कठोर बनाया जाना चाहिए।
16. वर्तमान कानून में यह बदलाव करना चाहिए जिससे कि दहेज देने वाले को कम दण्ड दिया जा सके क्योंकि दहेज देने वाला उत्पीड़न (Coercion) का शिकार होता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

17. घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नियुक्त संरक्षक अधिकारियों (Protection officers) को सशक्त करने की जरूरत है जिससे कि वे दहेज उत्पीड़न संबंधी मामलें में शिकायत दर्ज कर सके।
18. महिलाओं को वस्तु (Commodity) समझने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा।

कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात *(Female foeticide and Selective abortion)*

कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत भ्रूण (Foetus) को जानबूझकर सिर्फ इसलिए समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि विकसित हो रहा भ्रूण कन्या (Girl) का होता है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। यह एक प्रकार से महिलाओं को जीवन के अधिकार से वंचित करता है। अत: इससे संविधान का भी उल्लंघन होता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का यह सबसे घृणित, बर्बर एवं घातक (Destructive) प्रदर्शन है। भारत में यदि बच्ची का जन्म हो भी जाता है तो उसको जीने की स्वतंत्रता मिलना आसान नहीं है। गिले कपड़ों में लपेटकर, कहीं गला घोंटकर तो कहीं भूखा रखकर मारने का प्रयास किया जाता है। कई बार उसे निर्जन स्थानों यहाँ तक कि कूड़ेदानों में भी छोड़ दिया जाता है।

इस समय स्त्रियों की कमी का मुख्य कारण 'कन्या भ्रूण हत्या' को माना जा रहा है। आँकड़े बताते हैं कि पुत्र मोह तथा अल्ट्रासाउंड तकनीक से लिंग परीक्षण की सुविधा के कारण भारत में 5 लाख कन्या भ्रूणों की हत्या प्रतिवर्ष होती है। गत दो दशकों में एक करोड़ से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या किए जाने संबंधी आँकड़े भारत व कनाडा के संयुक्त शोधकर्ताओं द्वारा जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या के लिये शिक्षित महिलाएँ, अनपढ़ व अशिक्षित महिलाओं से अधिक उत्तरदायी हैं। सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि भ्रूणहत्या के लिए महिलाओं को उनके पति या परिवार के सदस्यों द्वारा विवश किया जाता है लेकिन कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय समाज में कन्या भ्रूणहत्या को महिलाओं द्वारा भी समर्थन दिया जाता है।

कन्या भ्रूण हत्या की समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ साक्षरता का अभाव है, में नहीं है अपितु शहरों के आधुनिक, सभ्य, संभ्रान्त एवं धनी तबके में भी बढ़चढ़कर देखी जाती है। धनी वर्ग के लोग धन-सम्पत्ति का हस्तांतरण जो प्राय: दहेज के रूप में होता है, को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका शिशु हत्या का सहारा लेते हैं। भारत में पहला बच्चा लड़की होने पर अभिभावकों में दूसरे गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण की प्रवृत्ति काफी अधिक रही है जबकि पहला बच्चा लड़का होने की स्थिति में यह प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है।

भारतीय परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 40 लाख गर्भपात कराए जाते हैं। इसमें लाखों की संख्या में गैरकानूनी गर्भपात भी शामिल है जो पुत्र की चाह में कराए जाते हैं। देश में अल्ट्रासोनोग्राफी, एम्नीओसेन्टीसिस (Amniocentesis) तथा अन्य तकनीकों द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता करके बालिका भ्रूण हत्या किए जाने का गैरकानूनी सिलसिला देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है।

बालक-बालिका अनुपात की वर्तमान स्थिति (Current Status of Child Sex Ratio): वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2001 के मुकाबले लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है जो 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में 940 हो गई है। लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान मे देश में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में कम हो गई है। वर्ष 2011 में इस आयु वर्ग के प्रति एक हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 914 पाई गई है। बच्चों में यौन अनुपात में यह गिरावट मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दर्ज की गई है।

अत्यधिक कम शिशु लिंग अनुपात वाले राज्यों में हरियाणा (830), पंजाब (846), जम्मू-कश्मीर (859), दिल्ली (866), चंडीगढ़ (867), राजस्थान (883), महाराष्ट्र (883), उत्तराखंड (886), गुजरात (886), उत्तर प्रदेश (899) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सामान्यतया इन सभी राज्यों में लिंगानुपात भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इससे यह अनुमान लगाया जाना औचित्यपूर्ण है कि यहाँ बालिका भ्रूण हत्या का प्रचलन तुलनात्मक रूप से अधिक है।

इस सामाजिक बुराई का एक पक्ष यह भी है कि देश के धनी और मध्यम वर्ग में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अधिक है और तुलनात्मक रूप से पिछड़े और आदिवासी इलाकों में यह प्रवृत्ति कम है। देश का जिलेवार अध्ययन भी इस दिशा में आँखें खोलने वाला साबित हो सकता है। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर जिले कन्या भ्रूण हत्या के कारण कुख्यात हो गए हैं। महाराष्ट्र की समृद्ध चीनी पट्टी में अनेक लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है लेकिन गढ़चिरौली, नंदुरबार, बीड़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों में यह प्रवृत्ति न के बराबर है। गुजरात में स्त्री-पुरुष अनुपात चिंताजनक है। लेकिन दाहोद और मेहसाणा जैसे पिछड़े, आदिवासी बहुल इलाके में तस्वीर काफी बेहतर है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कारण *(Causes)*

कन्या भ्रूण हत्या और चयनित गर्भपात के अनेक कारण देखें जाते हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- कई समाजों में परिवार एवं वंश का नाम पुत्र या परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से चलता है। इन समाजों में वंश को बढ़ाने के लिए लड़के के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है और इन समाजों में कन्या भ्रूण हत्या का सहारा लिया जाता है।
- जिन समाजों में बच्चों को धन या सम्पत्ति के रूप में समझा जाता है वहाँ व्यक्ति के रूप में उनका मूल्य समाप्त हो जाता है। लड़कियों के मामले में भी यह समझा जाता है कि उसके पालन, पोषण, शिक्षा आदि पर जो निवेश होता है वह आगे चलकर माता-पिता के काम नहीं आता है, इस कारण उनका मूल्य मनुष्य के रूप में कम हो जाता है।
- वैसे समाज में जहाँ अन्याय एवं असमानता के कारण महिलाओं का जीवन नारकीय होता है वहाँ भी महिलाएँ कन्या को जन्म देना पसंद नहीं करती हैं। आज भी भारत के कई सामंतवादी क्षेत्रों (Feudal-Areas) में महिलाएँ कन्या शिशु को जन्म देना पसन्द नहीं करती हैं। वे यह नहीं चाहती है कि उनकी बच्चियों की जिंदगी भी उन्हीं की तरह नारकीय स्थिति में गुजरे।
- आर्थिक रूप से भी लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम आय अर्जन क्षमता वाला समझा जाता है। लड़कियों पर खर्च की गई धन की वापसी नहीं हो पाती है इसलिए भी माता-पिता कन्या के जन्म का स्वागत नहीं करते हैं। उन्हें आर्थिक रूप से बोझ (Liability) समझा जाता है।
- कन्या भ्रूण हत्या का एक कारण दहेज प्रथा का प्रचलन भी है। दहेज की माग भारतीय समाज में लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही एक लड़की के पालन-पोषण में अन्य समस्याएँ जो उनके विरुद्ध अपराधों से जुड़ी होती हैं वे भी माता-पिता को लड़की को जन्म देने से हतोत्साहित करते हैं।
- विज्ञान एवं तकनीक के विकास ने भी चयनित गर्भपात को आसान बना दिया है। अल्ट्रासोनोग्राफी (Ultrasonography) की मशीनें भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुँच गई हैं।
- पुत्र को बुढ़ापे की लाठी समझा जाता है जबकि लड़की शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है। इस मनोवृत्ति के कारण समाज में लड़कों के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है।
- मृत्युपरांत पुत्र द्वारा मुखाग्नि दिए जाने से ही मोक्ष (Moksha) की प्राप्ति होती है, भारतीय संस्कृति में व्याप्त ऐसी नकारात्मक धारणाओं के कारण जहाँ एक ओर पुत्र के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक रूप से लड़कियों की स्थिति में गिरावट आती है।
- महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों को आर्थिक महत्त्व प्राप्त नहीं होता है जबकि लड़कों द्वारा घर के बाहर किए जाने वाले कार्यों को आर्थिक रूप से लाभकारी समझा जाता है।
- कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कभी-कभी समुदाय (Community) का हाथ भी देखा जाता है। जिस दंपती को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है उनका समाज उपहास उड़ाता है।

परिणाम *(Consequences)*

- समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संतुलन डगमगाने और खासकर समाज में स्त्रियों की संख्या घटने के परिणाम भयावह हो सकते हैं। जिस समाज में महिलाएँ कम रह जाती हैं वहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि होती है। समाज में महिलाओं को निशाना बनाया जाता है जिससे अस्वस्थ समाज का जन्म होता है।
- जिन राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या जारी है वहाँ सामाजिक संतुलन पूरी तरह लड़खड़ा चुका है। पंजाब और हरियाणा में ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ हजारों युवाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वर के लिये दूसरे राज्यों से लड़कियाँ लाई जा रही हैं जिससे वहाँ कई सामाजिक चुनौतियाँ सामने आई हैं।
- जिन समाजों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की कमी होती है वहाँ लड़कियों की कम उम्र में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है क्योंकि उसे पढ़ने-लिखने और कौशल प्राप्त करने का मौका नहीं मिल पाता है। कम उम्र में माँ बनने से जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में वृद्धि की संभावना बनी रहती है।
- जिस समाज में पुत्र या लड़के को प्राथमिकता दी जाती है वहाँ लकड़ियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही या उदासीनता बरती जाती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब उनके माता-पिता के पास अल्प संसाधन उपलब्ध हों।
- कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। जैसे घर की देखभाल, बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षण, स्वास्थ आदि क्षेत्रों में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं की कमी से ये कार्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।
- बहुपतिप्रथा (Polyandry) को बढ़ावा मिल सकता है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright- Drishti The Vision Foundation

रोकने के उपाय *(Measure to Prevent)*

कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात को केवल कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता बल्कि इसके लिए लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह (Prejudice) को समाप्त करना होगा और उनके प्रति सामाजिक व्यवहार (Social Behaviour) में बदलाव लाना होगा। उसे रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:

- प्रसवपूर्व गर्भपात को रोकने के लिए संचार माध्यमों से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
- संतुलित लिंगानुपात (Balanced Sex Ratio) प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने सोच में बदलाव लाकर लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना होगा। लड़कियों एवं लड़कों को समान महत्त्व प्रदान करना होगा।
- बालिका शिशु के संरक्षण के लिए विशेष सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहिए।
- माता-पिता की अशिक्षा, अज्ञानता एवं गरीबी इस समस्या को और भी बढ़ा देती है। जहाँ एक ओर उन्हें लड़कियों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कन्या हत्या (Female infanticide) के कारण क्या कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी नहीं होती है। अत: इस संबंध में उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
- दीर्घकालिक उपाय के तौर पर लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए एवं उनका सशक्तीकरण किया जाना चाहिए। इससे समाज में उनकी स्थिति (Status) में सुधार आएगा।
- देश के निम्न लिंगानुपात वाले क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु महिला संचालित उद्यमों, महिला कर्मचारियों या वैसे उद्यमों को जो बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्त करते हैं, उन्हें कर में छूट दी जानी चाहिए।
- नीति निर्माताओं, योजना बनाने वालों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं विधि प्रवर्तनकारी एजेंसियों को लिंग आधारित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा।
- लड़कियों एवं महिलाओं की समाज में सकारात्मक छवि (Positive Image) बनानी होगी।
- लिंग निर्धारण के उद्देश्य से एम्नीओसेन्टीसिस (Amniocentesis) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा अवैध तौर पर इनका इस्तेमाल करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।
- किसी भी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली लड़कियों एवं महिलाओं की उपलब्धियों को संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए जिससे कि उनके प्रति सामाजिक मनोवृत्तियों में बदलाव लाया जा सके।
- विशेष जागरूकता कार्यक्रमों एवं अभियानों से लड़कियों एवं महिलाओं के आत्म-विश्वास को बढ़ावा देना होगा।
- महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर दिए जाने चाहिएँ।
- लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- पारिवारिक संपत्ति में पुत्री का हिस्सा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर-पूर्व के राज्यों एवं केरल में जहाँ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मिलता रहा है, लिंगानुपात की स्थिति बेहतर है।
- वृद्ध माता-पिता की देखभाल करने वाली बेटियों के प्रयासों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए।
- लड़कियों द्वारा माता-पिता के अंतिम संस्कार को सामान्य आचरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
- लड़कियों को बचाने के लिए 'बेटी बचाओ' जैसे अभियान चलाने की आवश्यकता है।
- संस्थागत प्रसव की व्यवस्था की जानी चाहिए और जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे बालिका शिशु हत्या को रोकने में मदद मिलेगी।
- लड़कियाँ माता-पिता पर आर्थिक बोझ साबित न हो इसके लिए एक तरफ तो उनके जन्म के समय ही जन्म लेने वाले बच्चियों का सरकार की तरफ से बीमा होना चाहिए वहीं दूसरी ओर उनकी पढ़ाई, लिखाई, कौशल प्राप्ति की खर्च को नि:शुल्क किया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से आत्म-निर्भर बन सकें।
- फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें महिलाओं की भूमिका प्रेरणादायी दिखायी जानी चाहिए।
- नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी तथा इनके पक्ष में सांस्कृतिक मूल्यों व मानकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- प्रशासन और पुलिस द्वारा भ्रूण हत्या के मामले को हत्या (Murder) का मामला मानकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल क्लीनिकों एवं डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
- जनप्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं, युवाओं, प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों (Celebrities) डॉक्टरों एवं संचार माध्यमों द्वारा सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बालिका भ्रूण हत्या रोकने हेतु प्रयास *(Efforts to Prevent Female Foeticide)*

भ्रूण हत्या की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 1971 में पहल की गई। सरकार द्वारा वर्ष 1971 में 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट' पारित किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि गर्भस्थ शिशु के बारे में यह पता चल जाए कि वह असामान्य है और परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग के बावजूद गर्भ ठहर गया है तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराना गैर कानूनी नहीं होगा बशर्ते कि यह सारी प्रक्रियाएँ 20 सप्ताह के भीतर हो जाएँ। इसके बाद बालिका भ्रूण हत्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से पहली बार 1988 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिंग निर्धारण परीक्षण निषेध अधिनियम पास किया गया। देश में शिशु लिंग निर्धारण से जुड़ी अल्ट्रासाउंड मशीनों के प्रकाश में आने तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग जानने से संबंधित कोई कानून न होने के कारण इन मशीनों का खुलकर दुरुपयोग होने लगा। इसे ध्यान में रखते हुए केंद सरकार द्वारा प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 बनाया गया। इसे जनवरी 1996 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसे 2003 में संशोधित कर गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 [The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Technique (Prohibition of Sex Selection) Act 1994 (PC & PNDT Act)] कहा गया। संशोधन के पश्चात् इस अधिनियम में निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों को शामिल किया गया है-

- गर्भधारण पूर्व लिंग चयन तकनीकों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है ताकि लगातार गिरते शिशु लिंगानुपात को रोका जा सके।
- स्पष्ट रूप से अल्ट्रासाउण्ड (Ultrasound) मशीनों के प्रयोग को इस अधिनियम के अधीन कर दिया गया है ताकि वे भ्रूण की लिंग (Sex) की जाँच एवं पहचान उजागर न कर सकें और बालिका भ्रूण हत्या को रोका जा सके।
- अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए केन्द्रीय निगरानी बोर्ड (Central Supervisory Board) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय निगरानी बोर्ड (State Level Supervisory Board) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- राज्यों में इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एक बहुसदस्यीय उपयुक्त प्राधिकरण (Multi Member State Appropriate Authority) का गठन किया गया है।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए दण्ड के प्रावधानों को सख्त (Stringent) बनाया गया है।
- मशीनों, यंत्रों एवं रिकॉर्डों की खोज, जब्ती एवं सील करने के संबंध में उपयुक्त प्राधिकरण को एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई है।
- अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री को विनियमित (Regulate) किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत लिंग जाँच एवं चयन तकनीकों के किसी भी माध्यम से प्रचार (Advertisement) को रोकने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को तीन वर्ष तक का कारावास एवं दस हजार रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को प्रथम अपराध की दशा में तीन वर्ष तक का कारावास तथा पचास हजार रुपए तक का जुर्माना और अपराध की पुनरावृत्ति होने पर पाँच वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। जबकि अल्ट्रासाउण्ड मशीन मालिकों एवं चिकित्सकों द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध की दशा में तीन वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपए का जुर्माना तथा अपराध की पुनरावृत्ति होने पर पाँच वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्षेत्रीय नवोन्मेष परिषद *(Sectoral Innovation Council)*

गिरते बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio) के विभिन्न कारणों को व्यापक तरीके से समझने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्षेत्रीय नवोन्मेष परिषद (Sectoral Innovation Council) का गठन किया है। यह परिषद लिंगानुपात को सुधारने के लिए उपयुक्त नीति (Appropriate Strategy) सुझायेगी।

बालिका समृद्धि योजना *(Balika Samridhi Yojna)*

बालिका समृद्धि योजना केन्द्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसे देश के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- जन्म लेने वाली बालिका एवं उसकी माँ के प्रति उसके परिवार एवं समाज की नकरात्मक मानसिकता को बदलना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- विद्यालय में बालिका शिशु के नामांकन (Enrolement) एवं उसे विद्यालय में बनाए रखने (Retention) में वृद्धि करना।
- लड़कियों की विवाह की उम्र में वृद्धि करना।
- लड़कियों में आय सृजन गतिविधियों (Income Generating Activities) को बढ़ावा देना।

इस योजना के तहत उन लड़कियों को लाभ मिल सकेगा जिनका जन्म 15 अगस्त, 1997 या उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों में हुआ हो।

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत योग्य लड़कियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है:

- जन्म लेने के पश्चात उन्हें 500 रुपए दिए जाते हैं।
- 15 अगस्त, 1997 या उसके बाद जन्म लेने वाली लड़की यदि स्कूल जा रही हो तो उसे–

कक्षा I से III तक 300 रुपए प्रतिवर्ष प्रति कक्षा

कक्षा IV में 500 रुपए प्रतिवर्ष

कक्षा V में 600 रुपए प्रतिवर्ष

कक्षा VI-VII में 700 रुपए प्रतिवर्ष प्रति कक्षा

कक्षा VIII में 800 रुपए प्रतिवर्ष

कक्षा IX-X में 1000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति कक्षा

धनलक्ष्मी योजना *(Dhanlaxmi Yojna)*

यह पूर्णतया केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2008 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में लगातार गिरते लिंगानुपात (Sex-Ratio) को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के परिवार विशेषकर उसकी माता को कुछ शर्तें पूरी करने पर नकद राशि दी जाती है। कुछ शर्तों के अंतर्गत जन्म का पंजीकरण, टीकाकरण, स्कूल में नामांकन एवं उसमें बने रहना (Retention) को शामिल किया गया है। इन शर्तों में लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में करने को भी शामिल किया गया है। जन्म का पंजीकरण कराते समय 5000 रुपए, शिक्षा के लिए नामांकन (Enrollment) कराते समय 1000 रुपए, शिक्षा से संबंधित अन्य जरूरतों के लिए किस्तों में (Installments) 6250 रुपये दिए जाते हैं।

लाभार्थी को कुल मिलाकर 13,500 रुपए के साथ बीमा की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना को देश के सात राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडीशा, झारखंड, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के 11 ब्लॉकों में लागू किया गया है। इस योजना को लागू हुए लगभग 4 वर्ष हो गए लेकिन इस योजना का कार्यान्वियन बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इसका एक कारण इस योजना का लाभ लेने हेतु 21 शर्तों को पूरा करना है। 21 शर्तें पूरी करने के बाद सिर्फ 13,500 रुपए मिलते हैं वो भी बालिका के जन्म पंजीकरण से लेकर 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्ति तक 17 किस्तों में। इस योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए इसकी शर्तों में कमी के साथ रुपए प्राप्ति हेतु किस्तों में भी कमी किए जाने की आवश्यकता है। इस योजना का भौगोलिक दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है।

थिमैटिक कन्वर्जेस प्रोजेक्ट *(Thematic Convergence Project)*

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर लिंगानुपात की दृष्टि से देश के अतिसंवेदनशील 12 जिलों में गिरते बाल लिंगानुपात (Declining Child Sex Ration) को रोकने के लिए थिमैटिक कन्वर्जेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात स्तर में वृद्धि करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सहभागी बनाया गया है। देश के जिन 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है वे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडीशा, महाराष्ट्र एवं जम्मू-कश्मीर से संबंधित हैं। जिलास्तर पर नियुक्त किए जाने वाले जेंडर कन्वर्जेस अधिकारी (Gender Convergence Officers) जिला, ब्लॉक एवं ग्रामस्तर के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर लिंगानुपात सुधारने का कार्य करेंगे।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड *(Central Social Welfare Board)*

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सरकारी प्रयासों के अंतर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board) भ्रूणहत्या के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रहा है। इसके अतिरिक्त "बालिका शिशु के अधिकारों" एवं भविष्य में असंतुलित लिंगानुपात के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, इन विषयों पर सेमिनार का आयोजन करता है। 33 राज्य समाज कल्याण बोर्डों द्वारा बालिका संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में अपनी स्थापना के समय से लड़कियों को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने का प्रयास कर रहा है। यह बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक कल्याण गतिविधियों को लागू करने एवं बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महिलाओं का अश्लील चित्रण *(Indecent-Representation of Women)*

महिलाओं के अश्लील चित्रण से तात्पर्य महिला के रूप, आकार या शरीर या शरीर के किसी अंग को किसी ऐसे रूप में प्रस्तुत करने से है जो अश्लील, आपत्तिजनक, निंदात्मक (Denigrating) हो तथा इससे सार्वजनिक नैतिकता (Public Morality) एवं शिष्टाचार को क्षति पहुँचाता हो। महिलाओं का अश्लील चित्रण तस्वीर या किसी अन्य रूप में भी किया जा सकता है।

उपभोक्तावाद एवं बाजार के बढ़ते महत्व के इस दौर में महिलाओं को एक वस्तु के तौर पर पेश किया जाने लगा है। यदि बाजार को चलाने के लिए विज्ञापन प्रमुख अस्त्र का कार्य करता है तो किसी विज्ञापन को चलाने के लिए महिलाओं का विविध प्रकार का चित्रण प्रमुख अस्त्र के तौर पर कार्य करता है। अधिकतर कंपनियाँ अपने विज्ञापन में महिलाओं को इस तरह पेश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों का ध्यान अपनी उत्पादों के प्रति खींचा जा सके। महिलाओं का अश्लील चित्रण केवल विज्ञापनों में ही नहीं बल्कि फिल्मों, गानों, पेंटिंग आदि में भी व्यापक तौर पर किया जाने लगा है। वस्तुस्थिति यह हो गई है कि भारत पोर्न फिल्मों के सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया है।

प्रभाव *(Consequences)*

- महिलाओं के अश्लील चित्रण से महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान में गिरावट आती है।
- सामाजिक मान्यताओं को चोट पहुँचता है और संस्कृति विकृत होती है। सामाजिक व्यवहार प्रतिमान भी बदलने लगते है। लोगों के नैतिक चरित्र में गिरावट आती है।
- अश्लील चित्रण देखने से आपराधिक प्रवृत्ति पनपती है।
- महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है जिससे उनके जीवन को खतरा पैदा होता है। उत्पीड़न व बलात्कार जैसी घटनाएँ बढ़ जाती हैं।
- यह महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है।
- सामाजिक दूरी बढ़ती है, असामाजिक कार्य पनपते हैं, विशेषकर युवाओं में अवैध यौन संबंधों को बढ़ावा मिलता है और अनचाहे गर्भधारण जैसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं।

कारण *(Causes)*

गरीबी (Poverty): महिलाओं के अश्लील चित्रण का प्रमुख कारण गरीबी है। भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी अत्यंत गरीबी से जूझ रही लड़कियाँ एवं महिलाएँ ऐसे कार्य करने को विवश होती हैं जो उस देश के मूल्यों एवं स्वयं उनकी गरिमा के विरुद्ध होता है।

शौक (Hobby): संपन्न घरों की लड़कियाँ एवं महिलाएँ अपनी व्यक्तिगत पसंद को मूर्त रूप देने के लिए कुछ विशेष करना चाहतीं हैं। मॉडलिंग या मैगजीन आदि में सनसनीखेज फोटो देने वाली अधिकतर महिलाएँ इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसा करके उन्हें मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है।

उपभोक्तावाद (Consumerism): बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ धनी उपभोक्ताओं को अपना निशाना बनाती हैं। उनका यह मानना होता है कि शेष लोग भी देर-सवेर बड़े लोगों के ही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और अपने उत्पादों पर अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं जिसमें महिलाओं का अश्लील चित्रण भी शामिल होता है। वे किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, फिर चाहे वह समाज के लिए अच्छा हो या बुरा हो।

वैश्वीकरण (Globalisaiton): महिलाओं के अश्लील चित्रण को बढ़ावा देने में वैश्वीकरण की भी भूमिका है। भारत में लगातार पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों का प्रभाव बढ़ रहा है। युवाओं में पश्चिमी संस्कृति अपनाने को लेकर होड़ सी चल रही है। लड़के हो या लड़कियाँ उनके कपड़े, बोलचाल के तरीके एवं अन्य बर्ताव लगातार बदल रहे हैं। इन सब ने पश्चिमी संस्कृति में व्याप्त अश्लील चित्रण को यहाँ भी बढ़ावा दिया है।

रोकने के उपाय *(Measures to Prevent)*

- महिलाओं का अश्लील चित्रण बंद हो इसके लिए आवश्यक है कि इसके रोक से संबंधित वर्तमान कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और यदि वे महिलाओं का अश्लील चित्रण रोकने में असमर्थ हों तो इन कानूनों में आवश्यक बदलाव किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के अश्लील चित्रण के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसमें जनसंचार माध्यमों की बड़ी भूमिका है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- समाज के स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं महिला संगठनों को मिलकर इसके विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है।
- महिलाओं को ऐसे विज्ञापन आदि नहीं करने चाहिए जिससे महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा में गिरावट आती हो या उनका वस्तुकरण किया जा रहा हो।
- महिलाओं को यह स्वयं ही समझना होगा कि उनके लिए और समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या कानूनी है, क्या गैर-कानूनी है। महिलाओं के लिए आत्म संयम आवश्यक है।
- महिलाओं के अश्लील चित्रण से अब तक अप्रभावित लोगों का यह दायित्व बनता है कि इसके गिरफ्त में आ चुके लोगों को सही रास्ते पर लाएँ।
- जो महिलाएँ धन के मोह में अश्लील चित्रण को बढ़ावा देती हैं उन्हें यह समझना होगा कि वे अपने सशक्तीकरण का उपयोग इस रूप में न करें जिससे कि समाज पर दुष्प्रभाव पड़े।
- वैश्वीकरण के बावजूद संचार माध्यमों, मीडिया आदि द्वारा महिलाओं को उसी रूप में दिखाना चाहिए जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है न कि पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप।

कानूनी प्रावधान *(Legal Provisions)*

महिलाओं का अश्लील चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 [Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986] में अश्लील चित्रण को व्यापक अर्थ देने के साथ इस अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन एवं पेंटिंग या किसी अन्य रूप में महिलाओं के अश्लील चित्रण या महिलाओं के वस्तुकरण (Objectification of Women) को रोकना है।

महिलाओं एवं बच्चों का अश्लील चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 2008 (Prohibition of Indecent Representation of Women and Children Act, 2008) के माध्यम से इस अधिनियम का दायरा व्यापक किया गया है। इसमें ध्वनि-चित्र (Audio-Visual) संचार माध्यमों के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को भी शामिल किया गया है। अब मोबाइल क्लिप या सीडी के रूप में किए गए अश्लील विज्ञापन पर सख्त सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम के तहत प्रथम अपराध की दशा में तीन साल तक की कारावास की सजा तथा पचास हजार रुपए से एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। दूसरी बार यह अपराध करने पर दो साल से सात साल तक की कारावास की सजा तथा एक लाख रुपए से पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (The Information Technology Act, 2000) में भी महिलाओं के अश्लील चित्रण को रोकने का प्रावधान किया गया है। सूचना तकनीक अधिनियम, 2000 के तहत अश्लील सामग्रियां (Pornographic Materials) का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन (Publishing) और संचारण (Transmitting) को निषिद्ध किया गया है, ताकि इन्हें, देखने, सुनने व पढ़ने वाले लोगों को भ्रष्ट होने से रोका जा सके। इस अधिनियम के तहत पहली बार ऐसा अपराध करने पर पाँच साल तक की कारावास की सजा तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। अपराध दोहराए जाने पर दस साल तक की कारावास की सजा या दो लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 [Cable Television Network (Regulation) Act, 1995] भी ऐसे किसी विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाती है जो किसी जाति, प्रजाति, रंग, मत या राष्ट्रीयता का उपहास करता हो। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं होगा जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों या प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, महिलाओं को ऐसे विज्ञापन में नहीं दिखाया जा सकेगा जो उन्हें आपत्तिजनक रूप में पेश करता हो। महिलाओं को निष्क्रिय (Passive) एवं दब्बू (Submissive) रूप में नहीं दिखाया जा सकता जो परिवार या समाज में उनकी अधीनस्थ (Subordinate) एवं दोयम दर्जे की भूमिका (Secondary Role) को बढ़ावा देती हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं के अश्लील चित्रण के अपराध में राष्ट्रीय महिला आयोग कार्रवाई शुरू कर सकती है।

भारत में समय-समय पर पुस्तक लेखन, कला, चित्रण आदि में महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन के संबंध में विवाद पैदा होते रहे हैं। इस संबंध में न्यायालयों ने समय-समय पर अश्लील चित्रण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब तक भारत में यह माना जाता है कि अश्लील चित्रण केवल एक शब्द, भाग या पैराग्राफ से तय नहीं होता है बल्कि संबंधित पुस्तक, फिल्म या कला को सम्पूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए कि अंतिमरूप से देखने, पढ़ने व सुनने वालों या समाज को किस तरह से प्रभावित करता है। वैसे भी 'अश्लीलता' का मानक विभिन्न देशों में अलग-अलग तरीके का होता है। अश्लीलता का निर्धारण संबंधित समाज के मूल्यों एवं मानकों से तय होता है। न्यायालय का यह भी मानना रहा है कि जहाँ अश्लीलता एवं कला में मिश्रण देखने को मिलता है तो ऐसे मामलों में यह ध्यान रखा जाना चाहिए यदि यह चित्रण छाया के रूप या बहुत छोटे रूप में जो निरर्थक या मामूली हो तो उसे उपेक्षित किया जाना चाहिए। न्यायालय के दृष्टिकोण में यह आवश्यक है कि 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' तथा 'सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकता' के बीच संतुलन होना चाहिए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महिलाओं से छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न
(Molestation and Sexual Harassment of Women)

महिलाओं से छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के अंतर्गत उनके साथ हल्का फुल्का मजाक, मनोरंजन, चिढ़ाना से लेकर उनके गरिमा के विरुद्ध बोलना, शारीरिक स्पर्श से लेकर उनके सतीत्त्व पर चोट पहुँचाने (Assault on Modesty) तक की घटनाएँ शामिल हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में विशेषकर ऐसी घटनाओं को नारी शोषण या छेड़छाड़ (Eve teasing) कहा जाता है। महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध ऐसी घटनाएँ ज्यादात्तर सार्वजनिक स्थलों (Public Places). में होती हैं। इनमें सड़क, बाजार, विद्यालय, पार्क, सार्वजनिक परिवहन के साधन, मेला, उत्सव एवं अन्य सार्वजनिक अवसर आदि शामिल होते हैं।

महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न से जहाँ एक ओर उनकी सामान्य गतिविधियों में बाधा पहुँचती है वहीं दूसरी ओर वे सार्वजनिक साधनों एवं सेवाओं की प्राप्ति से वंचित होती हैं। उनकी एक व्यक्ति के रूप में महत्ता समाप्त होने लगती है और वे असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाती हैं। यदि महिलाएँ आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हों तो भी वे अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने लगती हैं। कार्यस्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दिन-प्रतिदिन वे सदमे (Trauma) से गुजरती है।

पिछले कुछ दशकों से भारत में आधुनिकरण एवं औद्योगिकीकरण बढ़ा है। महिलाएँ पढ़-लिखकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगीं हैं। वे देर रात कार्यस्थल से अपने घर वापस आती हैं। उस दौरान इनके साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न की घटनाएँ ज्यादा होती हैं। लेकिन यह कोई एक स्थिति नहीं है जिसमें ऐसी घटनाएँ घटती हैं। ऐसी घटनाएँ स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ भी होती है। जिस मात्रा में लड़कियों एवं महिलाओं को विभिन्न कारणों से गतिशीलता बढ़ी है उसी अनुपात में उनके साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के मामले भी बढ़े हैं। भारत में ऐसे कार्यों को अंजाम देने के लिए किसी विशेष उम्र की योग्यता नहीं होती बल्कि ऐसे कार्यों में बच्चों से लेकर व्यस्क, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं।

एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि 17 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को कार्य स्थलों पर यौन-उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इनमें से अधिसख्यक महिलाओं ने रोजगार खोने के भय से (Fear of losing the job) किसी प्रकार का औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई। शिकायत दर्ज न करवाने का एक बड़ा कारण कार्यस्थलों पर किसी प्रकार का औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति भी रही। समय के साथ जहां एक ओर यौन-उत्पीड़न के विरुद्ध जागरूकता बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर सिर्फ 17 प्रतिशत महिलाओं को ही यौन-उत्पीड़न रोकने संबधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी है।

वास्तव में यौन उत्पीड़न परम्परा का भाग बनता जा रहा है जो महिला-पुरूष के बीच असमान शक्ति संबध को दर्शाता है। जब तक लोगों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं बनाया जाएगा तब तक यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को केवल कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है। भारत एक लोकतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ के कारण महिलाओं को प्राप्त गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है।

रोकने के उपाय *(Measures to Prevent)*

- बदलते समय के अनुरूप महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। इनसे संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्तमान कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं से संबंधित मामलों की रिपोर्ट, जाँच एवं न्यायालयी सुनवाई जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों एवं महिला न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए।
- पुलिस एवं प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि सड़कों या अन्य जगहों पर महिलाओं के विरुद्ध ऐसी घटनाएँ न हों।
- महिलाओं का यौन उत्पीड़न बंद हो इसके लिए सामाजिक स्तर पर सबसे ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति समाज को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। इसमें विधि प्रवर्तनकारी एजेंसियों एवं न्यायाधीशों सहित सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के प्रति समाज के नज़रिए में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका माता-पिता, विद्यालय आदि की बनती हैं। किसी बच्चें का पालन-पोषण एवं अध्ययन इस तरह की होनी चाहिए कि वह आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बन सके। बच्चों को विद्यालय स्तर से ही महिलाओं का सम्मान करना सीखाना चाहिए। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना ठीक नहीं है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

- शासन के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- सेना में यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई सामान्य कानूनों के तहत की जानी चाहिए।

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय
(Preventive Measures to Curb Sexual Harassment at Work Place)

- कार्यस्थलों पर होने वाले छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अच्छी तरह से गठित एक शिकायत निवारण प्रणाली होना चाहिए। इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार की हो कि महिला कर्मचारी बेहिचक अपने साथ होने वाले अपराधों की शिकायत कर सके।
- संगठनों में शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत गठित शिकायत समिति द्वारा महिला कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना चाहिए तथा महिलाओं द्वारा किए गए शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। निश्चित समय सीमा के अंदर मामले की सुनवाई कर दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।
- यौन हिंसा से संबंधित किसी शिकायत को करते समय महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। यह उनका कर्त्तव्य है कि ऐसी किसी घटना की जानकारी अविलम्ब शिकायत समिति को दें।
- यह शिकायत समिति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह शिकायत की गोपनीयता बनाए रखे।
- प्रत्येक संगठन में महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न रोकथाम संबंधी जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों के बीच सद्भाव का वातावरण बनेगा और वे अपने को सुविधाजनक स्थिति में पायेंगे। इस प्रशिक्षण में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, उसे बताया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व होना चाहिए कि वह महिला कर्मचारियों में सुरक्षा का भाव पैदा करे। उसे यह समझना होगा कि यौन उत्पीड़न से महिला के स्वास्थ्य, विश्वास एवं क्षमता पर नकारात्मक एवं हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है जो उसके द्वारा रोजगार छोड़ने तक में तब्दील हो सकता है।
- शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय अपने सहयोगियों या वरिष्ठों के प्रति पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करना चाहिए एवं मामलों की पारदर्शी ढंग से सुनवाई कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए।

छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी कानून
(Laws to Prevent Molestation and Sexual Harassment)

छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के कारण महिलाओं के समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन होने के बावजूद यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भारत में अभी तक कोई विशिष्ट कानून नहीं है। यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील (Obscene) गतिविधियों एवं गानों को रोकती है।

धारा 354 महिलाओं के विरुद्ध किए गए आपराधिक बल प्रयोग से निपटने के लिए है।

धारा 376 बलात्कार जैसी घटनाओं से निपटने के लिए है।

धारा 510 अपशब्दों एवं ऐसे संकेतों से निपटने के लिए है जिनके प्रयोग से महिलाओं के सतीत्व (Modesty) को चोट पहुँचता हो।

इसके अलावा महिलाओं का अश्लील चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986) के कुछ प्रावधानों का प्रयोग यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिलाओं का उत्पीड़न अश्लील चित्रण जो पुस्तक, फोटोग्राफ, पेंटिंग, फिल्म इत्यादि के रूप में हो सकता है, के माध्यम से करता है तो ऐसी स्थिति में उसे दो वर्ष तक का कारावास की सजा दी जा सकती है।

सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न प्रोन्नति (Promotion) व वेतन वृद्धि के बदले में किया जाता है। महिलाओं द्वारा इसका विरोध करने पर उन्हें पदावनति (Demotion) या कार्य वातावरण कठिन बनाए जाने के रूप में प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। साथ ही, महिला कर्मचारी के कार्यों में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं।

भारत में यौन उत्पीड़न से संबंधित अनेक मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आते रहे हैं। न्यायालय संबंधित मामलों में दिए गए निर्देश से महिलाओं को यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ के विरुद्ध जागरूक करने तथा ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने हेतु प्रोत्साहित करता रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड (Apparel Export Promotion Board) बनाम ए.के. चोपड़ा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न महिलाओं के विरुद्ध लैंगिग भेदभाव है। किसी भी वरिष्ठ सत्ता (Superior Will) द्वारा की गई छेड़छाड़ या इसका प्रयास यौन उत्पीड़न है।
- रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल्ल (Rupan Deol Bajaj Vs Kanwar Pal Singh Gill) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने किसी महिला के निजी या सार्वजनिक जीवन को पहुँचाई गई असुविधा या उत्पीड़न को आपराधिक मामला माना।

विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य (Vishakha & Others Vs state of Rajasthan) मामले में यौन उत्पीड़न रोकनें हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। ये दिशा निर्देश काफी महत्त्वपूर्ण थे क्योंकि इसमे यौन उत्पीड़न को विधिक रूप से वर्जित व्यवहार माना गया। इन दिशा निर्देशों को तब तक के लिए सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य माना गया जब तक कि इस संदर्भ में संसद द्वारा कोई विशिष्ट कानून न बनाया जाए। विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को केवल निजी तौर पर पहुँचाई गई चोट ही नहीं माना बल्कि इसे मूल अधिकारों का हनन भी माना।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा मामलें में दिए गए दिशा निर्देशों में शिकायत समिति (Complaint Committee) के गठन की बात कही गई थी लेकिन निजी संगठन शायद ही ऐसी समिति का गठन करते हैं। सरकारी संगठन भी ज्यादातर कागजों पर ही शिकायत समितियों का गठन करते हैं। जिन संगठनों में ऐसी समितियों का गठन कर भी दिया जाता है तो उनके सदस्यों को अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी नहीं होती है। इन सब कारणों से शायद ही पीड़ित को न्याय मिल पाता हो। नियोक्ताओं (Employers) की मनोवृत्ति भी कुछ इस तरह की होती है कि वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके संगठन या कार्यालय में यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएँ घटती हैं। इस तरह शिकायत करने का कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। उल्टे लोग पीड़िता का ही उपहास उड़ाते हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु किसी प्रभावी कानून का निर्माण किया जाए और ठीक ढंग से उसका कार्यान्वयन हो।

वेश्यावृत्ति *(Prostitution)*

जब कोई स्त्री किसी पुरुष से जो उसका पति नहीं है अथवा पुरुष किसी स्त्री से जो उसकी पत्नी नहीं है, यौन संबंध स्थापित करती/करता है और उसके बदले में धन या अन्य किसी प्रकार की वस्तु या सेवा प्राप्त करता/करती है तो उसे सामान्य रूप से वेश्यावृति माना जाता है। स्त्रियों एवं कन्याओं के अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम 1956 (Suppression of Immoral Traffic Prevention Act, 1956 – SITA) के अनुसार 'वेश्या वह स्त्री है, जो कि धन या वस्तु के बदले में अवैध यौन संबंधों के लिए अपना शरीर पुरुष को सौंपती है। इस प्रकार अवैध संबंध के लिए शरीर अर्पित करना वेश्यावृत्ति कहलाती है।'

आधुनिक समाज में वेश्याओं को विभिन्न आधारों पर अनेक श्रेणियों में बाँटा जाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से वर्तमान युग में प्राय: तीन प्रकार की वेश्याएँ होती हैं–

1. वे वेश्याएँ जो संगठित अड्डों पर देह बेचती हैं और जिनका नियंत्रण अड्डे के मालिकों के हाथ में रहता है।
2. वे वेश्याएँ जो सर्वथा स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चलाती हैं।
3. वे स्त्रियाँ जो पूर्णरूप से वेश्या नहीं हैं किंतु पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी आर्थिक लाभ हेतु चोरी-छिपे इस व्यवसाय को अपनाती हैं।

यह माना जाता है कि वेश्यावृत्ति सबसे पुराना पेशा है। यह सबसे पुराना पेशा हो या न हो लेकिन यह विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है।

भारत जैसे समाज में जहाँ महिलाओं की यौन-आकांक्षा (Sexuality) उच्च स्तर के मूल्य (Values) और मानकों (Norms) से जुड़ी हो, उसे यौन-आकांक्षा पर स्वतंत्रता नहीं दी गई है और उसकी इस इच्छा पूर्ति का अधिकार पति को दिया गया है। भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति संस्कृति के विपरीत कार्य (Taboo) के तौर पर देखा जाता है। फिर भी वेश्यावृत्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है। सामान्य रूप से हर शहर के एक हिस्से को वेश्यावृत्ति वाला इलाका या रेड लाइट (Red Light) इलाके के रूप में जाना जाता है। वेश्यावृत्ति को सामाजिक कलंक मानने के कारण यह एक सामाजिक समस्या के रूप में जानी जाती है।

भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन वेश्यावृत्ति में शामिल यौन-कर्मियों (Sex-workers) को गरिमापूर्ण जीवन नसीब नहीं हो पाता है। इस तरह देखा जाए तो वे देश के ऐसे नागरिक होते हैं जिन्हें समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में वेशयाओं को सामान्य श्रम कानूनों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है लेकिन उनके बचाव (Rescue) एवं पुनर्वास का प्रयास किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत में वेश्यावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण गरीबी को माना जाता है। इस पेशा को अपनाने वाली ज़्यादातर महिलाँ लाचारी वश ही इसे अपनाती हैं। वे सामान्यत: अशिक्षित भी होती हैं और उनके पास किसी कार्य का विशिष्ट कौशल (Skill) भी नहीं होता है। दुर्भाग्य से यदि ऐसी महिलाओं का सामना दलालों से हो जाए तो उनके इस पेशा में आने की संभावना बढ़ जाती है। कई माता-पिता गरीबी से तंग आकर अपनी बेटियों को बेच देते हैं। उनका यह भी मानना होता है कि घर के मुकाबले चकलाघर में उसकी बेटी का जीवन बेहतर होगा। कई महिलाओं एवं लड़कियों को उनके रिश्तेदारों, पति एवं पुरुष-मित्रों (Boy Friends) द्वारा भी इस पेशे में धकेला जाता है। कई लोग महिलाओं को शादी या नौकरी का झाँसा देकर उन्हें चकलाघर पहुँचा देते हैं। कई बार पड़ोसी देशों से लड़कियों को बहुत कम पैसे में खरीदकर इस पेशे में शामिल किया जाता है। यह भी देखा गया है कि सड़क के किनारे भीख मांगने वाली लड़कियों को भी चकलाघर तक पहुँचा दिया जाता है। इन महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति चकलाघर में बंद कैदियों जैसी ही होती है।

भारत के कुछ राज्यों में धार्मिक रीति-रिवाजों और रूढ़ियों के कारण भी कुछ स्त्रियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ धार्मिक केंद्रों में यह प्रथा बनी हुई है। दक्षिण भारत में इसे 'देवदासी प्रथा', महाराष्ट्र में 'मुरली', कर्नाटक में 'वासवी' एवं 'नामिका' आदि कहा जाता है। यह प्रथा धार्मिक वेश्यावृत्ति की श्रेणी में आती है।

वेश्यावृत्ति के कारण *(Causes of Prostitution)*

- जीविकोपार्जन के लिए,
- अधिक परिश्रम एवं कम आय वाले कार्य से बचने के लिए,
- घर पर होने वाले बुरे व्यवहार के कारण,
- गंदी बस्तियों में अनियंत्रित और अशिष्ट जीवन व्यतीत करने के कारण,
- धनी वर्ग का भोग-विलास और आनंद देखकर उसके लालच में आने के कारण,
- अश्लील, भ्रष्ट एवं अस्वस्थ मनोरंजन तथा पुरुषों के प्रलोभन और दलालों के प्रभाव में आने के कारण।
- माता-पिता का बुरा वर्ताव या उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाना।
- गलत संगत में होना (Bad Company)।
- पारिवारिक वेश्यावृत्ति (Family Prostitutes)।
- वेश्यावृत्ति की परंपरा
- कम उम्र में कौटुम्बिक व्यभिचार (Incest) या बलात्कार होना
- विवाह न हो पाना।
- यौन शिक्षा न मिलना।
- जल्द विवाह और पत्नी को छोड़ देना (Early Marriage and desertion)।
- अज्ञानवश वेश्यावृत्ति स्वीकार करना।
- गरीबी एवं आर्थिक विवशता।
- शारीरिक सुख की प्राप्ति की इच्छा होना।
- धन की लालसा।

उपर्युक्त वर्णित कारणों के अतिरिक्त महिलाओं द्वारा वेश्यावृत्ति अपनाने के पीछे जैवकीय कारण जैसे- वंशानुगत व्यवसाय, समलैंगिक संबंध, पति की नपुंसकता, यौन संबंधों में विविधता की इच्छा, प्रबल यौनेच्छा; पारिवारिक कारण, जैसे- अनैतिक परिवार, गोपनीय स्थान की कमी, परिवार में कटु संबंध; सामाजिक कारण, जैसे- दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक प्रोत्साहन न मिलना आदि कारण जिम्मेदार हैं।

आजकल वेश्यावृत्ति कई रूपों में देखने को मिलती है जिसमें गलियों एवं सड़कों किनारे होने वाली वेश्यावृत्ति प्रमुख है। शहरीकरण के साथ वेश्यावृत्ति अन्य रूपों में भी देखने को मिलती है जिसमें शराबघर (Bars), ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, सहचरी सेवा (Escort Services), कॉलगर्ल आदि प्रमुख हैं। ह्यूमन राइट वाच (Human Right Watch) के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ 50 लाख महिलाएँ एवं बच्चें वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियाँ शामिल होती हैं। इससे कम उम्र के लड़कियों का दुर्व्यापार (Trafficking) लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े शहरों में तो कॉलगर्ल की सेवाएँ कॉरपोरेट कार्यालय की तरह चलायी जाने लगी है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

वेश्यावृत्ति के लिए केवल स्त्रियाँ ही नहीं बल्कि पुरुष भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। पुरुषों के वेश्यागमन के कारणों के विश्लेषण पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं–

- वेश्याओं के पास जाने वाले अधिकांश लोग या तो अकेले रहते हैं या सेक्स संबंधों से संतुष्ट नहीं हैं।
- घर से दूर रहना।
- पत्नी की बीमारी अथवा अन्य शारीरिक एवं मानसिक कारण जिनकी वजह से पत्नी, पति के साथ सहवास करने में सक्षम नही हो पाती है।
- पुरुष के शारीरिक विकार जैसे- कुरूपता, बीमारी आदि के कारण हीनभावना से ग्रस्त ऐसे पुरुषों के लिए भी अपनी यौनेच्छा की पूर्ति का साधन वेश्यागमन ही रह जाता है।
- अविवाहित व्यक्ति अपनी यौन तुष्टि के लिए वेश्याओं के पास जाते हैं। इनमें से कुछ तो विवाह के बाद अपनी पत्नी के सम्मुख यौन संबंधी घबराहट से बचने के लिए यौन संबंधी जानकारी या अनुभव प्राप्त करने के चक्कर में वेश्यागमन के शिकार हो जाते हैं।
- कुछ लोग शारीरिक जरूरतों से ज्यादा भावनात्मक जरूरतों (Emotional needs) को पूरा करने के लिए वेश्यागमन करते हैं।
- विवाहित पुरुष पारिवारिक जीवन सुखी होते हुए भी नये आनंद के लालच में वेश्यागमन के शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पत्नियाँ संभोग के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करती हैं जिसके कारण उनके पति वेश्यागमन करने लगते हैं।
- अनेक विधुर व्यक्ति पुनर्विवाह इस भय के कारण नहीं करते कि उनकी पत्नी उनके बच्चों की देखरेख या सही संरक्षण नहीं करेगी। ये विधुर भी यौनेच्छा की पूर्ति के लिए वेश्यागमन करते हैं।
- उच्च वर्ग के कुछ व्यक्ति महिलाओं की संगति को सुख के तौर पर देखते हैं और वेश्यागमन के शिकार हो जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पहल *(National Initiative)*

वेश्यावृत्ति के विरुद्ध विश्वव्यापी आंदोलन चलाने का श्रेय जोसेफाइन एलिजाबेथ बटलर (Josephine Elizabeth Butler) को जाता है, जिन्होंने 1875 में 'दि इंटरनेशनल एबोलिशनिस्ट फेडरेशन' (International Abolitionist Federation) की नींव जेनेवा में डाली। इनके प्रयत्नों से प्रभावित होकर 'लीग ऑफ नेशंस' ने उन सभी सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों का अनुमोदन किया जो 'इंटरनेशनल एबोलिशनिस्ट फेडरेशन' के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे थे। इसके बाद कई देशों ने वेश्यावृत्ति के खिलाफ कानून बनाए। सन् 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वेश्याओं के शोषण एवं व्यक्तियों के दुर्व्यापार रोकने संबंधित संधिपत्र (Convention) को संस्तुति प्रदान कर दी।

भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में उठाए गये कदम *(Steps Taken by Government of India to Eliminate Prostitution)*

सन् 1950 में भारत ने मानव दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र (International Convention For the Suppression of Immoral Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of others) की अभिपुष्टि (Ratified) की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करने के लिए भारत ने 1956 में मानव दुर्व्यापार दमन अधिनियम (Suppression of Immoral Traffic Act.–SITA) पारित किया। यह मई 1957 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। इसकी विसंगतियों को दूर करने एवं नई चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (Immoral Traffic (Prevention) Act कहलाया। इस अधिनियम में यौनकर्मियों के अधिकारों को न केवल संरक्षित करने बल्कि उनके पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया। इसके अलावा 1993 में उच्चतम न्यायालय के एक दूरगामी महत्त्व के फैसले में यौनकर्मियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने का आदेश दिया गया तथा साथ ही यह निर्देश दिया गया ऐसे बच्चों को पिता का नाम देना बाध्यकारी नहीं होगा। दिसम्बर 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यौन कर्मियों के हित संरक्षण, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार रोकने एवं वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए 'उज्जवला' नामक योजना लागू की गई है।

अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन अधिनियम, 2006 [Immoral Traffic (Prevention) Amendment Act, 2006] के माध्यम से अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 को संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से कुछ नये प्रावधान जोड़े गए हैं।

नये प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी चकलाघर (Brothel) का प्रबंधन, देखरेख या देखरेख में सहायता करने का कार्य करता है तो उसे पहली बार दोषी पाये जाने पर दो से तीन साल तक की सश्रम (Rigorous) कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार दोषी पाये जाने पर तीन से सात साल की सश्रम कारावास की सजा तथा दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि यह अपराध किसी बच्चे के विरुद्ध किया गया हो तो उसे सात साल से आजीवन तक सश्रम कारावास की सजा हो सकती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी महिला को लाने, ले जाने, ढोने या आश्रय देने का कार्य करता है या इस कार्य के लिए व्यक्ति की नियुक्ति करता है तथा इन कार्यों के लिए उसने धमकी, बल प्रयोग, उत्पीड़न, बहलाना-फुसलाना, धोखा, छल-कपट, या अपनी शक्ति एवं सत्ता का दुरुपयोग करता है या पैसे का लेन-देन करता है, तो उसे मानव दुर्व्यापार का दोषी माना जाएगा। ऐसे किसी अपराध में शामिल होने पर पहली बार सात साल की जबकि दूसरी बार दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास (Imprisonment For Life) तक की सजा दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति मानव दुर्व्यापार के प्रति वचनबद्धता (Commit) दिखाता या उकसाता है तो उसे भी उपरोक्त सजा ही दी जाती है।

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्यालय में मानव दुर्व्यापार से पीड़ित के पास यौन उत्पीड़न (Sexual Exploitation) के उद्देश्य से जाता है तो उसके द्वारा ऐसा पहली बार गलती करने पर तीन माह की कारावास की सजा या बीस हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों एक साथ लगाया जा सकता है और उसके द्वारा दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर छह माह तक की कारावास की सजा के साथ पचास हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मानव दुर्व्यापार को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान इस संशोधन अधिनियम में किया गया है।

2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि यदि वेश्यावृत्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो क्या इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाने से इस पेशे पर निगरानी की जा सकेगी, इसमें शामिल महिलाओं का पुनर्वास किया जा सकेगा, उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। न्यायालय का कहना था कि कानून के माध्यम से इसे विश्व में कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सका है। कानूनी प्रतिबंध के बावजूद भी वेश्यावृत्ति किसी न किसी रूप में जारी रहती है।

फरवरी 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी शहरों में यौन कर्मियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर पुनर्वास योजना तैयार करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक पैनल (Panel) का भी गठन किया है जो यौन कर्मियों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न पहलूओं पर न्यायालय को सुझाव देने का कार्य करेगा।

वेश्यावृत्ति खत्म करने के लिए कुछ सुझाव *(Some Suggestions to Eliminate Prostitution)*

- सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं विभिन्न सम्प्रदाय के धार्मिक गुरुओं को वेश्यावृत्ति की मांग में कमी लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि समाज में सेक्स की मांग नहीं होगी तो वेश्याओं की संख्या में गिरावट आने लगेगी।
- इसकी मांग में शामिल व्यक्तियों, दलालों तथा दुर्व्यापार में शामिल व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के संबंध में ढीला-ढाला रवैया न अपनाकर इसे ऐसे पेशे के रूप में प्रचारित करने की जरूरत है जिसे कोई महिला या लड़की आकर्षक समझकर अपनाने के बारे में न सोचे।
- स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये, उनमें दक्षता का विकास किया जाए जिससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता समाप्त हो सके।
- वेश्याओं के बच्चों की शिक्षा इस ढंग से हो कि वे स्वयं इस व्यवसाय से घृणा करके सम्मानपूर्वक सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित हों।
- रेडियो, समाचार पत्रों एवं चलचित्रों द्वारा दलालों की चालों एवं तरकीबों को समझाया जाए जिससे लड़कियों में जागरूकता आये और वे उनके चंगुल में फँसने से बच सकें।
- सरकार और समाज सुधारकों को वेश्याओं एवं उनकी कन्याओं के विवाह का प्रबंध करना चहिए। अनेक वेश्याएँ अपना पेशा छोड़कर नैतिक जीवन व्यतीत करने का इच्छुक होती हैं लेकिन समाज उन्हें अन्य रूप में स्वीकार नहीं करता। अत: प्रयास किये जाएँ कि समाज उन्हें किसी अन्य रूप में स्वीकार करने को तैयार हो।
- वेश्याओं के प्रति समाज की मनोवृत्ति को बदलना होगा। उन्हें मजबूरी का शिकार समझकर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।
- अनेक स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति अपनाने के कारण मानसिक दुर्बलता या अन्य प्रकार के मानसिक विकार की शिकार हो जाती हैं, ऐसी स्त्रियों से बातचीत करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रत्येक जिले में सुधारगृहों की व्यवस्था की जाए। वेश्यावृत्ति में फँसी लड़कियों एवं स्त्रियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों पर ऐसे परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिनका उद्देश्य पारिवारिक सामंजस्य की समस्याओं को समझाना हो। इन परामर्श केन्द्रों को यह भी कर्त्तव्य सौंपा जाना चाहिए कि वह उन व्यक्तियों को यौन शिक्षा दे जो यौन व्यवहार के स्वस्थ सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं।
- यौन शिक्षा को 16 वर्ष के ऊपर के लड़के-लड़कियों के अध्ययन का एक विषय भी बनाया जा सकता है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

वेश्यावृत्ति को कानून सम्मत बनाने की बहस *(Discussion to Legalise Prostitution)*

वेश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहनाने को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। इसके समर्थक पश्चिमी देशों का अक्सर उदाहरण पेश करते हैं जहाँ वेश्यावृत्ति को कानून के दायरे में लाया गया है और उनके संरक्षण के लिए कानून बनाये गये हैं। वहीं दूसरी ओर इसके विरोधी इस पेशे को मानव विरोधी मानते हैं और इसके पूर्णत: उन्मूलन पर बल देते हैं। उनका तर्क है कि कोई महिला सहर्ष इसे स्वीकार नहीं करती और अगर इसे पेशा कहा जाता है तो ऐसे लोग ढूँढने पर नहीं मिलेंगे जो अपनी बेटी या बहन से इस पेशे को स्वीकारने के लिए कहेगें और समाज में गर्व से इसे स्वीकार कर सकेगें। इसी बहस को और ज्यादा समझने के लिए इसके पक्ष-विपक्ष को बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है।

पक्ष में तर्क *(Reasons to Support)*

- चकलाघरों पर पुलिस छापों के समय वेश्याओं को छुड़ाने का पुराना रवैया या फिर नकली ग्राहक भेजकर यौन कर्मियों को पकड़ने का पुलिसिया तरीका ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ खुले तौर पर काम करने की जगह भूमिगत हो जाती हैं। इससे सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना मुश्किल हो जाता है जिससे 'एड्स की रोकथाम' और 'सुरक्षित सेक्स' जैसे अभियान विफल हो जाते हैं। अगर वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर सुरक्षित होगी तो ऐसे कार्यक्रम चलाने में बाधा नहीं आएगी।
- इस पेशे में ज्यादातर महिलायें विवशतावश आती हैं। इसे कानूनी रूप देने से इसमें शामिल महिलाओं एवं लड़कियों के दमन (Suppression) एवं उत्पीड़न (Coercion) पर रोक लग सकती है।
- इससे यौन कर्मियों के व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता का सवाल सामने आता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। उसे रोकना संविधान के मूल्यों के विपरीत जाना होगा।
- वेश्यावृत्ति भूमिगत (Underground) व्यापार के रूप में प्रचलित है। वेश्यावृत्ति से होने वाली आय संगठित अपराध एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने में निवेश की जाती है। इसे कानूनी रूप देने से सरकार धन के प्रवाह पर नज़र रखने में सक्षम हो सकेगी।
- एक बार इस व्यवसाय में शामिल हो जाने के बाद अनेक स्त्रियाँ इसे ही अपना एकमात्र विकल्प मान लेती हैं। ऐसे में उनकी आजीविका का सवाल सामने आता है।
- इसे कानूनी रूप देने से यौन कर्मी बेहतर सौदा (Deal) करने में सक्षम होंगे। इससे उनमें व्यावसायिकता (Professionalism) को बढ़ावा मिलेगा।
- वेश्यावृत्ति को कानूनी संरक्षण नहीं मिलने से यौन कर्मियों की असुरक्षा बढ़ी है और भ्रष्टाचार को नए आयाम मिले हैं। वेश्यावृत्ति विरोधी कानूनों से पुलिस राज्य की अवधारणा को बल मिलेगा।
- कानूनी रूप देने से वेश्यावृत्ति पर कर (Tax) लगेगा। इस स्थिति में वेश्यावृत्ति महँगी होगी, जिससे स्वाभाविक तौर पर इसकी माँग में गिरावट आ सकती है।
- यौन कर्मी एक नागरिक के रूप में अपने नागरिक अधिकारों के इस्तेमाल में सक्षम एवं उत्सुक होंगे।
- वेश्यावृत्ति को वास्तव में सम्पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है। कई देशों में इसकी कोशिशें की गई लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि वेश्यावृत्ति के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाएँ।

विपक्ष में तर्क *(Reasons to Oppose)*

- वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप देने से सामाजिक मूल्यों (Social Norms) को खतरा पहुँच सकता है। छोटे-छोटे बच्चों को इस धंधे में धकलने का प्रयास किया जा सकता है। वेश्यालयों एवं चकलाघरों का प्रचार समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। आवासीय परिसरों में इनकी स्थापना हो सकती है जिससे सांस्कृतिक विकृति (Cultural Distortions) आ सकती है।
- सेक्स व्यापार के साथ अधिकांशत: हिंसा और अनैतिक कार्य संबद्ध होते हैं। ज्यादातर अपराधिक तत्वों के साथ इनकी मिलीभगत होती है। इस स्थिति में रिहाइशी इलाकों में ऐसी गतिविधियाँ उस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगी।
- विश्व में जहाँ भी वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया गया है वहाँ अवैध वेश्यावृत्ति नहीं रोकी जा सकी है। कानूनी वेश्यावृत्ति महंगी पड़ती है इसलिए कई लोग सस्ते एवं गैर-कानूनी वेश्यावृत्ति को प्राथमिकता देते हैं।
- इस व्यवसाय को कानूनसम्मत बनाए जाने की मांग करने वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि वेश्याओं, दलालों और उनके सहायकों को सम्मान दिलाना किसका कर्त्तव्य होगा? क्या सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसा कानून बनाए जिससे लोग वेश्यावृत्ति में लिप्त होने से न हिचकिचाएँ?

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- जहाँ तक वेश्यावृत्ति का प्रश्न है, दुनियाभर में इस धंधे को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि जो वेश्याओं के ग्राहक हैं, वे भी उन्हें सम्मानीय नहीं मानते। अगर वेश्याएँ अपने ग्राहकों का भी सम्मान प्राप्त न कर सकीं तो शेष समाज का सम्मान वे कैसे हासिल करेंगीं?
- वेश्याओं से मिलने वाले कर का योगदान कुल प्राप्त करों में अतिसूक्ष्म ही रहेगा।
- वेश्यावृत्ति को कानून सम्मत बनाने से इसकी मांग में और बढ़ोतरी हो सकती है इसलिए पीड़ितों की संख्या बढ़ने की संभावना हो सकती है।
- महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा वेश्या के रूप में कार्य करने से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन एवं सम्मान को चोट पहुँचती है।

बलात्कार *(Rape)*

वर्तमान समय में बलात्कार की घटना एक आम बात बन गई है और एक सामाजिक बुराई के रूप में यह अपने चरम स्तर पर पहुँच चुकी है। समाज का कोई भी वर्ग एवं संप्रदाय इससे अछूता नहीं है। आयु का बंधन इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 80 फीसदी बलात्कार की घटनाएँ 10 वर्ष की बच्चियों से लेकर 30 वर्ष तक की महिलाओं के साथ होती हैं। युवा स्त्रियों के साथ बलात्कार की संभावना सबसे अधिक होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में हर दूसरे मिनट, भारत में प्रत्येक 54 मिनट तथा पाकिस्तान में हर तीन घंटों में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। सबसे दुखद बात तो यह है कि महिलाओं के साथ होने वाली इन बलात्कार की 80 फीसदी घटनाओं में उनके नजदीकी संबंधी अथवा मित्र शामिल होते हैं। यद्यपि बलात्कार की घटना समाज के सभी वर्गों में देखी जाती है लेकिन सापेक्षिक रूप से निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले समुदायों में ऐसी घटनाएँ ज्यादा देखने को मिलती हैं। छेड़-छाड़ अथवा बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति के संबंध में आवश्यक नहीं कि वह चरित्रहीन सामाजिक छवि वाला हो, वह एक सुशिक्षित, विवाहित तथा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति भी हो सकता है।

बलात्कार के प्रकार *(Types of Rape)*

वैवाहिक बलात्कार *(Marital Rape)*: हमारे समाज में कई महिलाओं को पति द्वारा जबरन सहवास करने की त्रासदी से गुजरना पड़ता है। कुछ पुरुष महिलाओं को मात्र मनोरंजन का साधन मानते हैं। इस प्रकार के पुरुष किसी न किसी हीनभावना से ग्रसित होते हैं और एक प्रकार के मानसिक रोगी होते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी सेक्स संतुष्टि से मतलब होता है। अपने साथी की भावनाएँ इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पति, पत्नी के शरीर पर अधिकार समझ कर जबरदस्ती कर बैठते हैं। पत्नियाँ शर्म, परंपरा के दबाव और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण विरोध नहीं कर पाती हैं। वे जबरन सहवास को विवाह के जीवन का अनिवार्य अंग मान बैठती हैं।

सामूहिक बलात्कार (Gang Rape)

सामूहिक बलात्कार का मतलब है कि जब एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही मंशा (Intention) से किसी महिला से बलात्कार करें। यह पुरुषों की उग्रता का सबसे घृणित रूप है। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal code) में इसे बलात्कार का अत्यंत घृणित रूप माना गया है। पुरुषों के लिए यह मात्र बदला लेने या उत्पीड़न करने की एक सोची समझी नृशंस (Cold-Blooded) रणनीति होती है लेकिन यह किसी अकेली लड़की या महिला के लिए भयानक (Terrible) घटना होती है।

अभिरक्षण बलात्कार (Custodial Rape)

अभिरक्षण बलात्कार ज्यादा संगीन बलात्कार है। ऐसे बलात्कार सामान्यतया उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो महिलाओं एवं लड़कियों के देखभाल का कार्य करते हैं। उनके कल्याण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1998 (Criminal Law Amendment Act, 1998) में अभिरक्षण बलात्कार को साधारण बलात्कार के मुकाबले ज्यादा घृणित अपराध माना गया है। कानून द्वारा स्थापित बच्चों के लिए सुधार गृह (Remand Home), जेल या अन्य अभिरक्षण स्थलों पर तैनात पुलिस एवं अन्य कर्मियों के लिए अभिरक्षण बलात्कार के मामलों में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एकल महिलाएँ (Single Women), विधवाएँ, व्यस्क बच्चे तथा समाज के कमजोर तबके की महिलाएँ ऐसी बलात्कार की शिकार ज्यादा होती हैं क्योंकि ये पहले से ही सहायक तंत्रों (Supportive Mechanism) के अभाव से गुजर रहे होते हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

बलात्कार के उत्तरदायी कारक *(Responsible Factors for Rape)*

यदि बलात्कार का विश्लेषण किया जाए तो इसके पीछे कुछ समान और भिन्न कारण खोजे जा सकते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष स्वयं को औरत का मालिक समझने लगते हैं। पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी को आर्थिक सुरक्षा देकर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को खरीद लेता है। उसे वस्तु की तरह इस्तेमाल करने का हक हासिल कर लेता है। लड़की के माता-पिता भी कन्यादान ऐसे करते हैं जैसे वे कोई 'वस्तु' सौंप रहे हों। ऐसी परम्पराएँ महिलाओं की स्थिति को निम्नतर बनाने का कार्य करती हैं। यह भी सच है कि बलात्कार की ज्यादातर घटनाएँ घर-परिवार, नातेदारों, रिश्तेदारों के बीच घटती है। इनमें अधिकांश मामले कभी सामने नहीं आ पाते हैं। यदि महिला शिकायत करे तो उसकी जिंदगी और भी नारकीय हो सकती है। उसे बेघर होने का डर होता है। उन्हें इतनी शिक्षा एवं संपत्ति नहीं मिलती कि वे अपना जीवन सुव्यवस्थित कर सके। राज्य की ओर से ठोस सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी नहीं किया जाता। इन सब कारणों से महिलाएँ बलात्कार की शिकायत नहीं करतीं।

किसी परिवार या समुदाय को नीचा दिखाने के लिए भी बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। उनके सम्मान एवं गरिमा को चोट पहुँचाया जाता है। दंगों के दौरान सामान्य तौर पर जातीय एवं धार्मिक आधार पर बलात्कार किए जाते रहे हैं। कभी-कभी पुलिस एवं सेना के जवानों द्वारा किसी क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्रोह करने वाले समूह का आत्म-विश्वास कमजोर हो जाए। कभी-कभी निम्न जातियों में उभरती चेतना को दबाने के लिए उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हरियाणा में घटने वाली बलात्कार की अधिकांश घटनाएँ इसी श्रेणी में शामिल रही हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बलात्कार की घटनाओं के पीछे यौन-संतुष्टि की भी भूमिका होती है। शहरों की संस्कृति कुछ इस तरह की बनती जा रही है जिसमें यौन आकांक्षा (Sexual Desire) बढ़ती ही जा रही है लेकिन उस मात्रा में उसकी पूर्ति के साधन उपलब्ध नहीं होते; इस कारण जब भी मौका मिलता है कोई महिला या लड़की बलात्कार की शिकार हो जाती है।

उपभोक्तावाद ने लड़कियों व महिलाओं को वस्तु के रूप में बदल दिया है। इससे यौन आकांक्षाएँ बढ़ी हैं। इन सब कारणों से विवाहेत्तर संबंधों की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। इस यौन आकांक्षा को बढ़ाने में बाजार, विज्ञापन, गानों, पोर्न एवं अन्य फिल्मों का भी योगदान है। यौन आकांक्षाओं को मन में पाले आज का व्यक्ति कुंठा में जीता है। लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता है वह बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है।

शहरीकरण और प्रवासन जैसी समस्याओं से बलात्कार के तार जुड़े है। शहरों में ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी के कारण अपने परिवार को साथ नहीं रख पाते जिससे कि वे अपनी यौन-इच्छाओं की पूर्ति कर सके। शराबियों एवं नशेड़ियों का एक बड़ा वर्ग भी शहरों में रहता है। इनमें यौन आक्रामकता एवं अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है।

बलात्कार का एक कारण सामाजिक नियंत्रण का अभाव भी है। ज्यादातर बलात्कारियों को समाज या परिवार द्वारा बहिष्कार का भय नहीं होता है। सामंती समाज में लड़के द्वारा किए गए बलात्कार को क्षम्य माना जाता है। जातिवादी एवं सांप्रदायिक बलात्कार के मामलों में तो यह सामाजिक प्रशंसा का कारण तक बन जाता है। बलात्कार उन व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते हैं जो दूसरी जगहों से आते हैं और तात्कालिक रूप से सामाजिक एवं पारिवारिक नियंत्रण से मुक्त होते हैं।

कानून का भय समाप्त होना भी बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा देता है। लचर कानून-व्यवस्था का फायदा उठाकर बलात्कारी बचते रहे हैं। पुलिस स्वयं ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस अपने सामंती सोच के कारण हर पीड़ित महिला या लड़की को कॉल गर्ल या प्रेमी-प्रेमिका के मामलों के रूप में देखने का प्रयास करती है। वह खुद मामले को रफा-दफा करने के लिए दबाव डालती है। मामला यदि न्यायालय में चला भी जाए तो सरकारी वकील में इच्छाशक्ति का अभाव एवं संबंधित जाँच एजेंसियों में तालमेल के अभाव में या तो पीड़ित स्वयं थक-हारकर बैठ जाती है या मामला न्यायिक विलम्ब का शिकार हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में फायदा बलात्कारी को मिलता है। अधिकांश मामलों में आरोपी जमानत पर छूटकर बाहर विचरण करते हैं और पीड़ित किसी अनहोनी के भय में जीती है। इन स्थितियों में शहरी लड़कियाँ एवं महिलाएँ एक अनहोनी का सामना हमेशा करती हैं। कुछ अन्य कारक भी हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है-

- बलात्कार से जुड़े कानून पुरुष के पक्ष में खड़े दिखते हैं। भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की परिभाषा जहाँ एक ओर काफी अस्पष्ट है, वहीं वर्तमान समय में होने वाली बलात्कार की घटनाओं की विविधता के चलते यह परिभाषा अपर्याप्त भी है। हालाँकि आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (संशोधन) के माध्यम से पारिभाषिक अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है।
- बलात्कार के साथ जुड़े सामाजिक कलंक के डर से तथा विद्यमान कानूनों द्वारा अपराधी को दोषी सिद्ध न कर पाने के कारण अधिकांश महिलाएँ या तो पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं और न ही इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। इसके अलावा महिलाएँ संकोची स्वभाव की वजह से यह सोचने को मजबूर हो जाती हैं कि कहीं न कहीं वे स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कई बार तो न्यायालय में लंबे समय तक मामले को विचारणीय रखा जाता है तथा न्यायिक कार्यवाही के दौरान पीड़ित से कई नैतिक दृष्टि से अनुचित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ एक ओर कानूनी लड़ाई में भी लंबा समय लगता है, वहीं बलात्कार का आरोप साबित करने की जिम्मेदारी भी पीड़ित के ऊपर ही होती है।
- अत्यधिक कठोर व्यवहार प्रतिमान वाले समाज़ों में जहाँ विवाह पूर्व तथा विवाहेत्तर यौन संबंधों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, दमित यौन आकांक्षाओं वाले व्यक्ति बलात्कार के माध्यम से अपनी दमित इच्छाओं की तुष्टि करते हैं।
- महिलाओं द्वारा तिरस्कृत पुरुष तथा महिलाओं से घृणा करने वाले व्यक्ति भी प्रतिशोध में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
- पश्चिमीकरण के फलस्वरूप पनपी उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी स्त्री को मनोरंजन के साधन में बदल दिया है।
- संचार माध्यमों द्वारा सेक्स और हिंसा का प्रदर्शन भी यौन सुख को विकृत रूप में पेश करता है।

बलात्कार के परिणाम *(Consequences of Rape)*

बलात्कार स्त्री के शरीर को ही नहीं बल्कि उसके पूरे मानस, उसके जीवन जीने की क्षमता व उसकी अस्मिता को छिन्न-भिन्न कर देता है। साधारण तौर पर बलात्कार की घटनाओं में शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है जिससे पीड़ित को शारीरिक चोटें पहुँचती हैं। सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में तो यह और भी ज्यादा होता है। कई बार पीड़ित की हत्या तक कर दी जाती है। यदि पीड़ित बच गई तो उसे कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। गर्भधारण संबंधी समस्या, रक्तप्रवाह (Bleeding), यौन आकांक्षा समाप्त होना, दर्द एवं जलन, पेडू का दर्द या संक्रमण संबंधी बीमारियों के अतिरिक्त एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

पीड़ित महिला का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उसके व्यवहार में अनेक तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसी महिलाएँ जो अपने बचपन या युवावस्था के दौरान बलात्कार की शिकार होती हैं, उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पायी गई है। उसका व्यवहार जाने-पहचाने या अनजाने लोगों के प्रति बदल सकता है तथा परिवार एवं समाज से कट सकती है।

कई लोगों का मानना है कि बलात्कार केवल शारीरिक भूख मिटाने के लिए नहीं किए जाते बल्कि महिला को नियंत्रित एवं उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। इस रूप में बलात्कार केवल एक अपराध ही नहीं बल्कि एक अस्वस्थ समाज का परिचायक भी है कुछ लोग महिलाओं द्वारा डाँटने-फटकारने जैसी घटनाओं का बदला लेने के लिए भी बलात्कार कर बैठते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर समाजशास्त्रियों का मानना है कि हर प्रकार के बलात्कार में यौन इच्छा की पूर्ति आवश्यक तत्त्व के रूप में विद्यमान रहती है।

यह भी देखा गया है कि जब पुरुष अपने रंगरूप, धन सम्पत्ति या हैसियत से महिला को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है तो फिर वह बलात्कार का सहारा लेता है। पुरुष ऐसी घटनाओं में कम से कम जोखिम उठाना चाहता है। इस कारण जब महिला अकेली और असुरक्षित होती है या वह शारीरिक रूप से बलात्कारी से कमजोर होती है तभी बलात्कार की घटनाएँ होती हैं। बलात्कार की घटनाओं के साथ हिंसा हो भी सकती या नहीं भी, लेकिन सामान्य तौर पर बलात्कार के साथ सामान्य मार-पीट की घटनाएँ होती हैं। वैश्विक स्तर पर बलात्कार के 0.1 प्रतिशत मामलों में पीड़ित की हत्या भी कर दी जाती है। ये हत्याएँ भी मारने की इच्छा से नहीं की जाती बल्कि ऐसी अपराधों के एकमात्र साक्ष्य को समाप्त करने के प्रयास में की जाती है ताकि आरोपी दण्डित होने से बच सके।

बलात्कार रोकने के उपाय *(Measures to Prevent Rape)*

- बलात्कार जैसी घटनाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या त्वरित अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। इनमें महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन अदालतों में मामले की सुनवाई के लिए निश्चित समय-सीमा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में भी समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- केवल ऐसा नहीं है कि बलात्कार के मामले कम रिपोर्ट किए जाते हैं बल्कि पीड़ित महिलाओं के साथ जिस मानवीयता के साथ जाँच अधिकारी को पेश आना चाहिए, वैसे उनका व्यवहार नहीं होता है। पीड़ित महिलाएँ, पुरुष जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने में शर्म एवं लज्जित महसूस करती हैं। यह ज्यादा अच्छा होता कि महिला जाँच अधिकारी पीड़ित महिला के स्टेटमेंट को दर्ज करें। दुर्भाग्यवश भारत में बहुत ही कम महिला पुलिस कर्मी अधिकारी हैं और जो हैं भी वे ज्यादातर बड़े शहरों में ही हैं। कई ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसे महिलाएँ महिला जाँच कर्मी या महिला पुलिस कर्मी के अभाव में बताती भी नहीं हैं।
- पीड़िता को बार-बार न्यायालय आने से मुक्ति मिले, इसके लिए सूचना तकनीक का सहारा लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) की मदद से उसकी गवाही की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इससे वह अनावश्यक दबाव से भी बच सकेगी।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- छोटी बच्चियों एवं बलात्कार के गंभीर मामलों (जिसमें हिंसा भी शामिल हों) में मृत्युदण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए। कठोर आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे परिवार वालों को भी सबक मिल सकेगा।
- सेना, पुलिस एवं शहरों में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार करना चाहिए। उन्हें नियमित अंतराल पर छुट्टियाँ मिलनी चाहिए जिससे वे अपने परिवार से मिलजुल सकें। इससे वे तनाव व दबाव से मुक्त हो सकेंगे। उनका वेतन इस लायक होना चाहिए कि वे अपने परिवार के साथ रह सकें।
- महिलाओं का सशक्तीकरण किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि वे स्व-निर्भर हो सके। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए पैतृक संपत्ति में हिस्सा व्यावहारिक तौर पर भी मिले, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसी मात्रा में वे सामाजिक अन्याय एवं अन्य अपराधों का प्रतिकार कर सकेंगी।
- बलात्कार एवं अन्य तरह के अपराधों के पीड़ित महिलाओं के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष (National Fund) का गठन किया जाना चाहिए। इससे पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत मिल सकेगी एवं उनका उचित पुनर्वास किया जा सकेगा।
- फिल्म सेंसर बोर्ड की तरह टी.वी. कार्यक्रमों तथा फिल्मी एवं क्षेत्रीय भाषायी गानों के लिए भी नियामक संस्था का गठन किया जाना चाहिए।
- निश्चित उम्र के बच्चों के लिए यौन शिक्षा विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि विवाह-पूर्व यौन संबंधों के क्या नुकसान हो सकते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के उपाय किए जाने चाहिए।
- बलात्कार या अन्य आपराधिक मामलों के आरोपी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए और भविष्य में उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- सबसे प्रमुख बात सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की होनी चाहिए। बलात्कार एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिला के प्रति वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के प्रति अपनाया जाता है। पीड़ित महिला के प्रति समाज को संवेदनशील होना चाहिए। उसे समाज से अलग नहीं किया जाना चाहिए।
- घर में बच्चों की शुरुआत से ही पालन-पोषण इस तरह किया जाना चाहिए जिससे लिंग-समानता को बढ़ावा मिल सके। अगर समाज इसे घृणा की दृष्टि से देखे और बलात्कारी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए तो ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत में तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (Tukaram Vs. state of Maharashtra) जिसे मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से नाराज होकर महिला संगठनों ने ऐतिहासिक आंदोलन खडा कर दिया। यह केस आज भी भारतीय न्यायपालिका के माथे पर एक कलंक के समान है। इस मामले में पीड़िता द्वारा आरोपों को साबित नहीं किए जा सकने के आधार पर सभी आरोपियों को मुक्त (Acquitted) कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा था कि पीड़िता यह साबित नहीं कर सकी कि उसने यौन संबध (Sexual intercourse) स्थापित करने के लिए अपनी सहमति (Consent) नहीं दी थी। न्यायालय के इस निर्णय से नाराज होकर बड़ी संख्या में लोगों एवं संगठनों ने मामले की पुनः सुनवाई के लिए सर्वोच्च-न्यायालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया था। इन सब घटनाक्रमों से सरकार बलात्कार के कानूनों में आवश्यक बदलाव लाने को बाध्य हुई थी। आपराधिक मामलों की सुनवाई प्रक्रिया एवं साक्ष्य कानूनों (Rules of Evidence) में भी बदलाव लाया गया था।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
[Criminal Law (Amendment) Act, 2013]

भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 को 2 अप्रैल 2013 को अपनी सहमति प्रदान की। इस नए कानून में तेजाबी हमलों, पीछा करने और छुप-छुपकर घूरने जैसे अपराधों के लिए भी सजा के प्रावधान किए गए हैं।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (Criminal Law (Amendment) Act, 2013) की मुख्य विशेषताएँ

- इस अधिनियम में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।
- इस अधिनियम में बलात्कार पीड़िता की मौत या उसके स्थायी रूप से मृत प्राय हो जाने के मामलों में सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड का प्रावधान है।
- सामूहिक बलात्कार के मामलों में कम से कम 20 वर्ष की सजा कर दी गई है और इसे बढ़ाकर आजीवन करने का प्रावधान है।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को दण्डित करने का प्रावधान है।
- महिला अपराध की सुनवाई बंद कमरे में करने का प्रावधान है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सहमति से सेक्स की उम्र 18 वर्ष रखी गई है।
- तेजाब फेंककर गंभीर नुकसान पहुँचाने, बुरी नीयत से पीछा करने या देखने और यौन उत्पीड़न के अन्य मामलों में विशिष्ट सजाओं का प्रावधान है।
- तेजाबी हमला करने वालों को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान कानून में किया गया है।
- इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या मुफ्त उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा।
- यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों, प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है।
- कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को, यदि वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है, तो उसे अपना बयान दुभाषिये या विशेष व्यक्ति की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की भी अनुमति दी गई है।
- इसमें कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान किया गया है।
- यौन उत्पीड़न की सजा तीन साल, गलत नीयत से पीछा करने पर अधिकतम पाँच साल, दर्शनरति (Voyeurism) में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।

वर्मा समिति की सिफारिशें

आपराधिक कानून में संभावित संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 23 जनवरी 2013 को सौंपी। दिल्ली में पैरा मेडिकल छात्रा के साथ 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस समिति का गठन 23 दिसंबर 2012 को किया था। इस समिति के अन्य सदस्य हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम थे।

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

1. न्यायलय के संज्ञान लेते ही आरोपी के चुनाव लड़ने पर रोक लगे।
2. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के हलफनामे की कैग से जाँच होनी चाहिए।
3. दुष्कर्म के आरोपी को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिले।
4. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति जरूरी नहीं।
5. अपराध कानून संशोधन विधेयक 2012 में यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल असॉल्ट) की जगह पहले से मौजूद दुष्कर्म (रेप) शब्द का प्रयोग किया जाए।
6. आत्मरक्षा कानून में संशोधन कर एसिड हमले को भी शामिल किया जाए।
7. छेड़खानी व दुष्कर्म के मामले में एफआइआर नहीं करने वाले अधिकारी को पाँच वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाए।
8. एसिड हमले के दोषी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो।
9. अश्लील हरकत पर एक वर्ष की सजा हो।
10. शारीरिक छेड़छाड़ पर 5 वर्ष की सजा।
11. महिला के कपड़े जबरन उतारने पर तीन वर्ष से सात वर्ष की सजा।
12. महिला का पीछा करने वाले को एक से तीन वर्ष तक की सजा।
13. छेड़खानी करने पर 1 से 7 वर्ष तक की सजा।
14. मानव तस्करी की सजा 7 से 10 वर्ष।
15. एक से अधिक लड़कियों की तस्करी पर सजा 10 वर्ष से उम्रकैद तक।
16. नाबालिग की तस्करी में भी 10 वर्ष से उम्रकैद तक की सजा।
17. एक से अधिक नबालिग की तस्करी पर 14 वर्ष से उम्रकैद तक की सजा।
18. एक से अधिक बार मानव तस्करी में पकड़े जाने पर जीवित रहने तक जेल की सजा।
19. तस्करी कर लाए गए बाल श्रमिक को काम देने वाले नियोक्ता को भी पाँच वर्ष की सजा, ऐसे बालिग को नौकरी पर रखने वाले को तीन से पाँच वर्ष की सजा।
20. दुष्कर्म की परिभाषा में संशोधन कर अप्राकृतिक यौनाचार को भी शामिल किया जाए।
21. दुष्कर्म की सजा सात वर्ष से उम्रकैद की जाए, पीड़िता को मुआवजा मिले।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright- Drishti The Vision Foundation

22. संरक्षण में दुष्कर्म की स्थिति में सजा 10 वर्ष से उम्रकैद तक।
23. दुष्कर्म से मौत या मौत की स्थिति तक पहुँचने पर कम से कम 20 वर्ष या जीवनपर्यन्त जेल।
24. नाबालिग से दुष्कर्म की स्थिति में 10 वर्ष से उम्रकैद तक की सजा।
25. सामूहिक दुष्कर्म की नई धारा बनाकर 20 वर्ष से जीवनपर्यन्त कैद की सजा और मुआवजा।
26. सामूहिक दुष्कर्म से मौत या मौत की स्थिति में पहुँचने पर जीवनपर्यन्त कैद की सजा।
27. दोबारा दुष्कर्म के आरोपी को जीवनपर्यन्त जेल की सजा।
28. सुरक्षा का दायित्व निभाने में नाकामी की वजह से दुष्कर्म की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी को 7 से 10 वर्ष तक की सजा।

महिलाओं का दुर्व्यापार *(Trafficking of Women)*

महिलाओं के दुर्व्यापार का तात्पर्य वेश्यावृत्ति, वाणिज्यिक विवाह (Commercial Marriages), बलात् श्रम (Forced Labor), अंगों के दुर्व्यापार आदि के उद्देश्य से महिलाओं की अवैध खरीद-बिक्री करना है।

दुर्व्यापार की परिभाषा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दी गई है। धारा 5 में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की प्राप्ति (Procuring), खरीद एवं बाध्य करने को (Inducing) दुर्व्यापार (Trafficking) माना गया है।

दुर्व्यापार की विस्तृत परिभाषा गोवा चिल्ड्रेन एक्ट 2003 में दिया गया है। हालांकि इसे बाल-दुर्व्यापार (Child Trafficking) पर केन्द्रित किया गया है लेकिन इसमें दुर्व्यापार की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत बाल दुर्व्यापार को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को डराकर-धमकाकर या उसके विरुद्ध बल प्रयोग कर या अन्य उत्पीड़नकारी साधनों द्वारा, अपहरण कर, धोखे या छल-कपट से, शक्ति का दुरुपयोग कर (Abuse of Power), नियुक्ति, लाने-ले जाने की कार्रवाई, स्थानांतरण, देश की सीमा के अंदर या बाहर आश्रय प्राप्ति यदि मौद्रिक लाभ के लिए की जाए तो इसे दुर्व्यापार माना जाएगा।

सामान्य रूप से दुर्व्यापार पीड़िता के साथ कई प्रकार की क्रूरता बरती जाती है जिनमें प्रमुख तौर पर पीड़िता को गलत तरीके से प्राप्त करना, गलत तरीके से रोकना एवं बंधक बनाना, शारीरिक एवं मानसिक यातना देना, डराना-धमकाना, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ जुड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा कलंकित करना (Defame), गैर-कानूनी श्रम करने के लिए बाध्य करना आपराधिक षड्यंत्र आदि भी शामिल हो सकते हैं। कई मामलों में पीड़िता की हत्या तक कर दी जाती है।

हमारे देश में दुर्व्यापार का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं एवं लड़कियों को नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से यहाँ लाया जाता है और मध्य-एशिया के देशों में भेजा जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ के चकलाघरों में लगभग दो लाख महिलाएँ एवं लड़कियाँ हैं। इनमें से ज्यादातर को विवाह करने या रोजगार दिलाने के नाम पर यहाँ लाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं एवं लड़कियों के वैश्विक दुर्व्यापार (Global Trafficking) का एक प्रमुख ठिकाना (Destination) एवं पारगमन केंद्र (Transit Points) बन गया है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा मानव दुर्व्यापार के अन्य केंद्रों के रूप में थाईलैंड, पाकिस्तान, चीन एवं कम्बोडिया का नाम लिया गया है। भारत एवं पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहाँ बड़ी संख्या में दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं एवं लड़कियों को लाया जाता है और यहाँ से मध्य-पूर्व के देशों में भेजा जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शस्त्र एवं ड्रग्स के अवैध व्यापार के बाद मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking) तीसरा सबसे आकर्षक अवैध व्यापार (Illicit Business) है। वह संगठित अपराधियों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस गैर-कानूनी गतिविधि से 7 बिलियन डॉलर से 12 बिलियन डॉलर तक की सालाना आय होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) के एक अनुमान के अनुसार यदि दुर्व्यापार के पीड़ित अपने गंतव्य देश (Destination Country) पहुँच जाते हैं तो इस गतिविधियों में शामिल लोगों को 32 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सालाना आय होती है।

दक्षिण एशिया में बच्चों का दुर्व्यापार विशेष चिन्ता का कारण है क्योंकि यह समस्या बालश्रम एवं घरेलू कार्यों के लिए लड़कियों के शोषण से जुड़ी हुई है। दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं को ज्यादातर वेश्यावृत्ति, सेक्स टूरिज्म (Sex Tourism), वाणिज्यिक विवाह (Commercial Marriages), घरेलू एवं कृषि के साथ-साथ अन्य श्रम साध्य कार्यों में लगाया जाता है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं एवं लड़कियों के दुर्व्यापार से मानवाधिकारों का हनन होता है। यह संगठित अपराध (Organised Crime) की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। संबंधित एजेंसियों द्वारा इसे रोकने का संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है जिसके कारण पीड़ितों की समस्याएँ और बढ़ जाती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबका मानव दुर्व्यापार से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं। इससे इस अपराध की मजबूत जड़ों का पता चलता है।

दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति *(Trafficking Vs Prostitution)*

दुर्व्यापार का अर्थ वेश्यावृत्ति नहीं है। वे एक-दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का वाणिज्यक उद्देश्य से शारीरिक शोषण करना वेश्यावृत्ति कहलाता है। यदि किसी महिला या बच्चे

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

का यौन शोषण होता है और इससे किसी को वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होता है तो इसे वेश्यावृत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। यह कानूनी तौर पर दण्डनीय अपराध (Legally Punishable Offence) है। दुर्व्यापार (Trafficking) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual Exploitation) के उद्देश्य से नियुक्ति, करार (Contract), प्राप्ति (Procuring) भाड़े पर लेने की कार्रवाई (Hiring) की जाती है। इस प्रकार दुर्व्यापार (Trafficking) एक प्रक्रिया है जबकि वेश्यावृत्ति (Prostitution) उसका परिणाम है। वाणिज्यक यौन शोषण की मांग (Demand) दुर्व्यापार को प्रोत्साहन देती है एवं इसकी मांग बनाए रखती है। यह एक दुष्चक्र (Vicious Cycle) के रूप में कार्य करती है। दुर्व्यापार से अन्य कार्यों, जैसे- अश्लील सामग्री (Pormographic Material) का निर्माण, यौन पर्यटन (Sex Tourism), बार टेंडर, मसाज पार्लर (Massage Parlour) आदि जैसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। वाणिज्यक यौन शोषण केवल चकलाघरों में नहीं होता बल्कि आवासीय परिसरों एवं वाहनों में भी हो सकता है। इन कारणों से अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, पुलिस को मसाज पार्लर, बार टेंडिंग (Bar tending) टुरिस्ट सर्किट, एस्कॉर्ट सर्विस या फ्रेंडशिप क्लब में होने वाले यौन शोषण को रोकने की शक्ति देता है।

दुर्व्यापार के मुख्य कारण

महिलाओं के दुर्व्यापार के मुख्य कारणों में व्यापक गरीबी एवं अवसरों की कमी, महिलाओं की निम्न स्थिति (Low Status), भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक परम्पराएँ, विस्थापन, प्राकृतिक आपदा, संघर्ष या युद्ध, संरक्षणात्मक वातावरण का अभाव (Lack of Protective Environment), जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, बिगड़ते लिंगानुपात और सामाजिक संवेदनशीलता का अभाव आदि शामिल हैं।

दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है, जैसे- जीवन के अधिकार से वंचित करना, सुरक्षा पाने के अधिकार से वंचित करना, गरिमा एवं सम्मान से वंचित करना, न्यायप्राप्ति से वंचित करना और स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति से वंचित करना आदि।

संवैधानिक प्रावधान *(Constitutional Provision)*

संविधान का अनुच्छेद (23) मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है जबकि 39(F) के अंतर्गत राज्य का यह कर्त्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ प्रदान करें, शोषण तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग (Moral and Material Abandonment) से रक्षा करें।

दुर्व्यापार रोकने हेतु कानूनी प्रावधान *(Legal Provision to Prevent Trafficking)*

भारत में मानव दुर्व्यापार रोकने के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956) बनाया गया है। 1956 में इस अधिनियम के बनने के बाद 1976 एवं 1986 में इसे संशोधित किया गया। इन संशोधनों में ज्यादातर दुर्व्यापार को रोकने पर ध्यान दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि विभिन्न कारणों से इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। कभी-कभी इन प्रावधानों का दुरुपयोग भी किया जाता है। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन न होने का एक कारण इनके संबंध में अनभिज्ञता (Ignorance) तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों की समझ का अभाव भी है।

यदि पीड़ित महिला का शोषण कर किसी तरह की अश्लील सामग्री (Pornographic Materials) तैयार की जाती है या उसे इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे रोकने के लिए सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) में प्रावधान किया गया है।

बच्चों के दुर्व्यापार रोकने एवं उनकी देखभाल के बाल-न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 [(The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000] में प्रावधान किया गया है। महिलाओं का दुर्व्यापार रोकने के अन्य प्रयासों के तहत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन देशव्यापी मानव-दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (Anti Human Trafficking Units) का गठन किया है। यह एक तरह का विशिष्ट बल (Specialised Force) है, जो इन गतिविधियों को रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा दुर्व्यापार के पीड़ितों के कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण बोर्ड (Social Welfare Board) का गठन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास *(International Efforts)*

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं इस अपराध में शामिल लोगों को दण्डित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल (United Nations Protocol to prevent, suppress and punish Trafficking in Persons, especially womens and children) लाया गया था। यह प्रोटोकॉल 25 दिसंबर, 2003 से प्रभावी हुआ। अब तक 117 देशों एवं 137 संगठनों ने इसकी अभिपुष्टि (Ratified) की है। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तौर पर महिला दुर्व्यापार रोकने का कानूनी एवं बाध्यकारी प्रयास है। प्रोटोकॉल मानव दुर्व्यापार रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करता है। मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों की रक्षा एवं सहायता देने का कार्य करता है ताकि उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकाल में मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking) को इस रूप में परिभाषित किया गया है- किसी व्यक्ति को डराकर या उसके विरुद्ध बल प्रयोग कर,

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उत्पीड़न के अन्य साधनों का प्रयोग कर, अपहरण कर, धोखे या छल कपट से या शक्ति का दुरुपयोग या पैसे के लेन-देन के माध्यम से शोषण के उद्देश्य से नियुक्ति, ढोने (Transportation), स्थानांतरित करने, आश्रय देने या प्राप्त करने (Receipt) जैसे कार्य किया जाए। शोषण के कई रूप हो सकते हैं जैसे यौन शोषण (Sexual Exploitation), बलात् श्रम (Forced Labor), दासता (Slavery) या गुलामी (Servitude) या अंगों को निकालना आदि।

दक्षिण एशियाई देशों में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिला दुर्व्यापार को रोकने के लिए सार्क के देशों ने एक संधिपत्र पर 2002 में हस्ताक्षर किए हैं।

दुर्व्यापार रोकने हेतु सुझाव *(Suggestions to Prevent-Trafficking)*

- विधि प्रवर्तन (Law Enforcement) की प्रक्रिया को एकीकृत (Integrated) एवं व्यापक (Comprehensive) बनाया जाना चाहिए। अपराधियों पर मुकदमा चले, पीड़ितों को उचित सुरक्षा प्राप्त हो, साथ ही दुर्व्यापार रोकने के प्रयास किए जाने चाहिएँ।
- पारगमन क्षेत्रों (Transit Areas) जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, पत्तनों (Ports), सीमा के आर-पार आने-जाने वाली मार्ग आदि पर निगरानी रखी जानी चाहिए। इन स्थानों पर खोजी दस्तों (Search Teams) एवं गैर-सरकारी संगठनों की तैनाती की जानी चाहिए।
- मुक्त कराए गए पीड़ितों से इन अपराधिक कार्यों में शामिल लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की जा सकती है। इसी आधार पर पारगमन मार्गों, इनके ढोने में काम आने वाले यातायात के साधनों आदि के बारे में जानकारी हासिल कर दुर्व्यापार रोका जा सकता है।
- दुर्व्यापार में शामिल अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं समूहों का सशक्तीकरण किया जाना चाहिए।
- मुक्त कराई गई महिलाओं को उचित सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें पर्याप्त संसाधन, कौशल एवं बाजार सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उन्हें उपयुक्त आजीविका का साधन उपलब्ध हो एवं उनका सशक्तीकरण हो सके।
- पीड़ितों का सशक्तीकरण एवं उचित पुनर्वास किया जाना चाहिए। इससे पीड़ितों का पुनः दुर्व्यापार (Re-Trafficking) रोकने में मदद मिलेगा।
- अव्यवस्थित एवं अपर्याप्त पुनर्वास के कारण इनके पास आजीविका के साधन नहीं होते हैं जिसके कारण ये दुर्व्यापारियों (Traffickers) के जाल में फँस जाती हैं।
- पुलिस को इनके सशक्तीकरण हेतु सरकार के अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इसी के साथ सैन्य एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ इस क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक कॉरपोरेट सेक्टर का सहयोग लेना चाहिए।
- मुक्त करायी गई महिलाओं का समाज में एकीकरण (Integration) सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संबंध में स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
- यह बात ध्यान देने की है पुनर्दुर्व्यापार की ज्यादातर घटनाओं को जान-पहचान वाले दुर्व्यापारियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा अंजाम दिया जाता है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए एवं इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाना चाहिए।
- दुर्व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल सभी तत्वों चाहे वे ग्राहक (Customers) हों, वित्तदाता (Financiers) हों या उकसाने वाले (Abettors) हों, को दण्डित किया जाना चाहिए।
- पीड़ितों को अपराधभाव का बोध नहीं कराना चाहिए।
- जाँच (Investigation) एवं न्यायिक एजेंसियों को पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर पर गुमशुदा महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए जो इनकी खोज के लिए देश व्यापी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सके। इसके लिए एक अलग वेबसाइट सृजित की जानी चाहिए।
- लापता होने वाली (Missing) महिलाओं एवं लड़कियों के संबंध में त्वरित पुलिस कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि गुमशुदगी (Missing) एवं दुर्व्यापार (Trafficking) के बीच एक गहरा अंतर्संबंध है।
- दुर्व्यापार रोकने के लिए आसूचना तंत्र (Intelligence Mechanism) को प्रभावी एवं व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

उज्ज्वला *(Ujjawala)*

वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual Exploitation) एवं दुर्व्यापार से पीड़ित महिलाओं का बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण (Re integration) एवं दुर्व्यापार रोकथाम के लिए 2007 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। वैसे यौन-कर्मी (Sex Workers) जो स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति के पेशे में हैं, यदि वे पुनर्वास को इच्छुक हों तो वे भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पुनर्वास सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। इस के तहत 76 संरक्षण एवं पुनर्वास गृहों का निर्माण देश में किया गया है। लगभग 3800 लाभार्थियों को इसमें संयोजित किया जा सकता है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

योजना का उद्देश्य (Objective of Scheme)

- वाणिज्यिक यौन शोषण के दृष्टिकोण से महिलाओं एवं बच्चों का दुर्व्यापार (Trafficking) रोकना, इसके लिए सामाजिक गतिशीलता लाना एवं इस प्रयास में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना, जागरूकता सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सेमिनार, वर्कशॉप जैसे आयोजन के माध्यम से इस समस्या को सार्वजनिक महत्त्व प्रदान करना।
- पीड़ितों को उनके शोषण स्थल से मुक्त कराना एवं उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करना।
- अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पुनर्वास सुविधाएँ जिसके तहत पीड़ितों को मूलभूत सुविधाएँ, जैसे- आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओ के साथ परामर्श, विधिक सुविधाएँ, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- दुर्व्यापार पीड़ितों को परिवार एवं समाज में पुनर्एकीकरण (Reintegration) की सुविधा प्रदान करना।
- सीमापार के पीड़ितों को उनके मूल देश वापस भेजने की सुविधा प्रदान करना।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ (Implementing Agencies)

कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य सरकारों की सामाजिक कल्याण और बाल कल्याण विभाग, महिला विकास निगम, महिला विकास केन्द्र, शहरी स्थानीय संस्थाएँ, सार्वजनिक/निजी ट्रस्ट एवं स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organisations) सम्मिलित हैं।

योजना के मुख्य तत्त्व (Main Component of Scheme)

1. रोकथाम (Prevention) 2. बचाव (Rescue) 3. पुनर्वास (Rehabilitation)
4. पुनर्एकीकरण (Reintegration) 5. स्वदेश वापसी (Repatriation)

रोकथाम के अंतर्गत सामुदायिक सतर्कता संगठनों (Community Vigiliance Groups) का गठन किया जाता है। बालक/बालिका संघों (Sanghas) का गठन किया जाता है। वर्कशॉप एवं सेमिनार के माध्यम से सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। परम्परागत कलाओं, जैसे- नाटक, कठपुतली नृत्य (Popetary) आदि माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जागरूकता के लिए पोस्टर, पत्रिकाओं का सहारा लिया जाता है।

बचाव या मुक्ति (Rescue) के अंतर्गत पुलिस गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों, युवा संगठनों, पंचायतों, होटल मालिकों, पयर्टन संचालकों (Tour Operators) आदि से दुर्व्यापारियों (Traffickers) के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। मुखबिरों (Informers) एवं फँसाने वाले ग्राहकों (Decoy customers) को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पुनर्वास (Rehabilitation) के अंतर्गत संरक्षण एवं पुनर्वास गृहों का निर्माण किया जाता है। व्यक्तिगत प्रयोग की चीजें, जैसे- भोजन, वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की जाती है। मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों की सेवाएँ प्रदान की जाती है। पीड़ितों के मामले को न्यायालय में चलाने के लिए कई प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा एवं आय सृजन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुनर्एकीकरण (Re-integration) के अंतर्गत हाफ वे होम (Halfway home) का निर्माण किया जाता है। हाफ वे होम वैसे घर होते हैं जहाँ विभिन्न पीड़ित समूह पूर्ण सामुदायिक जीवन व्यतीत करने से पहले एक साथ रहते एवं कार्य करते हैं। वे यहाँ लाभदायक रोजगार करते हुए अर्ध-स्वतंत्र (Semi-independently) तौर पर अल्पमत निगरानी में रहते हैं। आगे चलकर इन्हें उनके परिवारों के पास भेज दिया जाता है।

स्वदेश वापसी (Repatriation) के तहत स्वदेश वापसी से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। पारगमन कैम्पों (Transit Camps) का निर्माण किया जाता है तथा सीमा जाँच केन्द्रों (Border Check Points) पर अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

स्वाधार (Swadhar)

विषम एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वाधार स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ वेश्यावृत्ति एवं दुर्व्यवहार (Trafficking) से पीड़ित महिलाएँ भी उठा सकती हैं। इस योजना के तहत जरुरतमंद महिलाओं को रहने, खाने, कपड़ा, देखभाल, परामर्श, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहायता के साथ-साथ शिक्षा, जागरुकता एवं कौशल विकास के साथ सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास किया जाता है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

इकाई-4

महिला संगठन (*Women's Organizations*)

भारत में महिला संगठन की जड़ें 19वीं शताब्दी के पुरुष समाज सुधारकों से जुड़ी हैं जिन्होंने महिलाओं से संबद्ध मुद्दों को उठाया और महिला संगठनों की शुरुआत की। 19वीं शताब्दी के अंत तक पहले स्थानीय स्तर पर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने भी स्वयं अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। स्वतंत्र भारत में बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवी समूह अस्तित्व में आए जिन्होंने पितृसत्ता को चुनौती देते हुए महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को उठाया। इनमें महिलाओं के प्रति हिंसा, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी इत्यादि शामिल थे। कुछ प्रमुख महिला संगठनों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:

आर्य महिला समाज

जस्टिस रानाडे की पत्नी रमाबाई ने सन् 1882 में नवशिक्षित महिलाओं को प्रश्रय देने के लिए पुणे एवं पश्चिमी भारत के अन्य भागों में इस संगठन की स्थापना की।

भारत महिला परिषद

महिलाओं से संबंधित सामाजिक विषयों पर एक विचार मंच के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा इसे सन् 1905 में गठित किया गया। यह संगठन बाल-विवाह, विधवाओं की दशा, दहेज एवं अन्य कुप्रथाओं पर केंद्रित था।

स्त्री जरथ्रोस्टी मंडल

यह पारसी महिलाओं का संगठन था। इसने महिलाओं के प्रशिक्षण मंच का कार्य किया। इसके सदस्य बहुत उत्साह के साथ विविध क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे।

भारत स्त्री महामंडल

सन् 1910 में सरलादेवी चौधरानी ने इसकी स्थापना की। महिलाओं के समान हितों को बढ़ावा देने के लिए यह भारतीय महिलाओं का प्रथम स्थायी संगठन था। महामंडल के नेता पर्दा प्रथा को महिलाओं के उत्थान का सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे। इस संगठन ने महिलाओं के लिए शिक्षा, बाल विवाह और परिवार में महिलाओं की सम्मान बहाली की दिशा में प्रयत्न किये।

महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद (*National Council of Women in India*)

अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद से संबद्ध इस अखिल भारतीय संगठन की स्थापना सन् 1925 में हुई। इसके संचालन में मेहरबाई टाटा की प्रमुख भूमिका रही। यह संगठन देश की उच्च वर्गीय महिलाओं का संगठन होने के कारण देश की महिलाओं की आवाज नहीं बन सका।

वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन (*Women's Indian Association*)

सन् 1915 में डोरथी जिनराजदास द्वारा गठित इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुना गया था। यह संगठन शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय था। इसकी शाखाओं ने साक्षरता, सिलाई, विधवा आश्रम और प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। राजनीतिक रूप से सक्रिय इस संगठन ने महिलाओं के लिए भी मताधिकार की मांग रखी। संगठन ने 'स्त्री धर्म' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया।

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (*All India Women's Conference*)

महिलाओं के संदर्भ में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष तथा विशुद्ध भारतीय संगठन था। मार्गरेट कजिंस और अन्य महिलाओं के सहयोग से 1927 में इसकी स्थापना की गई। संगठन ने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा सुधार कार्यक्रम चलाए। यह संगठन 1940 तक आते-आते महिलाओं का सर्वप्रमुख संगठन बन गया। 1941 में हुए सम्मेलन में संगठन ने 'रोशनी' नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। संगठन ने बाल विवाह से जुड़े कानून शरदा एक्ट के पक्ष में व्यापक जनमत तैयार किया। संगठन के प्रयासों के कारण 1935 के अधिनियम में सीमित तौर पर महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

सेवा (SEWA)

सेवा (SEWA – Self Employed Women's Association) की स्थापना सन् 1972 में स्वरोजगार महिलाओं की एक ट्रेड यूनियन के रूप में हुई थी। सेवा का मुख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार के लिए महिला कामगारों को संगठित करना है। इस पूर्ण रोजगार के माध्यम से उन्हें कार्य सुरक्षा, आय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य देखभाल, शिशु देखभाल और आश्रय) प्रदान करना है। प्रत्येक परिवार को पूर्ण रोजगार प्रदान करने हेतु सेवा महिलाओं को संगठित करती है। इसकी स्थापना इला भट्ट ने की थी। सेवा न केवल एक संगठन बल्कि एक आन्दोलन भी है। इसके अन्तर्गत तीन आन्दोलन समाहित हैं- श्रम आन्दोलन, सहकारिता आन्दोलन और महिला आन्दोलन। महिलाएँ अपने आन्दोलन के जरिए सुदृढ़ बनती हैं और सामने आती हैं।

सहज (SAHAJ)

यह संगठन जनजातीय महिलाओं को आजीविका अवसर और आय एवं बेहतर जीवन-यापन का विकल्प प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करता है। 'सहज' एक शिक्षित एवं स्वस्थ समाज की आकांक्षा रखता है जहाँ पुरुष-स्त्री एक-दूसरे का समर्थन करें और जीवन के प्रत्येक पहलू में समान योगदान दें। इसके लिए सहज आर्थिक लाभों के लिए जनजातीय कला और शिल्प आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करता है और इनका विपणन करने में मदद करता है। साथ ही यह महिलाओं को संगठित और सशक्त करता है ताकि वे अपने जीवन में विकल्प अपना सकें। संगठन जनजातीय उत्पादों के लिए सुदृढ़ जनजातीय उन्मुख उपयुक्त व्यापारिक चिह्न निर्मित करने के लिए भी प्रयासरत है।

'सहज' का प्रयास है कि कला और शिल्प आधारित सूक्ष्म उद्यमों के जरिये कारीगरों को स्वरोजगार का अवसर मिले और उन्हें कौशल विकास, प्रबंधन और शिल्प आधारित ज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाए।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति - एडवा
(The All India Democratic Women's Association – AIDWA)

इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह लोकतंत्र, समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ग, जाति और समुदाय से परे समाज के सभी स्तरों से एडवा के सदस्य हैं। भारत के 22 राज्यों में इस संगठन का प्रसार है।

यह संघ भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण सहित मौलिक व्यवस्थागत परिवर्तन पर बल देता है। यह महिलाओं के विरुद्ध अपनायी जाने वाली सांस्कृतिक कुप्रथाओं का विरोध भी करता है।

भारतीय ग्रामीण महिला संघ *(BGMS or National Association of Rural Women India)*

इसका गठन 1955 में हुआ। यह एक गैर राजनीतिक और गैर साम्प्रदायिक राष्ट्रीय संगठन है। इसकी शाखाएँ संपूर्ण भारत में हैं। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े संगठन एसोसिएटेड कंट्री वुमेन ऑफ द वर्ल्ड (ACWW) से संबद्ध है।

इस संघ का मुख्य लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और आंशिक विकलांगों का कल्याण एवं उनका उत्थान करना है। यह United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC के साथ मिलकर माध्यमिक विद्यालयों में नशीले पदार्थ सेवन के विरुद्ध अभियान भी चला रहा है।

फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन - एफ.एल.ओ. *(FICCI Ladies Organization)*

भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ (फिक्की) के एक भाग के रूप में इसका गठन 1983 में किया गया। यह महिलाओं का अखिल भारतीय संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके सदस्यों में उद्यमी, पेशेवर और कॉरपोरेट कार्यकारी सम्मिलित हैं।

एफ.एल.ओ. का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं में उद्यमशीलता और पेशेवर बौद्धिकता को प्रोत्साहित करना है। यह संगठन अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वार्ताओं, सम्मेलनों, समूह चर्चा और विभिन्न विषयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कराधान, बीमा, वेंचर पूंजी, शेयर बाजार परिचालन, लेखा, विपणन, म्यूचुअल फंड, निवेश नियोजन, उद्यम विकास कार्यक्रमों आदि पर कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं के विविध कौशलों को प्रोत्साहित करने पर बल देते हैं। यह संगठन महिलाओं से सम्बद्ध कानूनी और सामाजिक मुद्दों जैसे समान नागरिक संहिता, घरेलू हिंसा आदि पर भी ध्यान देता है। एफ.एल.ओ. में आधारभूत स्तर पर भारत के सुदूर क्षेत्रों में शिल्पकारों और अन्य के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है। मध्यम स्तर पर महिलाएँ जो स्वयं अपना उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए समरूप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि उत्पाद पहचान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, वित्तियन के स्रोतों की पहचान इत्यादि के लिए महिलाओं का कौशल विकास हो सके। उच्च स्तर पर, वे महिलाएँ जो पहले से ही व्यवसाय या पेशे से जुड़ी हैं उन्हें कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रदान किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

वुमनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया *(Womenist Party of India)*

यह भारत का राजनैतिक दल है। इसका मुख्य लक्ष्य महिला सशक्तिकरण है। इसका गठन वर्ष 2003 में मुंबई में किया गया था। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में कमी, महिला सरपंच चुने जाने के बाद भी पुरुष वर्चस्व का बने रहना, महिलाओं का नाम, महाराष्ट्र राज्य के महिलाओं संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन जैसे उद्देश्यों को लेकर इस राजनैतिक दल का गठन हुआ। यह संगठन 'वूमनिस्ट' (Womanist) शब्द को फेमेनिस्ट (Feminist) पर तरजीह देता है।

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ *(Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad)*

यह महिलाओं का सहकारी संगठन है जो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करता है। वर्ष 1959 में महज 80 रुपये की पूंजी से शुरू हुए इस संगठन का मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसरों के जरिए महिला सशक्तिकरण है। इस संगठन का मुख्यालय मुंबई में है और 650 करोड़ रुपये के टर्नओवर (2010) वाले इस कारोबार में करीब 42 हजार लोग काम करते हैं।

संपदा ग्रामीण महिला संस्था *(Sampada Gramin Mahila Sanstha – SANGRAM)*

यह एक स्वैच्छिक संगठन है। यह कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, ग्रामीण स्तर पर एचआईवी/एड्स से सम्बद्ध कार्य में रूचि रखने वाले गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

SANGRAM ने 1992 में दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में वेश्यावृत्ति और यौनाचार में लगी महिलाओं के साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। SANGRAM महाराष्ट्र के सांगली जिले में कार्यरत है जहां कि मुंबई के बाद सर्वाधिक एचआईवी/एड्स समस्याएँ पायी गयी हैं।

फ्रेंड्स ऑफ वुमन्स वर्ल्ड बैंकिंग, इंडिया *(Friends of Women's World Banking, India)*

यह सूक्ष्म वित्तीय (Micro Financing) और सूक्ष्म उद्यमी संगठनों (Microenterprise) की सहायता करने वाला भारत का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में इला भट्ट ने की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है।

इसकी स्थापना निर्धन महिलाओं की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक गैर-सरकारी संगठन के रूप में की गयी थी। इसका गठन भारत में अनौपचारिक साख समर्थन और नेटवर्क का विस्तार करने हेतु किया गया था।

द कन्फेडरेशन ऑफ वुमन इन्टरप्रेन्योर्स *(The Confederation of Women Entrepreneurs – COWE)*

यह हैदराबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो उद्यमशीलता के जरिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान से सम्बद्ध है।

सन् 2004 में बने इस संगठन का दृष्टिकोण महिलाओं के ऐसे समूह का गठन करना है जो आर्थिक रूप से सशक्त, देश की सम्मानित नागरिक व कौशलयुक्त हों। यह संगठन संसाधन आधारित तकनीकी, प्रबंधन, विपणन कौशल, वित्त, अवसंरचना और उपकरण के सृजन द्वारा महिला सम्बद्ध अवसरों को प्रोत्साहित करता है।

स्वाधीन *(Swadhina)*

इसका गठन एक नागरिक समाज के रूप में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य एक युवा समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्म निर्भर बनने के लिए उन्हें सशक्त करना है। सन् 1990-91 में विकसित हुए इस संगठन का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। यह संगठन मुख्यतः जनजातीय और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कार्य करता है। वर्तमान में झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के 52 ग्रामीण इकाइयों में कार्यरत हैं।

स्वयं *(Swayam)*

यह संगठन कोलकाता में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति करना है। यह संगठन महिलाओं को सशक्त, आत्म विश्वासी और आत्म-निर्भर बनाने को महत्त्व देता है। सन् 1995 में बना यह संगठन सामूहिक सांगठनिक शक्ति पर विश्वास करता है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

स्वाभिमान *(Swabhiman)* आत्मरक्षा करने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करता है

यह स्माइल फाउंडेशन की एक पहल है। यह लड़कियों में गौरव और सम्मान भाव को महत्त्व देता है। यह संगठन समाज के सभी क्षेत्रों जैसे- घर, कार्यालय या समुदाय में महिलाओं की पूर्ण क्षमता का आभास करने को प्राथमिकता देता है। हालाँकि स्वाभिमान पुरुष विरोधी नहीं है परंतु यह महिलाओं की आत्मरक्षा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करता है। यह बालिका शिशु को सम्मान दिलाने के लिए पुरुषों को भागीदार बनने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करता है।

आदिवासी/मूल लोगों का अखिल भारतीय समन्वय मंच *(All India Coordinating Forum of the Adivasi/Indigenous Peoples – AICAIP)*

यह दिल्ली में स्थित संगठन है। इसका गठन आदिवासी/मूल लोगों के अखिल भारतीय मंच के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य संघर्षोन्मुख आदिवासी लोगों के मध्य एकजुटता और गठजोड़ के वातावरण का निर्माण करना है। AICAIP विभिन्न मुद्दों और समस्याओं की पहचान करने, इन मुद्दों पर चर्चा करने तथा उन्हें सहायता देने को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानता है। AICAIP द्वारा गठित 5 कार्यसमूहों में से एक भागीदारी आदिवासी महिलाओं से सम्बद्ध है।

वाई.डब्ल्यू.सी.ए. ऑफ इंडिया *(The YWCA of India)*

यह संगठन वर्ल्ड वाई.डब्ल्यू.सी.ए से सम्बद्ध है। भारत में इसकी 65 स्थानीय इकाइयाँ हैं। यह संगठन विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण, सभी महिला मुद्दों पर समर्थित कार्य और सामुदायिक विकास कार्य पर बल देता है। यह संगठन कामगार महिलाओं को आवास तथा महिलाओं के लिए आपात आश्रय की सुविधा भी प्रदान करता है।

महिला उत्पीड़न विरोधी मंच, मुंबई *(Forum Against Oppression of Women, Mumbai)*

इसका गठन 1979 में हुआ था। दुष्कर्म मामलों में सजग प्रतिक्रिया देने के मंच के रूप में इसका गठन किया गया था। यह भारत में एक स्वायत्त महिला समूह के रूप में जाना जाता है। इसने 1980 के दशक में महिला आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी है। वर्तमान में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, जैसे- छात्र, गृहिणी, पेशेवर महिलाएँ, व्याख्याता आदि इससे जुड़े हैं तथा यह संगठन एक अभियान समूह के रूप में कार्य कर रहा है।

अप्पन समाचार

यह पूर्णरूपेण महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भारतीय समाचार कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया है। इसका प्रथम प्रसारण मुजफ्फरपुर के रामलीला गाछी में 6 दिसंबर 2007 को किया गया था। यह लगभग 100 गाँवों से सम्बद्ध समाचार प्रसारित करता है।

इस समाचार का प्रारंभ संतोष सारंग ने किया था। इसका प्रसारण प्रत्येक 15 दिनों पर प्रोजेक्टर या बड़े टीवी के माध्यम से किया जाता है। इस समाचार के जरिये जादू-टोना प्रथा जैसे मुद्दों, महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा, निर्धनता और कृषि समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

संहिता जेंडर रिसोर्स सेन्टर *(Sanhita Gender Resource Centre)*

यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला कार्यकर्ताओं की एक पहल है। महिला सशक्तिकरण के लिए आधारभूत स्तर पर काम करने वाले संगठनों के बीच सूचना सक्रियता एवं नेटवर्किंग की आवश्यकता पूर्ति हेतु इसकी शुरुआत हुई।

यह संगठन सूचना तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने पर ध्यान देता है, लैंगिक प्रशिक्षण का परिचालन करता है, अपेक्षित सेवा प्रदान करता है और उपयोगी वस्तुएँ निर्मित करता है। साथ ही, प्रकार्य शोध कार्यक्रमों एवं पुस्तकालय तथा दस्तावेजी केन्द्र के माध्यम से सूचनाएँ एकत्र और विभिन्न स्थानों पर उनका वितरण करता है।

अक्षरा *(Akshara)*

औपचारिक रूप से इस संगठन की स्थापना सन् 1995 में की गई थी। मुंबई में महिला आंदोलनों और अभियानों के फलस्वरूप यह अस्तित्व में आया। लिंग असमानता पर सार्वजनिक चेतना बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण की दिशा में काम करना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकना, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के साथ भागीदारी करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

मजलिस *(Majlis)*

मजलिस सन् 1980 से मुंबई में कार्यरत एक वैधानिक और सांस्कृतिक संसाधन (Legal and Cultural Centers) केन्द्र है जो महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं का एक समूह है। यह केन्द्र महिलाओं से सम्बद्ध शोध और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यों में अपनी भूमिका निभाता है।

भारतीय महिला वैज्ञानिक संगठन *(India Women Scientist's Association: IWSA)*

नवीं मुंबई में सक्रिय यह संगठन विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सभी विज्ञान स्नातक इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।

मैत्रेयी *(Maitreyi)*

मुंबई स्थित इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य महिला संबंधी मुद्दों एवं महिला प्रगति को समझने के लिए स्त्रीवादी दृष्टिकोण का विकास करना है। साथ ही यह महिला मुद्दों के प्रति सभी को संवेदनशील बनाने पर भी बल देता है। मैत्रेयी महिला अध्ययन कार्यशाला, शोध, दस्तावेजीकरण, पीड़ित महिलाओं के लिए सहायता केन्द्र, महिला क्लब से जुड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहन, पुस्तकों एवं वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशन जैसे क्रियाकलापों को प्रायोजित करता है और उन्हें अप्रत्यक्ष ढंग से सहयोग भी देता है।

महिला अध्ययन इकाई *(Women's Studies Unit)*

मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की विशेष इकाई 'वुमन्स स्टडीज़ यूनिट' महिला और विकास मुद्दों के बारे में छात्रों और नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाने का प्रयास करती है। इसके लिए विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक कार्य की शिक्षा दी जाती है, शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध करायी जाती है, महिलाओं और विकास के विभिन्न समूहों से विमर्श किया जाता है और शोध कार्य संचालित किये जाते हैं।

महिला विकास अध्ययन केन्द्र *(Centre for Women's Development Studies)*

यह अप्रैल, 1980 में नई दिल्ली में गठित एक शोध केन्द्र है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला समानता तथा विकास को यथार्थ रूप देने हेतु कार्य कर रहा है। यह केन्द्र भारत के महिलाओं और विकास से सम्बद्ध संग्रह एक विशिष्ट पुस्तकालय के माध्यम से करता है। यह पुस्तकालय सभी छात्रों, शोधार्थियों, लैंगिक परामर्शदाताओं, नीति निर्माताओं, पत्रकारों इत्यादि का सदैव स्वागत करता है।

एकल नारी शक्ति संगठन

राजस्थान के 28 जिलों में सक्रिय इस संगठन का मुख्य कार्यालय उदयपुर और कोटा में है। यह संगठन एकल महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयासरत है। महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाना, सम्पत्ति और जमीन का अधिकार दिलाना, अत्याचार से मुक्ति दिलाना, शक्ति को संचार के लिये एकल नारी शक्ति संगठन से जोड़ना, महिलाओं का संगठन में ऐसा समन्वय स्थापित करना जिससे वे एक दूसरे की आवश्यकतानुसार मदद कर सकें, संगठन से जुड़े सदस्यों के साथ मिलकर पारंपरिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों को बदलना, कानून लागू करवाना एवं उनका बेहतर क्रियान्वयन करवाना, कानून की नीतियों एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये संगठन सदस्यों की मदद करना, सामूहिक प्रयास से आय-संवर्धन योजनाओं को लागू करवाना आदि कार्य यह संगठन कर रहा है।

इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य संगठन हैं जो महिलाओं के सशक्तीकरण, उनकी सुरक्षा, आत्म-सम्मान व आत्म-निर्भरता पर बल देते हैं:

1. डाइवर्स वुमन फॉर डाइवर्सिटी, दिल्ली (Diverse women for Diversity, Delhi)
2. वुमन्स फाउन्डेशन, दिल्ली (Women's Foundation, Delhi)
3. सहेली, एक महिला संगठन, दिल्ली (Saheli, a women's organisation, Delhi)
4. सखी: एक समलैंगिक नारी संगठन, दिल्ली (Sakhi: Lesbian Organisation, Delhi)
5. महिला अध्ययन और विकास केन्द्र, चण्डीगढ़ (Centre for Women's Studies and Development, Chandigarh)

Copyright- Drishti The Vision Foundation

7. वुमन एंड मीडिया समूह, मुंबई (Women and Media Group, Mumbai)
8. द वुमन्स सेंटर ऑफ इंडिया, मुंबई (The women's centre of India, Mumbai)
9. ज्वाइंट वूमैन प्रोग्राम, नई दिल्ली (Joint Women Programme, New Delhi)
10. वुमन्स स्टडीज़ रिसर्च सेंटर, बड़ौदा (Women Studies Research Centre, Baroda)
11. वुमन्स सेंटर, मुंबई (Women Centre, Mumbai)
12. अन्वेषी-रिसर्च सेंटर फॉर वुमन्स स्टडीज़, हैदराबाद (Anveshi-Research Centre for Women Studies, Hydrabad)
13. स्त्रीलेखा - बेंगलुरु (Streelekha, Bengaluru)
15. सेंट इग्नेशियस सोशल सेंटर, हनोवर (कर्नाटक) (St. Ignatius Social Centre, Honavar (Karnataka))
16. वर्किंग वुमन्स फोरम, चेन्नई (Working Women's Forum, Chennai)
17. मदर टेरेसा वुमन्स यूनीवर्सिटी, चेन्नई (Mother Teresa Women's University, Chennai)

राष्ट्रीय महिला आयोग *(National Commission for Women)*

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम-1990 के तहत जनवरी, 1992 में एक सांविधिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग के मुख्य कार्यों में महिलाओं के लिए बने संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा मानकों की समीक्षा करना, वैधानिक उपचारों की अनुशंसा करना, शिकायत निवारण प्रणाली को सुगम बनाना, सरकार को महिलाओं संबंधी सभी नीतिगत विषयों पर सलाह देना इत्यादि कार्य शामिल हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष ममता शर्मा हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करता है। आयोग के इन कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं बेहतर निष्पादन के लिए आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ कार्यरत हैं-

- शिकायत एवं परामर्श इकाई (Complaints and Counselling Unit)
- विशेषज्ञ समितियाँ (Expert Committees)
- नेटवर्किंग इकाई (Networking Unit)

इसके अतिरिक्त महिला अधिकारों के संरक्षण एवं उनके लिए जागरूकता के प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्य करते हुए आयोग निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करता है-

- विभिन्न राज्यों का दौरा।
- सेमीनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन।
- जन सुनवाई।

आयोग महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्नांकित कार्यक्रमों का संचालन भी करता है-

- परिवारिक महिला लोक अदालत (PMLA)
- कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme)
- मंगलम (MANGLAM) : पांडिचेरी में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए न्याय' के आधार पर इस कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।
- अनुसंधान कार्यों का आयोजन।
- मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयोग ने 'सेव होम, सेव फैमिली' नामक एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation